खण्ड-456, अंक-2
मंगलवार, 1 अग्रहायण, शक संवत् 1927
(22 नवम्बर, 2005 ई0)

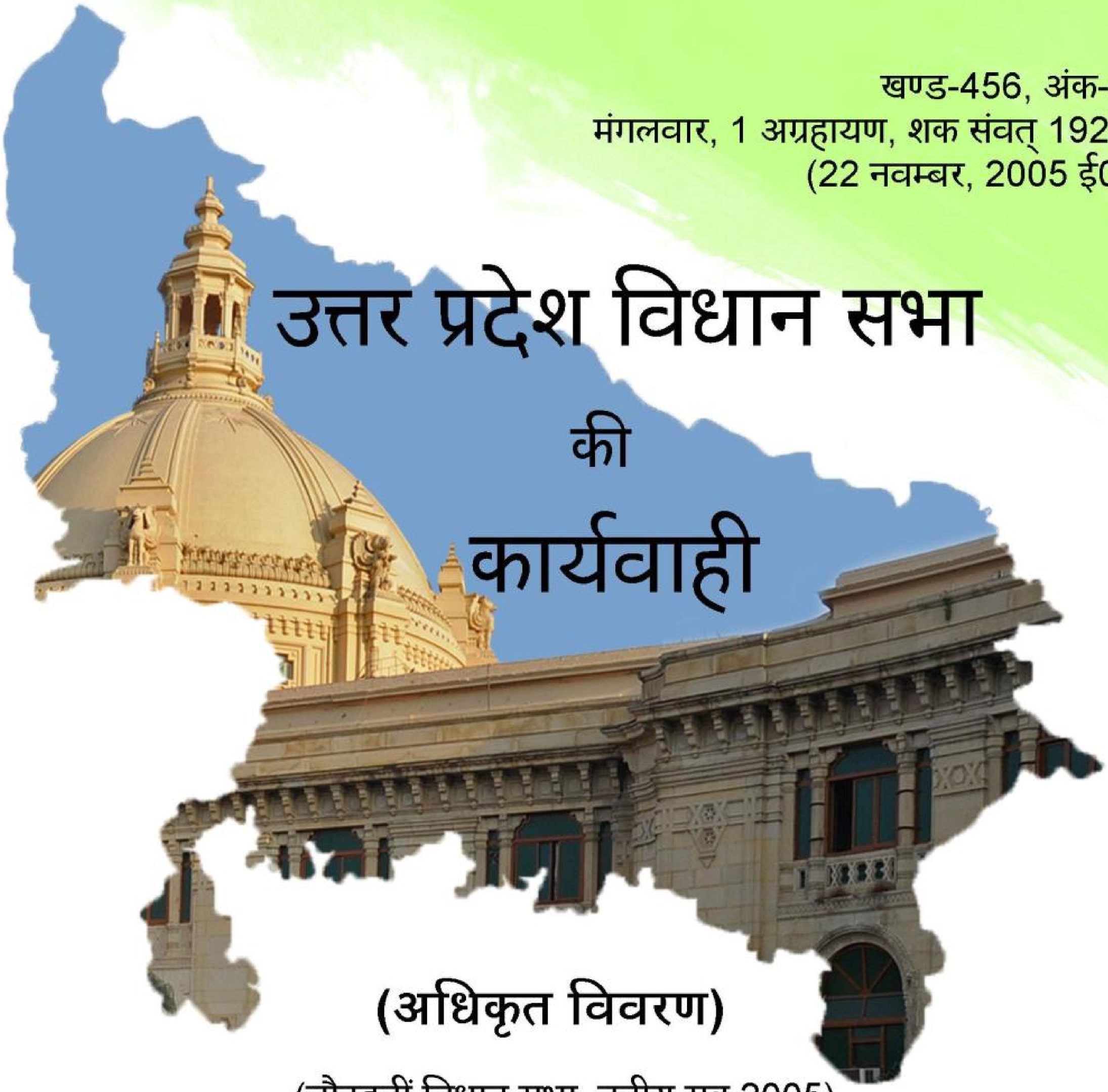

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2005)

खण्ड 456 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय - सूची

विषय	पृष्ठ -संख्या
उपस्थित सदस्य	ङ - झ
मऊ में हुए दंगें सम्बन्धी नियम 311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (जारी)------	1-2
प्रश्नोत्तर	3-71
मऊ में हुए दंगें सम्बन्धी नियम 311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (जारी)------	71-72
भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री के0आर0 नारायणन के निधन पर शोकोद्गार------	72-76
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हबीबुर्रहमान नोमानी, श्री अरविन्द तिवारी, श्री बद्री सिंह, श्री स्वामी प्रसाद सिंह, श्रीमती इन्द्रमोहिनी, श्री जसवन्त सिंह विष्ट, श्री रघुनाथ सिंह, श्री अठईराम, नवाब सिकन्दर अली खाँ, श्री लाल चन्द्र पाण्डेय तथा श्रीमती प्रेमवती तिवारी के निधन पर शोकोद्गार------	76-79
महान समाजवादी नेता श्री मधु दंडवते के निधन पर शोकोद्गार------	79-80
मऊ में हुए दंगे सम्बन्धी नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (जारी)------	80
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएँ------	80-81
मेरठ नगर में अधूरी पेयजल योजना पूर्ण करने हेतु दो ट्यूबवेलों के निर्माण कार्य को पूरा करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना------	81-82
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों के सी0एम0एस0डी0 स्टोर में सम्बद्ध फार्मेसिस्टों की सम्बद्धता समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना------	82
जनपद जालौन की कोंच तहसील में सिंचाई विभाग वेतवा प्रखण्ड की लापरवाही के कारण एक दर्जन गाँव के किसानों की फसल जल भराव से सड़ जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना------	83

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में रिक्त शिक्षकों के पदों को भरने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना------ 83

बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत शिकारपुर-जहांगीराबाद मार्ग का जीर्णोद्धार करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना------ 84

गोरखपुर और बस्ती मण्डल में खाद एंव बीज की आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना------ 84-85

रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा चरूहारबीक विकास खण्ड दीनशाह गौरा के प्राथमिक विद्यालय के अधूरे भवन का निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना------ 85

देवरिया कसया सहकारी बैंक शाखा तरया सूजान, दुदही, तमकुही रोड़ जनपद कुशी-नगर द्वारा किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना------ 85

लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों में सिंचाई हेतु सरकारी नलकूप लगवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना------ 85-86

अलीगढ़ के इगलास क्षेत्रान्तर्गत 132 के0वी0 का विद्युत उप संस्थान का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना------ 86

शाहजहांपुर नगरपालिका सीमान्तर्गत खराब पड़े इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों की रिपेय-रिंग कराकर पेयजल व्यवस्था सुचारू कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना------ 86-87

बरेली के आंवला क्षेत्रान्तर्गत भूड़ा बसन्तपुर और गोराघाट के बीच रामगंगा नदी पर सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना------ 87

प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना------ 87-88

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (सदन के पटल पर रखा गया)--- 88

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (सदन के पटल पर रखा गया)------ 88

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)------ 88

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्ध विधेयक, 2005 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ------ 89

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)------ 89

उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2005 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)------ 89

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ------ 89

उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध विधेयक, 2005 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ------ 89

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ------ 90

उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण मान्यता और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2005 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)------ 90

कार्य-मत्रंणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव-(स्वीकृत)------ 90-92

मऊ में हुए दंगे सम्बंधी नियम 311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग------ 92-93

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 2005 (पुर:स्थापित)------ 93

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2005 (पुर:स्थापित)------ 93

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एंव चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ------ 94

प्रदेश में गरीब किसानों की फसलों को दबंग व्यक्तियों द्वारा नष्ट करने की पुष्टि होने पर उन्हें हानि का मुआवजा ऐसे व्यक्तियों से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर उन्हें दिलाने हेतु प्रभावी कानून बनाये जाने सम्बन्धी श्री कौशल किशोर द्वारा प्रस्तुत संकल्प (जारी)------ 94-95

वाराणसी में सुचारू पेय जलापूर्ति बनाये रखने हेतु जल संस्थान, वाराणसी के भदेनी रा-वाटर पम्पिंग स्टेशन तथा भेलूपुर क्लीयर वाटर पम्पिंग स्टेशन को कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति हेतु एक 5 एम0वी0ए0 ट्रांसफारमर अलग से स्थापित कर अनवरत विद्युत आपूर्ति कराये जाने सम्बन्धी श्री श्याम देवराय चौधरी द्वारा प्रस्तुत संकल्प (जारी)------ 95

प्रदेश में खेती की पैदावार को आधुनिकतम तकनीकी से बढ़ाने हेतु कारगर एवं नई प्रोत्साहन नीतियां अपनाई जायें तथा कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान कराये जाने सम्बंधी डा0 अजय कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प (जारी)------ 95

अगामी जनगणना के समय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भाँति अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की भी गणना किये जाने सम्बन्धी संकल्प डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का निरस्तीकरण------ 96

प्रदेश में पिछड़ी जाति के गरीब/भूमिहीन व्यक्तियों का अनुसूचित जातियों की भाँति कब्जेदारी के आधार पर पट्टे जारी किये जाने हेतु प्रभावी कानून बनाये जाने सम्बन्धी श्री उदयराज द्वारा प्रस्तुत संकल्प का निरस्तीकरण------ 96

नियम- 51 के अन्तर्गत सूचनाएं------ 96-98

नत्थियाँ 99-104

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 22 नवम्बर, 2005

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य-310

1-अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
2-अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
3-अजय कुमार, डा0	बागपत
4-अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
5-अताउल रहमान, श्री	बरेली
6-अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
7-अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
8-अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
9-अनिल कुमार वर्मा, श्री	हरदोई
10-अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
11-अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
12-अनीस अहमद खां ऊर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
13-अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
14-अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
15-अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीर नगर
16-अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
17-अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री	बाराबंकी
18-अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
19-अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
20-अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
21-अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
22-अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
23-अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
24-अरूण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
25-अरूणवीर सिंह, श्री	बहराइच
26-अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
27-अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
28-अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
29-अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
30-अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
31-आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
32-आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
33-आर0के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
34-आलम बदी, श्री	आजमगढ़
35-आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
36-आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
37-आशीष यादव, श्री	बदायूँ
38-आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूँ
39-इकबाल महबूद, श्री	मुरादाबाद
40-इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
41-उज्जवल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
42-उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
43-उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
44-उमा किरन, श्रीमती	मुज्फ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

45-ओमकार सिंह यादव, श्री — बदायूँ
46-ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर
47-ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री — सुल्तानपुर
48-ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
49-ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
50-कपिल देव यादव, श्री — मऊ
51-कमलेश कुमार, श्री — गोरखपुर
52-कमाल यूसुफ मलिक, श्री — सिद्धार्थनगर
53-कल्यान सिंह दोहरे, श्री — कन्नौज
54-कामेश्वर उपाध्याय, श्री — देवरिया
55-काशीराम, श्री — रामपुर
56-किरण पाल कश्यप, श्री — मुजफ्फरनगर
57-किरन पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
58-किशन लाल बघेल, सेठ — आगरा
59-कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री — बिजनौर
60-कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
61-कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री — हरदोई
62-कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
63-केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
64-कैलाश, श्री — गाजीपुर
65-कैलाश चौरासिया, श्री — मिर्जापुर
66-कोविद कुमार, श्री — शाहजहांपुर
67-कौशल किशोर, श्री — खीरी
68-कौशल किशोर, श्री — लखनऊ
69-गंगा बक्श सिंह, डा0 — उन्नाव
70-गंगा भक्त सिंह, श्री — हरदोई
71-गीता सिंह, श्रीमती — बलरामपुर
72-गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
73-घूरा राम, श्री — बलिया
74-चन्द्र किशोर, श्री — महराजगंज
75-चन्द्रदेव राम यादव, श्री — आजमगढ़
76-चन्द्रभद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
77-चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री — श्रावस्ती
78-चित्तरंजन स्वरूप, श्री — मुजफ्फरनगर
79-छेदी राम, श्री — गाजीपुर
80-छोटे लाल यादव, श्री — बाराबंकी
81-छोटे लाल वर्मा, श्री — आगरा
82-जंग बहादुर, श्री — सुल्तानपुर
83-जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
84-जगदीश नारायण (राय), श्री — जौनपुर
85-जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री — कुशीनगर
86-जगदीश सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
87-जगदीश सोनकर, श्री — जौनपुर
88-जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
89-जगराम सिंह, श्री — मुरादाबाद
90-जटाशंकर सिंह, श्री — बहराइच
91-जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रूखाबाद
92-जय प्रकाश यादव, श्री — गोरखपुर
93-जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
94-जयवीर सिंह, श्री — मैनपुरी
95-जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री — गोरखपुर
96-जियाउद्दीन रिजवी, श्री — बलिया
97-तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा
98-दद्दू प्रसाद, श्री — चित्रकूट
99-दया शंकर वर्मा, श्री — जालौन
100-दिनेश सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
101-दिलीप कुमार वर्मा, श्री — बहराइच
102-दीनानाथ भास्कर, श्री — सन्त रबिदास नगर, भदोही
103-दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
104-दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
105-देवकी नन्दन, श्री — हाथरस
106-देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री — गोरखपुर
107-देवेन्द्र प्रताप, श्री — एटा
108-देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — रायबरेली
109-द्वारिका प्रसाद, श्री — सन्त कबीर नगर
110-धनंजय सिंह, श्री — जौनपुर
111-धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
112-धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकरनगर
113-धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
114-धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री — बरेली
115-धू राम लोधी, चौधरी — हमीरपुर
116-नत्थू सिंह, श्री — उन्नाव
117-नन्दिता शुक्ला, श्रीमती — गोण्डा

118-नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 इलाहाबाद
119-नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
120-नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
121-नरेन्द्र शिशौदिया, श्री गाजियाबाद
122-नवाब सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
123-नारद राय, श्री बलिया
124-परमजीत, श्री मुजफ्फरनगर
125-परमेश्वर दयाल, श्री सोनभद्र
126-पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
127-पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
128-पीतम राम, श्री पीलीभीत
129-पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
130-प्रताप चौधरी, श्री हाथरस
131-प्रदीप जैन "आदित्य", श्री झांसी
132-प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
133-प्रभु दयाल, श्री मेरठ
134-प्रभू नारायण, श्री चन्दौली
135-प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
136-प्रमोद गौड़, श्री अलीगढ़
137-प्रागी लाल अहिरवार, श्री झांसी
138-प्रेम पाल सिंह यादव, श्री बदायूं
139-प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
140-फागू, श्री मऊ
141-बंशीधर राज, श्री खीरी
142-बलराम यादव, श्री आजमगढ़
143-बाबूराम, एम0काम0, श्री जालौन
144-बाबूलाल, चौधरी आगरा
145-बाबू लाल कुशवाहा, श्री बांदा
146-बीजू पटनायक, श्री गाजीपुर
147-बीना भारद्वाज, श्रीमती रामपुर
148-बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री झांसी
149-बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट जालौन
150-बैजनाथ पासवान, श्री मऊ
151-बैजनाथ दुबे, श्री गोण्डा
152-ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
153-भगवत शरन गंगवार, श्री बरेली
154-भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
155-भरत सिंह, श्री बलिया
156-भारतेन्द्र सिंह, कुंवर बिजनौर
157-भूपेन्द्र सिंह, श्री बदायूँ
158-मतेश चन्द्र सोनकर, श्री कौशाम्बी
159-मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
160-मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
161-मदन भैया, श्री बागपत
162-मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
163-मलिक मसूद, श्री आजमगढ़
164-मशहूद खां, श्री बलरामपुर
165-मस्तराम चौ0, एडवोकेट उन्नाव
166-महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूले नगर
167-महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
168-महेन्द्र सिंह, चौधरी अलीगढ़
169-महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
170-महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
171-महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
172-माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
173-मान पाल सिंह, श्री एटा
174-माया प्रसाद, श्रीमती खीरी
175-मिथिलेश कुमार, श्री शाहजहांपुर
176-मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
177-मुकुल उपाध्याय, श्री अलीगढ़
178-मुलायम सिंह यादव, श्री बदायूं
179-मुंशीलाल गौतम, श्री बुलन्दशहर
180-मुश्ताक सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
181-मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर बिजनौर
182-मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री मुरादाबाद
183-मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
184-मोहम्मद इरशाद खां, श्री लखनऊ
185-मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
186-मोहम्मद शफीर, श्री फतेहपुर
187-यशपाल चौधरी, श्री खीरी
188-याकूब, हाजी मेरठ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

189-योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
190-योगेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री — गोण्डा
191-रतन लाल अहिरवार, श्री — झांसी
192-रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
193-रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 — मिर्जापुर
194-रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0 — मेरठ
195-राकेश कुमार वर्मा, श्री — बाराबंकी
196-राज किशोर सिंह, श्री — बस्ती
197-राजनाथ यादव, श्री — वाराणसी
198-राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
199-राजपाल सिंह सैनी, श्री — मुजफ्फरनगर
200-राजरानी रावत, श्रीमती — बाराबंकी
201-राजा राम, श्री — प्रतापगढ़
202-राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
203-राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
204-राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री — लखनऊ
205-राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री — एटा
206-राजेन्द्र सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
207-राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 — गोरखपुर
208-राधेश्याम सिंह, श्री — कुशीनगर
209-राबिया कलाम, श्रीमती — वाराणसी
210-राम इकबाल सिंह, श्री — बलिया
211-राम करन आर्य, श्री — बस्ती
212-राम किशुन, श्री — चन्दौली
213-राम कृपाल, श्री — इलाहाबाद
214-राम गोविन्द चौधरी, श्री — बलिया
215-राम चन्द्र यादव, श्री — फैजाबाद
216-राम नरेश यादव, श्री — आजमगढ़
217-रामनाथ, श्री — प्रतापगढ़
218-रामपाल यादव, श्री — सीतापुर
219-राम पाल वर्मा, श्री — हरदोई
220-राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री — कन्नौज
221-राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
222-रामबाबू हरित, डा0 — आगरा
223-राम बिशुन आजाद, श्री — गोण्डा
224-राम मगन, श्री — बाराबंकी
225-राम लाल अकेला, श्री — रायबरेली
226-रामवीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
227-राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
228-राम स्वरूप सिंह, श्री — कानपुर देहात
229-राम स्वरूप सिंह, श्री — बिजनौर
230-रामहेत भारती, श्री — सीतापुर
231-रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
232-रिजवान अहमद खां, श्री — ज्योतिफूले नगर
233-रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
234-लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 — मेरठ
235-लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
236-लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
237-लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकर नगर
238-लाल बहादुर यादव, श्री — जौनपुर
239-लुईस खुर्शीद, श्रीमती — फर्रूखाबाद
240-वकार अहमद शाह,डा0 — बहराइच
241-वसीम अहमद, श्री — आजमगढ़
242-विजमा यादव, श्रीमती — इलाहाबाद
243-विजय बहादुर पाल, श्री — कन्नौज
244-विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
245-विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
246-विद्या सागर गुप्ता, श्री — लखनऊ
247-विनय शाक्य, श्री — औरैया
248-विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री — गोण्डा
249-विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री — इटावा
250-विनोद कुमार सिंह, श्री — जौनपुर
251-विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री — बदायूं
252-विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
253-विश्राम सिंह यादव, श्री — हरदोई
254-वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री — शाहजहांपुर
255-वीरेन्द्र सिंह, श्री — वाराणसी
256-वीरेश्वर, श्री — अलीगढ़
257-शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — सन्त रविदासनगर भदोही
258-शब्बीर, श्री — बहराइच
259-शमीमुल हक, श्री — मुरादाबाद
260-शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
261-शहजिल इस्लाम, श्री — बरेली

262-शाकिर अली, श्री	देवरिया
263-शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
264-शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
265-शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
266-शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
267-शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
268-शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
269-शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
270-शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
271-शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
272-शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
273-शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
274-श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
275-श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
276-श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
277-श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
278-श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
279-संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
280-संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
281-सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
282-सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
283-सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
284-सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
285-समरपाल सिंह, श्री	बागपत
286-सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0	मुरादाबाद
287-सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
288-सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
289-सियाराम सागर, डा0	बरेली
290-सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
291-सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
292-सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
293-सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
294-सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
295-सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
296-सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
297-सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
298-सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
299-सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
300-सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
301-सुल्तान बेग, श्री	बरेली
302-सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
303-सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
304-सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
305-स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
306-हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
307-हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
308-हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
309-हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
310-होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :- श्री मुन्ना सिंह चौहान (सिंचाई मंत्री),
श्री ख्वाजा हलीम (औद्योगिक विकास मंत्री) तथा
श्री राम आसरे विश्वकर्मा (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) भी सदन में उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मऊ में हुए दंगे सम्बन्धी नियम 311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

श्री स्वामी प्रसाद मोर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने मऊ दंगे के बारे में नियम-311 में सूचना दी है । मऊ में जिस तरह से दंगा कराया गया उसकी सी0बी0आई0 से जाँच होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्य जी, आपकी सूचना नियम-311 में थी, माननीय नेता विरोधी दल ने भी सूचना दी थी, (इसी मध्य बहुजन समाज पार्टी के श्री मो0 इरशाद, श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री मलिक मसूद, श्री भगेलू राम, श्री रामहेत भारती, श्री कपिल देव यादव, श्री देवनारायन उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री जगदीश नारायण राय सहित कई सदस्य सदन की वेल में आ गये और "मऊ दंगों की सी0बी0आई0 जाँच कराओ", "सपा, भाजपा का है मेल, दंगों का खेलते नंगा खेल", तथा "सपा, भाजपा दोनों नंगे, खुलकर करा रहे हैं दंगे" आदि के नारों लिखीं टोपियाँ अपने सिर पर पहन ली तथा "पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी" । "लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी" तथा मऊ दंगे की सी0बी0आई0 जाँच कराओ के नारे लगाने लगे तथा "प्रदेश जल रहा है, बचाओ, बचाओ, बहुजन समाज पार्टी के बैनर सदन में प्रदर्शित किये" ।)

कृपया आप लाग अपने स्थान पर चलिये । यह प्रदर्शन स्थल नहीं है, यहाँ प्रदर्शन मत करिये । मा0 मौर्य जी अपने सदस्यों को वापस बुलाईये ।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

माननीय अध्यक्ष जी, मऊ दंगों के बारे में हमने भी नियम-311 में सूचना दी है ।

(वेल में आये हुये सदस्य दंगों की सी0बीआई0 जाँच कराओ तथा पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के नारे लगाते रहे ।)

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी, अपने सदस्यों को शांत करिये । मऊ प्रकरण पर बहुजन समा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस ने अलग-अलग सूचनायें दी थी । इन सारी सूचनाओं को हमने नियम-52 में परिवर्तित करते हुए डेढ़ घण्टे की चर्चा स्वीकार कर ली है । अब प्रश्न प्रहर चलने दीजिए । मा0 नेता बहुजन समाज पार्टी आप अपने सदस्यों को अपने स्थान पर ले जाईये । श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) जी आप अपने स्थान पर चलिये, यह प्रदर्शन स्थल नहीं है । कृपया आप लोग अपना आसन ग्रहण करिये ।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, हमने नियम-311 में सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष आपकी नियम-311 की सूचना को हमने नियम-52 में परिवर्तित कर दिया है और डेढ़ घण्टे की चर्चा स्वीकार कर ली है । चर्चा आपने माँगी थी वह हमने स्वीकार कर ली है ।

माननीय नेता विरोधी दल कितनी संजीदगी से अपने स्थान पर खड़े हुये हैं, इनके आचरण से आप कुछ सीखिये और अपने-अपने स्थान पर चलिये ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, आप न्यायिक जॉच की अध्यक्ष पीठ से निर्देश दीजिये ।

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी, अपने सदस्यों को वापस बुलाइये । प्रश्न प्रहर चलने दीजिए, प्रश्न प्रहर बहुत महत्वपूर्ण होता है । इस सदन के माननीय सदस्य प्रश्नों के माध्यम से सरकार से महत्वपूर्ण व नीतिगत जानकारी करना चाहते है और सरकार के उत्तर से पूरे समाज को जानकारी होती है उससे आप समाज को वंचित कर रहे हैं ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी का इस पर लिखित वक्तव्य आ जाए ।

(नारे लगाये जाने के मध्य) (सदन के फ्लोर पर आये हुए सदस्यगण निरन्तर नारे लगाते रहे जिससे व्यवधान बना रहा ।)

श्री अध्यक्ष-

आप पूरे प्रदेश की जनता को, उसकी समस्याओं का जो निराकरण स्थल है, उनकी समस्याओं के निराकरण से, उनको जानकारी से वंचित करा रहे हैं । आप विधायी दायित्वों से मुकर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न प्रहर जनता से संबंधित है, उनकी समस्याओं से संबंधित है । आप अपने दायित्वों से मुकर रहे हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, नियमावली हमें भी आती है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल आपने चर्चा की मांग की थी, चर्चा मैंने मान ली है ।

(शोर)

माननीय सदस्यगण बहुजन समाजपार्टी, यह प्रदर्शन मत करिये । अपनी सीटों पर चलें । मौर्या जी टोपी उठाकर प्रदर्शन करने से क्या फायदा । आप जनता को उसके अधिकारों से वचित कर रहे हैं । प्रश्न प्रहर महत्वपूर्ण समय होता है, उससे आप वंचित होकर अपने कर्तव्यों के पालन से मुकर रहे हैं ।

(मऊ दंगों की सी0बी0आई0 जॉच कराओ, संविधान विरोधी यह सरकार-नहीं चलेगी, नहीं चलेगी । पुलिस के बल पर यह सरकार-नहीं चलेगी, नहीं चलेगी । लाठी गोली की सरकार-नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, के नारे लगाये गये ।)

मैं आधे घंटे के लिये सदन को स्थगित करता हूँ ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 7 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 37 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 11 बजकर 37 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

(केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राजकीय कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की धनराशि का भुगतान करने की मांग)

****1-श्री कोविद कुमार सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति, राजकीय कर्मचारियों को माह जुलाई, 2005 से देय महंगाई भत्ते की किश्त का पूर्व वर्षों की भाँति भुगतान कराने के आदेश देगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

केन्द्रीय कर्मचारियों को जुलाई, 2005 से देय मंहगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी आदेश की प्रति प्राप्त होने पर, राजकीय कर्मचारियों को माह जुलाई, 2005 से बढ़ी हुई दर से मंहगाई भत्ते के भुगतान पर विचार किया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार यथासमय विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राजकीय कर्मचारियों को पचास प्रतिशत मूल वेतन में जोड़कर समस्त देय भत्तों के भुगतान की मांग

****2-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री राम प्रकाश त्रिपाठी तथा डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा राजकीय कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों की भाँति महँगाई भत्ते का पचास प्रतिशत अप्रैल, 2004 से मूल वेतन में जोड़ने का शासनादेश जारी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों की भाँति, राजकीय कर्मचारियों को अप्रैल, 2004 से महंगाई भत्ते का पचास प्रतिशत मूल वेतन में जोड़ने एवं उसके उपरान्त बढ़े हुए मूल वेतन की धनराशि पर महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता का भुगतान कराने हेतु शासनादेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

प्रदेश की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राज्य कर्मचारियों के मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर धनराशि को महंगाई वेतन में दिनांक 1-4-2005 से परिवर्तित किये जाने का शासनादेश दिनांक 22 सितम्बर, 2005 जारी किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नोट :- उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

प्रदेश की विषम वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार इससे पड़ने वाले वृहद व्यय भार को वहन करने की स्थिति मे नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

लखनऊ में गिरते भूगर्भीय जल स्तर को रोकने की प्रभावी योजना

***1-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-**

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में लगातार गिरते हुए भूगर्भीय जल स्तर को रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्य योजना बनायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

जी हां ।

लखनऊ तथा प्रदेश के कतिपय क्षेत्रो मे गिरते भू-जल स्तर के दृष्टिगत शासन द्वारा अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज करने की नीति निर्धारित की गई है तथा विगत दो वर्षों में निम्न महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए हैं :-

(1) प्रदेश मे रेन वाटर हार्वेस्टिंग/रिचार्जिग हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों/योजनाओं की नियमित समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्बन्धित विभागो के प्रमुख सचिवों की कार्यकारी समिति का गठन किया गया है ।

(2) वर्षा जल संचयन कार्यक्रमो का समन्वय एवं अनुश्रवण करने हेतु भूगर्भ जल निदेशालय को "नोडल एजेन्सी" तथा शासन स्तर पर लघु सिंचाई विभाग को "नोडल विभाग" घोषित किया गया है ।

(3) प्रत्येक जनपद हेतु वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज योजनाओं का जनपद स्तर पर एकीकृत प्लान तैयार करने विभिन्न विभागों में आपसी तकनीकी समन्वय स्थापित करने तथा प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय "तकनीकी समन्वय समिति" गठित की गई है ।

(4) नगरीय क्षेत्रों की महायोजना/जोनल प्लान में प्राकृतिक जलाशयों/तालाबों का संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है ।

(5) नगरीय क्षेत्रो मे 20 एकड़ अथवा अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं के लेआउट प्लान्स मे 5 प्रतिशत भूमि पर तालाब/जलाशय निर्मित किये जाने की व्यवस्था कर दी गयी है।

(6) नगरीय क्षेत्रों के पार्कों में पक्का निर्माण 5 प्रतिशत तक सीमित करने को अनिवार्य कर दिया गया है ।

(7) नगरीय क्षेत्रो मे 300 वर्ग मी0 अथवा अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में नव निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है और इसके लिए भवन निर्माण उपविधियों में यथाआवश्यक प्राविधान कर दिये गये है ।

(8) भविष्य नें निर्मित होने वाले शासकीय भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति स्थापित किये जाने को अनिवार्य कर दिया है तथा पूर्व निर्मित शासकीय भवनों में चरणबद्ध तरीके से इस पद्धति की स्थापना किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं ।

(9) भूगर्भ जल के प्रबन्धन, संतुलित उपयोग तथा संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता लाने हेतु प्रत्येक वर्ष 10 जून को सम्पूर्ण प्रदेश में भूगर्भ जल दिवस शासकीय दिवस के रूप में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

(10) शहरी क्षेत्रों में भूजल स्तर एवं उसकी गुणवत्ता के वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध तरीके से अनुश्रवण हेतु प्रथम चरण में ग्यारह नगरों में पीजोमीटर स्थापित किये जाने की योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है ।

(11) ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक चैक डैम तथा बन्धों का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार एवं नये तालाबों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है ।

उक्त निर्णयों के क्रम में लखनऊ में वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु निम्न कार्य किए गए हैं :-

(i) शहरी क्षेत्र में 300 वर्ग मी0 या उससे अधिक क्षेत्रफल के कुल 276 शासकीय/अर्द्ध शासकीय भवन चिन्हित किये गये हैं जिनमें से 48 भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति स्थापित की जा चुकी है ।

(ii) वित्तीय वर्ष 2005-06 में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा एक, भूगर्भ जल विभाग द्वारा पांच तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पन्द्रह भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(iii) शहरी क्षेत्र में 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्र फल के 150 निजी भवनों में मानचित्र स्वीकृत करते समय रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति का प्राविधान किया गया तथा इसके सापेक्ष 80 भवनों में यह पद्धति स्थापित की जा चुकी है । अवशेष 70 भवनों में से 31 भवनों में सीलबन्द/अभियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

(iv) शहरी क्षेत्र में दो तालाब/जलाशय का जीर्णोद्वार करके रिचार्ज वेल निर्मित किये गये ।

(v) लखनऊ में वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज के प्रचार-प्रसार हेतु दिनांक 10 जून, 2005 को भूजल दिवस मनाया गया ।

(vi) लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2005-06 में लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से रूपये 16.50 लाख की लागत से 5 तालाबों का जीर्णोद्वार किया जाना प्रस्तावित है ।

(vii) लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2005-06 में तालाबों के निर्माण हेतु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा रू0 134.00 लाख की कार्य योजना स्वीकृति की गई है ।

(viii) लखनऊ शहर में भूजल स्तर एवं उसकी गुणवत्ता के अनुश्रवण की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 में 40 पीजोमीटर की स्थापना का कार्य किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

***2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सरकारी प्राइमरी व जूनियर विद्यालयों में आवश्यकता से कितने अध्यापक व प्रधानाध्यापक कम हैं ? इन अध्यापकों की नियुक्ति के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा इस पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरनपाल सिंह)-

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 17420 तथा सहायक अध्यापक के 76888 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक 13524 एवं सहायक अध्यापक 24764 पद रिक्त हैं ।

कार्यवाही गतिमान है ।

जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत एवं गाजियाबाद की पूर्वी यमुना नहर प्रणाली की पुनर्स्थापना की मांग

***3-डा0 अजय कुमार-**

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद सहारनपुर , मुजफ्फरनगर, बागपत एवं गाजियाबाद को सिंचित करने वाली पूर्वी यमुना नहर प्रणाली लगभग 200 वर्ष पुरानी होने के कारण उक्त नहर प्रणाली की पुनर्स्थापना किया जाना आवश्यक है ? यदि हां, तो उक्त की पुनर्स्थापना किये जाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं तथा इस नहर प्रणाली की पुनर्स्थापना कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान)-

जी हाँ ।

विभाग से प्राप्त इस हेतु रू0 1513.86 लाख की परियोजना व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जो समिति की बैठक दिनांक 2/04/04 में रू0 1442.33 लाख की लागत पर अनुमोदित हुयी । तत्पश्चात् वित्त पोषण के लिए परियोजना नाबार्ड को प्रेषित की गयी । नाबार्ड द्वारा यह सुझाव दिया गया कि परियोजना को वर्तमान दर पर पुनरीक्षित किया जाए । तद्नुसार वर्ष 2005 की दरों पर परियोजना को पुनरीक्षित कर लिया गया है तथा उसे नाबार्ड को प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

धनराशि की व्यवस्था होने पर लगभग दो वर्षों में पुनर्स्थापना करा दी जाएगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रवक्ता ग्रेड परीक्षा के पर्चे आउट होने में दोषियों के विरूद्ध कार्यावाही की मांग

***4-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रवक्ता ग्रेड परीक्षा जो कि 4 सितम्बर, 2005 को सम्पन्न कराई गई है, के कुछ विषयों के परचे आउट हो गये थे ? क्या

इस अनियमितता के विरूद्ध परीक्षार्थियों ने चयन बोर्ड के एलनगंज, इलाहाबाद कार्यालय में विरोध प्रकट किया था ? यदि हां, तो परीक्षार्थियों की मांग क्या है ? क्या लगभग 6 माह पूर्व एल0टी0 ग्रेड भर्ती परीक्षा में भी कुछ प्रश्न-पत्र पहले ही आउट हो गये थे जिनकी परीक्षा निरस्त कर दी गई थी ? यदि हां, तो दोषी लोगों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? परीक्षाओं की पवित्रता बनाये रखने हेतु शासन क्या कोई पारदर्शी नीति बनायेगा ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं, इस आशय का एक समाचार प्रकाशित हुआ था । जिसके कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई ।

जी हाँ ।

परीक्षा निरस्त की जाय ।

जी हाँ ।

सम्बन्धित फर्म के भुगतान को रोक दिया गया है । शासन द्वारा निर्धारित परीक्षा व्यवस्था पूर्ण पारदर्शी एवं सुचिता पूर्ण है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश में वित्त विहीन उच्च शिक्षण संस्थाओं के छात्रों की छात्रवृत्ति का चेक द्वारा वितरण

***5-श्री राम इकबाल सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त विहीन उच्च शिक्षण संस्थाओं में पात्र छात्रों को चेक द्वारा छात्रवृत्ति देने की कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त छात्रवृत्ति का वितरण चेक द्वारा किये जाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

उच्च शिक्षण संस्थाओं में पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना द्वारा प्रतिपादित नियमों के अन्तर्गत दी जाती है जिसमें यह व्यवस्था है कि संस्थाप्रमुख छात्रवृत्ति की राशि को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा जो उसे प्रदत्त किया गया हो, व्यक्तिगत जमा खाते (पर्सनल डिपाजिट एकाउन्ट) में जमा कर देगें वह इस खाते को छात्र को छात्रवृत्ति देने के लिए प्रत्येक महीने के पहिले सप्ताह में वह राशि अग्रिम रूप से निकालेंगे ।

इससे स्पष्ट है कि छात्रवृत्ति भुगतान हेतु नियमावली में चेक के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था नहीं है किन्तु उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत छात्र कल्याण निधि द्वारा उ0प्र0 के समस्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन एवं मेधावी पात्र छात्रों/छात्राओं को छत्रवृत्ति चेक द्वारा वितरित की जाती है ।

प्रदेश में हाई स्कूल एवं इण्टर की परीक्षाओं में नकल रोकने की कार्य योजना

***6-श्री श्याम देव राय चौधरी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद की हाई स्कूल एवं इण्टर की परीक्षाओं को नकल विहीन कराये जाने हेतु क्या सरकार कोई कार्य योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 द्वारा संचालित हाई स्कूल एवं इण्टर की परीक्षाओं को नकलविहीन कराये जाने हेतु सरकार की कार्ययोजना/नीति पहले से ही प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की आयु 62 वर्ष करने की मांग

***7-कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अधिवर्षता आयु 62 वर्ष करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक राजकीय कार्मिकों की श्रेणी में आते हैं । जो सुविधायें/नियम/सेवा शर्तें राजकीय कर्मचारियों पर प्रभावी हैं वही राजकीय माध्यमिक विद्यालयों पर लागू होती हैं ।

अत: राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष किये जाने का औचित्य नहीं है ।

जनपद प्रतापगढ़ में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम में उपलब्ध धनराशि में वित्तीय अनियमितता की जाँच

***8-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिहं-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में संचालित सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के लिये उपलब्ध राजकीय धनराशि वित्तीय वर्ष 2000-2001 में लगभग 5.12 करोड़ तथा 2001-2002 में 5.69 करोड़ एवं वर्ष 2003-2004 में 4.97 करोड़ एवं 2004-05 में 3.66 करोड़ रूपयें पुस्तक, कम्प्यूटर, प्रचार, प्रसार, स्टाइपेंड, अन्य मदों में खर्च करने हेतु प्राप्त हुआ था ? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि में घोर वित्तीय अनियमिततायें करके रू0 3.66 करोड़ का दुरूपयोग किया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्च स्तरीय समिति का गठन करके करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जनपद प्रतापगढ़ में संचालित सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के लिए संदर्भित वर्षों में उल्लिखित धनराशियां प्राप्त न होकर वर्ष 2000-2001 में 1.06 करोड़, वर्ष 2001-2002 में रूपये 0.21 करोड़, वर्ष 2003-2004 में रू0 4.24 करोड़ तथा वर्ष 2004-05 में शून्य कुल 5.51 करोड़ की धनराशि भारत सरकार/राज्य सरकार से विभिन्न मदों में खर्च करने हेतु प्राप्त हुई थी ।

जी नही ।

साक्षरता कार्यक्रम में व्यय की गयी धनराशि के दुरूपयोग आदि की शिकायत के संबंध में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, भारत सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा भारत सरकार द्वारा दिनांक 29/30 जुलाई, 2005 को राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी एवं निदेशक, राज्य संसाधन केन्द्र, लखनऊ के सहयोग से जाँच की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में सम्पूर्ण साक्षरता हेतु निर्धारित लक्ष्य

***9-श्री राम करन आर्य-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत क्या है ? इनमें महिलाएं कितने प्रतिशत शिक्षित हैं ? क्या सरकार द्वारा सम्पूर्ण साक्षरता हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

प्रदेश में वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 56.30 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं । इनमें 42.20 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं ।

जी हाँ ।

वर्ष 2007 तक 15-35 व्यय देय वर्ग हेतु 75 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति हेतु समकक्ष डिग्री धारकों को भी सम्मिलित किये जाने की मांग

***10-श्री जियाउद्दीन रिजवी-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005-06 में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उर्दू से मुअल्लिम, अदीब माहीर एवं अदीब कामिल जो बी0एड0 के समकक्ष डिग्रियां हैं के धारकों को उर्दू के चयन में सम्मिलित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हाँ । बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में उर्दू विषय में प्रवीणता रखने वाले सहायक अध्यापकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए 3000 स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों को दो वर्षीय बी0टी0सी0 (उर्दू) के विशेष प्रशिक्षण हेतु चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

द्वि-वर्षीय बी0टी0सी0 उर्दू के विशेष प्रशिक्षण हेतु शासनादेश संख्या-534/79-5-2005-12/04 दिनांक 16 फरवरी, 2005 के क्रम में स्नातक योग्यताधारी ऐसे अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गये हैं, जिन्होंने हाई स्कूल एवं इण्टर स्तर पर उर्दू विषय के रूप में परीक्षा उत्तीण की हो । उर्दू प्रवीणता के सम्बन्ध में ऐसे अभ्यर्थियों के भी आवेदन पत्र मान्य होगें जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश अथवा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समकक्ष घोषित प्रवीणता से संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण की हो जामियां उर्दू अलीगढ़ की अदीव-ए-माहिर एवं अदीव-ए-कामिल को क्रमशः इण्टरमीडिएट (उर्दू) तथा बी0ए0 (उर्दू) की समकक्षता प्रदान की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों से अतिरिक्त कार्य कराये जाने की नीति बदलने की मांग

***11-श्री हरि प्रताप सिंह-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य कराये जाने के कारण छात्रों की शिक्षा प्रभावित होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नीति को बदलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षिकाओं से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त जनहित के कार्य लिये जाते हैं किन्तु शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासनादेश दिनांक 29-12-2000 में अध्यापकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त गैर शैक्षणिक कार्यों को करने की व्यवस्था होने एवं शिक्षण कार्य न प्रभावित होने के कारण ।

जनपद आजमगढ़ में टोन्स नदी की बाढ़ से बचाने की योजना की जानकारी

***12-श्रीमती विद्या चौधरी-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में टोन्स नदी की बाढ़ से बचाव हेतु क्या सरकार उक्त नदी को गहरा करने की कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं ।

नदी को गहरा करना तकनीकी रूप से बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद सीतापुर में परिषदीय विद्यालयों में गत वर्ष नियुक्त अध्यापकों की नियुक्ति का विवरण

1-श्री अनिल कुमार वर्मा तथा श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सीतापुर जनपद में परिषदीय विद्यालयों में वर्ष 2004-2005 में

शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु जूनियर हाई स्कूल के विषयवार अध्यापन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर ने किस-किस विद्यालय में छात्र संख्या के हिसाब से कितने-कितने अध्यापक विषयवार नियुक्त किये हैं ? क्या सरकार कार्यरत अध्यापकों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ।

श्री किरनपाल सिंह-

जनपद सीतापुर में परिषदीय विद्यालयों में वर्ष 2004-2005 में शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु जूनियर हाई स्कूलों में विषयवार अध्यापन के लिए 691 विद्यालयों में 249 अध्यापक संस्कृत विषय के, 351 अध्यापक विज्ञान विषय के तथा 1175 अध्यापक सामान्य विषयों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पदोन्नति के फलस्वरूप नियुक्त किये गये हैं ।

जनपद सीतापुर के परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत अध्यापकों का संख्यात्मक विवरण संलग्न† है ।

जनपद बलिया में माध्यमिक शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति की जाँच पर कार्यवाही की मांग

2-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद बलिया में वर्ष 1995 में माध्यमिक शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति, वेतन भुगतान व जी0पी0एफ0 घोटाले की जांच शासन ने सी0बी0आई0डी0 (वराणसी खण्ड) से कराई थी तथा इसकी जांच के बाद 2002 में सदर कोतवाली बलिया में 90 लोगों के विरूद्व मुकदमा दर्ज कराया था ? यदि हां, तो दोषी लोगों के विरूद्व क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ ।

अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, खण्ड वाराणसी द्वारा दिनांक 25-4-2002 को मु0अ0सं0 202 से 207/2002 तक अन्तर्गत धारा 420/267/468/471/201/120 बी0 भा0दं0वि0 थाना कोतवाली जनपद-बलिया में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लिपिकगण, प्रबन्धक, प्रधानाचार्य एवं अध्यापकगण के विरूद्व 06 अभियोग तहसील वार पंजीकृत कराये गये । उपरोक्त सभी प्रकरणों की विवेचना अपराध शाखा द्वारा पूर्ण करके अंतिम प्रगति आख्या दिनांक 31-12-2004 को अनुमोदित की गयी । अपराध शाखा की विवेचना आख्या में की गयी संस्तुति के अनुसार आरोप पत्र एवं अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करने संबंधी कार्यवाही पूर्ण की गयी । अपराध शाखा की विवेचना आख्या अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अन्य अभियुक्तों की संख्या निम्नलिखित है :-

जिला विद्यालय निरीक्षक	05
वित्त एवं लेखाधिकारी	01
लिपिकगण कार्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया	17
प्रबन्धक	29
प्रधानाचार्य	35
अध्यापकगण	278

†देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ सं0 99 पर ।

उपरोक्त सभा के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है । वर्तमान में वाद न्यायालय के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में सामूहिक नकल की शिकायतों पर कार्यवाही की जानकारी

3-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005 में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 की परीक्षायें प्रदेश में कितने परीक्षा केन्द्रों पर सम्पन्न हुई तथा कितने केन्द्रों पर नकल के मामले पकड़े गये? प्रदेश में कितने परीक्षा केन्द्रों के परीक्षा सुपरिन्टेन्डेट तथा कक्ष निरीक्षकों को नकल कराने में संलिप्त पाया गया तथा इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कुछ जनपदों में सामूहिक नकल की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो ऐसे परीक्षा केन्द्रों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विधान सभा गेट नम्बर-8 एवं 10 के सामने व्यवसायिक दुकानों के निर्माण का कथित प्रकरण

4-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान भवन के गेट नम्बर-8 एवं 10 के सामने पूजा गृह में व्यवसायिक दुकानों का निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इसकी अनुमति ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली-

विधान भवन के गेट नम्बर-8 एवं 10 के सामने स्थित शाही मस्जिद में वर्तमान में व्यवसायिक दुकानों का कोई निर्माण नहीं कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली विकास खण्ड डलमऊ के अन्तर्गत ज्योतिबाराव फूले प्रा0 वि0 कन्धारपुर में छात्रवृत्ति वितरण कराने की मांग

5-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली वि0 खं0 डलमऊ के अन्तर्गत ज्योतिबाराब फूले प्रा0 वि0 कन्धापुर (बराराबुजुर्ग) के अनु0 जाति के 80 छात्र-छात्राओं एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 71 छात्र-छात्राओं को वर्ष 2004-05 की छात्रवृति का वितरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री किरनपाल सिंह-

ज्यातिबाराव फूले प्रा0वि0 कन्धारपुर (बरारबुजुर्ग), वि0खं0-डलमऊ जनपद रायबरेली में वर्ष 2004-05 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के 80 छात्र-छात्राओं के सापेक्ष 32 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित की गयी । अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्ययनरत 71 छात्र-छात्राओं को वर्ष 2004-05 की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जा सकी ।

अनुसूचित जाति के 32 छात्र-छात्राओं को दिनांक 28-7-2005 को छात्रवृत्ति वितरित कर दी गयी है । अनुसूचित जाति के 48 छात्र-छात्राओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति हेतु धनराशि स्वीकृत न करने के कारण उक्त छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति वितरित नहीं की जा सकी । अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्ययनरत 71 छात्र-छात्राओं के आवेदन पत्र संस्था द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को प्रेषित न करने के कारण उक्त छात्रों की छात्रवृत्ति की धनराशि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप अन्य पिछड़ा वर्ग के 71 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित नहीं की जा सकी ।

उक्त संस्था के अधिकारियों की उदासीनता के कारण विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जा रही है । जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी की उदासीनता के लिए उन्हें वर्ष 2005-06 की गोपनीय प्रविष्टि में भर्त्सनात्मक प्रविष्टि अंकित कर दी गयी है ।

जनपद हरदोई के गंगादेवी इण्टर कालेज की सेवानिवृत्त प्रवक्ता श्रीमती निर्मल मिश्र के पेंशन के भुगतान कराने की मांग

6-श्री बैजनाथ दूबे-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती निर्मल मिश्र, सेवानिवृत्त प्रवक्ता, गंगादेवी इण्टर कालेज, हरदोई ने अपनी पेंशन संशोधित करने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 24-3-2004 को प्रार्थना-पत्र दिया था, जिस पर मा0 मुख्य मंत्री जी के विशेष कार्याधिकारी ने दिनांक 24-3-04 को उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को अन्तिम वेतन परिलब्धियों के आधार पर पेंशन का निर्धारण एवं भुगतान किये जाने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

नियमानुसार देय वेतन के आधार पर पेंशन निर्धारण किया जा चुका है । नियमानुसार देय वेतन के आधार पर पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है । प्रार्थी द्वारा मूल वेतन के आधार पर पेंशन निर्धारण की मांग की गयी थी, जो कि त्रुटिपूर्ण था । प्रार्थनी को वास्तविक रूप से देय वेतन के आधार पर रू0 8100.00 के आधार पर पूर्ण पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है ।

जनपद वाराबंकी के विकास खण्ड सूरतगंज में स्थित राजकीय इण्टर कालेज में मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती कराने की मांग

7-श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड सूरतगंज, जनपद बाराबंकी में स्थित राजकीय इण्टर कालेज में इण्टरमीडिएट कक्षा हेतु मात्र एक ही शिक्षक नियुक्त होने के कारण छात्रों की शिक्षा

सुचारू रूप से नहीं चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रवक्ता के स्वीकृत 06 पद के सापेक्ष 04 प्रवक्ता कार्यरत हैं । शिक्षण कार्य सुचारू रूप से उपलब्ध प्रवक्ताओं तथा एल0टी0 ग्रेड के कार्यरत अन्य शिक्षकों से चलाया जा रहा है ।

एक गणित तथा एक इतिहास कुल दो प्रवक्ता के पद रिक्त हैं । रिक्त दो पदों पर लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी प्राप्त होने पर तैनाती कर दी जायेगी ।

उक्तवत ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के सेवाश्रम इण्टर कालेज ढिढुयी में अनियमित रूप से नियुक्त अध्यापकों की सेवा समाप्त करने की मांग

8-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ऊर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ के सेवाश्रम इण्टर कालेज, ढिढुयी में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लिये आरक्षित पदों पर सामान्य जाति के अध्यापक कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या अनियमित रूप से नियुक्त अध्यापकों की सेवा समाप्त करके उनको किये गये वेतन भुगतान की वसूली ब्याज सहित सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ ।

07 अध्यापक मा0 उच्च न्यायालय के आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे हैं, और कार्यरत हैं । चयन बोर्ड से तीन चयनित अभ्यर्थी का पैनल प्राप्त हुआ था, परन्तु तदर्थ रूप से कार्यरत अध्यापकों ने मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है, जिससे प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन हो गया है । शेष अध्यापकों को चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त उनकी सेवायें स्वत: समाप्त हो जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में परिषदीय तथा वित्तीय सहायता प्राप्त प्राइमरी व जूनियर विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

9-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में प्रदेश में परिषद् द्वारा संचालित तथा वित्तीय सहायता प्राप्त प्राइमरी व जूनियर विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार इन रिक्त पदों की पूर्ति के लिये बी0एड0/एल0टी0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को सेवायोजित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्रा0 विद्यालयों में शिक्षकों के कुल 76888 पद तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 24764 पद रिक्त हैं । वित्तीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों का पद रिक्त नहीं है ।

46189 रिक्त पदों को बी0एड0/एल0टी0/बी0पी0एड0/सी0पी0एड0 एवं डी0पी0एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को छः माह का विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण कराने के उपरान्त सफल अभ्यर्थियों से भरे जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

10-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

[दूसरे गुरूवार के अता0 प्र0सं0 100 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष किये जाने की मांग

11-श्री मदन चौहान तथा श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्राथमिक शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी उक्त लाभ देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हाँ ।

जी नहीं ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष किए जाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

जनपद कौशाम्बी के श्री ब्रह्मचारी इण्टर कालेज तिल्हापुर के प्रधानाचार्य की जन्मतिथि की जाँच पर कार्यवाही

12-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-9-05 जो श्री ब्रह्मचारी इण्टर कालेज, तिल्हापुर, कौशाम्बी के प्रधानाचार्य की जन्मतिथि की जांच कराने के सम्बन्ध में था, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा दि0 9-3-05 के प्रमाणक द्वारा प्रधानाचार्य की जन्मतिथि 08-03-1940 प्रमाणित की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि 60 वर्ष की आयु के बाद भी सम्बन्धित प्रधानाचार्य उक्त पद पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अनियमितता के लिये कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक को जाँच हेतु निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जाँच करायी जा रही है ।

--तदैव--

जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही के निर्देश संयुक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद को दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चन्दौली की चन्द्रप्रभा परियोजना प्रखण्ड की सामान्य अनुरक्षण मद की धनराशि दूसरे जनपद प्रखण्ड को स्थानान्तरित करने पर कार्यवाही की माँग

13-श्री कपिल देव यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004-05 में जनपद चन्दौली स्थित चन्द्रप्रभा परियोजना की नहरों हेतु शासन द्वारा सिंचाई विभाग को आवंटित सामान्य अनुरक्षण एवं मरम्मत की धनराशि मुख्य अभियन्ता (सोन) द्वारा देवकली पम्प नहर प्रखण्ड द्वितीय गाजीपुर एवं टोंस पम्प नहर प्रखण्ड इलाहाबाद को स्थानान्तरित कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या एक जनपद/प्रखण्ड की सामान्य अनुरक्षण मद की धनराशि दूसरे जनपद-प्रखण्ड को स्थानान्तरित करना नियमानुकूल है ?.यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा मुख्य अभियन्ता (सोन) के विरूद अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हाँ ।

शासन द्वारा प्रश्नगत धनराशि को स्थानान्तरित करना नियमानुकूल है परन्तु मुख्य अभियन्ता को धनराशि के स्थानान्तरण करने का अधिकार नहीं है । मुख्य अभियन्ता (परिकल्प एवं शोध) को जाँच के आदेश दिये गये हैं । जाँच के परिणाम प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद लखनऊ के मोहनलाल गंज क्षेत्र के ग्राम रायपुर में लोनी नाले पर पुल की मरम्मत कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही

14-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के मोहनलाल गंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रायपुर के पास लोनी नाले पर बने पुल की मरम्मत कराये जाने विषयक विधायक श्री आर0के0 चौधरी द्वारा दिनांक 16-09-2003 को नियम-301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री द्वारा अर्द्ध शा0प0 सं0-4597/2003/27-सि0-5-301(1)/03, दिनांक 5 दिसम्बर, 03 के द्वारा यह सूचना दी गयी थी कि उक्त कार्य जून, 2004 तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य समयावधि के अन्तर्गत पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जनहित के इस कार्य को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हाँ ।

जी नहीं ।

क्षतिग्रस्त पुल की वृहत संरचना को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश संतु निगम से पुल का निरीक्षण कराया गया । सेतु निगम द्वारा मरम्मत के स्थान पर नये पुल के निर्माण का सुझाव दिया गया है । उक्त पुल के नवनिर्माण का परियोजना प्राक्कलन तैयार कर मुख्य अभियन्ता समिति को प्रस्तुत कर दिया गया है । योजना स्वीकृत होने के उपरांत धन की उपलब्धता होने पर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ।

व्यावसायिक शिक्षा विभाग शिक्षा निदेशालय द्वारा इण्टर कालेजों में कम्प्यूटर स्थापना के सम्बन्ध में जानकारी

15-श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2000-01 में इण्टर कालेजों में कम्प्यूटर स्थापना हेतु 1500 कम्प्यूटरों की खरीद का धन 73 गुलमोहर पार्क दिल्ली स्थित अमेरिकी कम्पनी नेट वाला को व्यावसायिक शिक्षा विभाग, शिक्षा निदेशालय से दिया गया था ? यदि हां, तो क्या कम्प्यूटरों की स्थापना करा दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद के ईमानदार कर्मचारियों के उत्पीड़न का सी0बी0आई0 जाँच विषयक प्राप्त पत्र

16-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0 प्र0 इलाहाबाद के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-3-2005 एवं श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 6-3-2005 जो क्रमश: मुख्य मंत्री एवं सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 इलाहाबाद को सम्बोधित है, जिसमें मूल पत्र गायब कर बिना मुख्य मंत्री के हस्ताक्षर के कूटरचित अभिलेख तैयार कर ईमानदार कर्मचारियों के उत्पीड़न की सी0बी0आई0 जांच विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की बिन्दुवार जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो कब और उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं वित्त लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा लखनऊ के कार्यालय में कार्यरत शिक्षकों को कार्यमुक्त किये जाने की मांग

17-श्री अनिल कुमार मौर्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ एवं वित्त लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, लखनऊ के कार्यालय में कितने शिक्षक कार्यरत हैं ? क्या इससे विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है ? क्या सरकार उक्त अध्यापकों को कार्यालय से हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

कुल 07 शिक्षक सम्बद्ध थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्बद्ध शिक्षकों को पूर्व में ही कार्यमुक्त किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के शिया महाविद्यालय डालीगंज लखनऊ में नियुक्त शिक्षकों के पूर्ण विवरण की जानकारी

18-श्री अनिल कुमार मौर्य-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2005 के पहले मंगल के लिये निर्धारित श्री जगदीश नारायण राय स0वि0स0 के अता0 प्र0 सं0 55 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिया महाविद्यालय, डालीगंज, लखनऊ में विज्ञान संकाय में दिनांक 31-12-2002 तक नियुक्त शिक्षकों में से कौन-कौन शिक्षक पी0एच0डी0 उपाधि धारक थे एवं कौन-कौन शिक्षक ऐसे हैं जो शोध प्रबन्ध प्रस्तुत कर चुके हैं ? क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूची संलग्न† है ।

कोई नहीं ।

जी हॉ । सूची संलग्न है ।

जनपद जौनपुर के ब्लाक बख्शा के ग्राम अटरा में प्राइमरी स्कूल के निर्माण सम्बन्धी कार्य को पूर्ण कराने की मांग

19-श्री अनिल कुमार मौर्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के ब्लाक बख्शा के ग्राम अटरा में स्थित प्राइमरी स्कूल का भवन, बाउन्ड्रीवाल व एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ सं0 100 पर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद-जौनपुर के स्थित ब्लाक बख्शा के ग्राम अटरा में स्थित प्राथमिक विद्यालय का भवन एवं अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य पूर्ण है तथा चहारदीवारी का निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्यालयों मे चहारदीवारी निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

जनपद-जौनपुर के ब्लाक बख्शा के ग्राम अटरा के प्राइमरी स्कूल में प्रधानाचार्य के रिक्त पद को भरने की मांग

20-श्री अनिल कुमार मौर्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के ब्लाक बख्शा के ग्राम अटरा में स्थित प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है ? यदि हां, तो उक्त रिक्त पद पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हाँ ।

प्रधानाध्यापक का पद पदोन्नति का है । पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बी0टी0सी0 प्रशिक्षणार्थियों के परीक्षाफल घोषित करने सम्बन्धी कथित-पत्र

21-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0टी0सी0 बैच-2001 के प्रशिक्षणार्थियों के परीक्षाफल घोषित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-8-2005 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद-इलाहाबाद की ग्राम सभा नीबी, बारा में निर्मित कमला पम्प नहर में कृषकों की अधिगृहीत भूमि के मुआवजे की मांग

22-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा नीबी, बारा इलाहाबाद में निर्मित कमला पम्प नहर में कृषकों की अधिगृहीत जमीनों का मुआवजा दे दिया गया है । यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो मुआवजा कब तक प्रदान कर दिया जायेगा ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आपसी समझौते के आधार पर भू-प्रतिकर के निर्धारण की कार्यवाही प्रगति पर है । भू-प्रतिकर का निर्धारण हो जाने के पश्चात मुआवजे का भुगतान कर दिया जायेगा ।

जनपद-गोण्डा की दि-बलरामपुर चीनी मिल बभनान इकाई द्वारा दूषित पानी बिसुही नदी में बहाने पर रोक

23-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" तथा श्री संजीव दरियाबादी-

क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री को जानकारी है कि दि-बलरामपुर चीनी मिल बभनान इकाई, गोण्डा के रसायनिक एवं मदिरा फैक्ट्री का प्रदूषित पानी फुहरी तालाब से मकोइया तालाब होते हुए बिसुही नदी में डाला जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रदूषित जल प्रवाह को रोकने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

वर्तमान में बिसुही नदी में प्रश्नगत फैक्ट्री का प्रदूषित पानी नहीं डाला जा रहा है ।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लिखा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि उक्त फैक्ट्री चलने पर उनके द्वारा नदी में प्रदूषित पानी न बहाया जाये ।

प्रश्न नही उठता ।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र बांसगांव के राजकीय कन्या इण्टर कालेज में मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

24-श्री सदल प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र बांसगांव में स्थित राजकीय कन्या इण्टर कालेज, बांसगांव में मानक के अनुरूप अध्यापकों की नियुक्ति न होने के कारण वहां पर पढ़ने वाली बालिकाओं को असुबिधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालेज में मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ ।

जी हाँ ।

लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से चयनित प्रवक्ताओं की सूची प्राप्त होने तथा एल0टी0 ग्रेड के अध्यापकों के संबंध में मा0 न्यायालय से अग्रेतर आदेश प्राप्त होने के उपरान्त नियुक्ति की कार्यवाही की जा सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय कन्या महाविद्यालय लखनऊ में बी0एस0सी0 की कक्षाएं प्रारम्भ करने की मांग

25-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ में पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय कन्या महाविद्यालय में बी0एस0सी0 की कक्षाएं प्रारम्भ करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो किन-किन विषयों में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ ।

बी0एस0सी0 की कक्षाओं के संचालन हेतु आवश्यक पद सृजित कर दिये गये हैं । लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्तता प्राप्त होने पर कक्षायें प्रारम्भ कर दी जायेंगी ।

भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड कुड़वार की चहटा माइनर की सफाई की मांग

26-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड कुड़वार जनपद सुल्तानपुर की चहटा माइनर जो चहटा तालाब से निकल कर करहवा झील में मिलती है, की सफाई न होने के कारण हजारों एकड़ जमीन जलमग्न रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनर की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

इस नाम की कोई माइनर नहीं है । अपितु यह ड्रेन है जिसके कुछ भाग में जल भराव की समस्या रहती है ।

प्रश्नगत ड्रेन की सफाई की जायेगी ।

जून, 2006 तक सफाई/पुनर्स्थापना करवाये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अपर निदेशक आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग की विशेष सम्परीक्षा रिपोर्ट पर कार्यवाही की जानकारी

27-श्री बादशाह सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के पत्र संख्या 514/943 पा0 कार्यालय/04, दिनांक 24-7-2004 के अनुपालन में अपर निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग की विशेष सम्परीक्षा रिपोर्ट शासन को दिनांक 13 जनवरी, 2005 को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ? उक्त जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही कब तक होगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ ।

आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग की विशेष सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विभागीय कार्यवाही प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी एवं जौनपुर, सुल्तानपुर की नहरों की सफाई कराने की मांग

28-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पट्टी विधान सभा क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ में सिंचाई खण्ड-51,. सिंचाई खण्ड-36 जौनपुर, सिंचाई खण्ड सुल्तानपुर के अन्तर्गत पड़ने वाली नहरों की सफाई 2004-05 एवं 2005-06 में कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त नहरों की सफाई कब तक करा दी जायेगी ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं ।

पट्टी विधान सभा क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ में सिंचाई खण्ड-51 तथा सिंचाई खण्ड-3 नहीं है । अपितु क्षेत्र में शारदा सहायक खण्ड-51, प्रतापगढ़, शारदा सहायक खण्ड-36 जौनपुर तथा सिंचाई खण्ड सुल्तानपुर है । वर्ष 2004-05 में उक्त खण्डों में सिल्ट सफाई क्रमशः 76.35 कि0मी0, 03.72 कि0मी0 एवं 9.94 कि0मी0 करा दिया गया था । वर्ष 2005-06 में नहरों की सफाई प्रारम्भ कर दी गयी है ।

वर्ष 2004-05 में सिल्ट सफाई कराई गयी थी तथा 2005-06 में सिल्ट सफाई का कार्य प्रगति में है । उक्त नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य प्रगति में है ।

लखनऊ के सैनिक स्कूल के कर्मचारियों व शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ दिलाये जाने की मांग

29-श्री रामकरन आर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, सरोजनीनगर, लखनऊ के कर्मचारियों व शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ वर्ष 1996 से न देकर जुलाई 2001 से दिया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार इसके जिम्मेदार अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए अन्य शिक्षकों की भांति पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ वर्ष 1996 से देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल पर लागू नहीं हैं अपितु राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत अनुदानित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतनमान पुनरीक्षण हेतु गठित बजाज समिति की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमानों का पुनरीक्षण किया गया है क्योंकि सैनिक स्कूल भी एक ऐसा संस्थान है जिसके कर्मचारियों के वेतन के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ के सुमेरा हरदुआगंज रजबहा में पानी टेल तक पहुंचाने की मांग

30-चौ0 महेन्द्र सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के सुमेरा हरदुआगंज रजबहा में विगत 10 वर्षों से टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रजबहा की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुचाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जनपद अलीगढ़ के सुमेरा रजबाहा की कुल लम्बाई 44.560 किमी0 है इस रजबाहे की किमी0 -33.000 किमी0 तक पानी पहुंचा है कि0मी0 33.00 से 44.560 तक रजबाहा अत्याधक क्षतिग्रस्त होने के कारण छौर भाग असिंचित रह जाता है ।

जनपद अलीगढ़ के हरदुआगंज रजबाहे की कुल लम्बाई 47.450 किमी0 है । गत 10 वर्षों मे इस रजबाहे से रबी एवं खरीफ दोनों फसलों (मात्र फसली 1410 को छोड़कर) में पानी पहुंचा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हाँ ।

इसी वित्तीय वर्ष 2005-06 मे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी को विगत दो वर्षों में विद्यालयों की मरम्मत, निर्माण एवं साज सज्जा आदि पर प्राप्त धनराशि व व्यय का विवरण

31-चौ0 महेन्द्र सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़ को विगत दो वर्षों में शासन से विद्यालय मरम्मत नये स्कूलों के निर्माण, साज संज्जा, गाड़ी तथा अन्य मदों में कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा कितनी खर्च की गई है ? क्या खर्च की गई धनराशि का विशेष आडिट कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह -

विगत दो वर्षों में जनपद-अलीगढ़ को प्राप्त धनराशि तथा व्यय की गयी धनराशि का विभिन्न मदों का विवरण निम्नवत है :-

क्र0-सं0	मद	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि
	वर्ष 2003-04		
1-	विद्यालय मरम्मत	6,00,000	5,72,942
	नये विद्यालय निर्माण		
	13 प्राथमिक विद्यालय	33,67,000	33,67,000
	76 उच्च प्राथमिक विद्यालय	2,12,80,000	2,12,80,000

क्र0-सं0	मद	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि
	वर्ष 2003-04		
3-	साज-सज्जा	12,59,950	12,59,950
4-	गाड़ी (ईंधन/रख-रखाव)	45,000	45,000
5-	अन्य मद		
	136 प्रा0 विद्यालय (पुर्ननिर्माण)	2,50,76,000	2,50,76,000
	16 उच्च प्रा0 विद्यालय (पुर्ननिर्माण)	61,28,000	61,28,000
	योग:-	**5,86,55,950**	**5,86,28,892**
	वर्ष 2004-05		
1-	विद्यालय मरम्मत	--	--
2-	नये विद्यालय निर्माण		
	23 प्राथमिक विद्यालय	79,35,000	79,35,000
	10 उच्च प्राथमिक विद्यालय	32,00,000	32,00,000
3-	साज-सज्जा	12,59,950	12,59,950
4-	गाड़ी (ईंधन/रख-रखाव)	10,000	10,000
5-	अन्य मद		
	31 प्रा0 विद्यालय (पुनर्निर्माण)	75,64,000	75,64,000
	07 उच्च प्रा0 विद्यालय (पुनर्निर्माण)	34,65,000	34,65,000
	योग:-	**2,34,33,950**	**2,34,33,950**

प्राप्त धनराशि तथा व्यय का आडिट महालेखाकार उ0प्र0 द्वारा किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियुक्त चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा भी ऑडिट किया जा चुका है । वर्तमान में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा भी ऑडिट किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त विशेष ऑडिट की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ के राजकीय बालिका इण्टर कालेज की संख्या एवं मानक के निर्धारण की जानकारी

32-चौ0 महेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में कितने राजकीय बालिका इण्टर कालेज हैं ? क्या कोल विधान सभा क्षेत्र में मानक के अनुसार राजकीय बालिका इण्टर कालेज हैं ? यदि नहीं, तो उक्त क्षेत्र में सरकार बालिका इण्टर कालेज खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद अलीगढ़ में 5 राजकीय बालिका इण्टर कालेज संचालित हैं । कोल विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय बालिका इण्टर कालेज कलाई में संचालित है । विधान क्षेत्र के लिए राजकीय इण्टर कालेज खोलने का कोई मानक नहीं है ।

जी नहीं ।

सीधे राजकीय इण्टर कालेज खोलने की कोई योजना नहीं है ।

प्रदेश के माध्यामिक कालेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग

33-चौ0 महेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के माध्यमिक कालेजों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? उक्त रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव

अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रवक्ता के 322 पद तथा स्नातक वेतन क्रम के 2306 पद रिक्त हैं तथा राजकीय मा0 विद्यालयों में प्रवक्ता के 539 तथा स्नातक वेतन क्रम के 1302 पद रिक्त हैं । 2306 स्नातक वेतन क्रम (अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय) तथा प्रवक्ता वेतन क्रम के 322 रिक्त पदों पर अधियाचन मा0 शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित किया जा चुका है । चयन की कार्यवाही आयोग द्वारा करायी जा रही है ।

राजकीय विद्यालय के इन रिक्त पदों के प्रति 150 महिला तथा 176 पुरूषों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है जिनके प्रति चयन की कार्यवाही गतिमान है । 213 पद पदोन्नति कोटे के हैं जिनपर कार्यपवाही गतिमान है । स्नातक वेतन क्रम के पदों पर चयन की कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय उत्तरांचल के स्थगन के कारण अवरूद्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद रायबरेली के गौरी शंकर संस्कृत आदर्श महाविद्यालय बड़ा गांव में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देयकों का भुगतान कराने की मांग

34-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 30 जून, 2003 को गौरी शंकर संस्कृत आदर्श महाविद्यालय बड़ागांव, जनपद रायबरेली से कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए थे ? क्या सेवानिवृत्त हुए सभी कर्मचारियों को उनके देयकों का भुगातन करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

श्री गौरी शंकर आदर्श संस्कृत विद्यालय बड़ागांव रायबरेली में दिनांक 30 जून, 2003 को एक सहायक अध्यापक श्री विद्याधर मिश्र सेवानिवृत्त हुए, जिनके जी0पी0एफ0 की धनराशि के अतिरिक्त समस्त देयकों का भुगतान कर दिया गया है । जी0पी0एफ0 की धनराशि के भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण कराकर उक्त भुगतान शीघ्र करा दिया जायेगा ।

जनपद प्रतापगढ़ के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अतरसण्ड में निवास कर रहे लोगों के सम्बन्ध में जानकारी

35-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अतरसण्ड (डायट) के राजकीय आवासों में कौन-कौन लोग निवास कर रहे हैं ? क्या यह सही है कि श्री बृजनाथ सिंह उर्फ पिन्टू जो गुण्डा एक्ट में जिला बदर है अपने साथियों सहित डायट अतरसण्ड के राजकीय आवास में किसी कार्यरत अध्यापक के साथ रहता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हाँ ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ विकास खण्ड आसपुर देवसरा में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की मांग

36-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2005-06 में आकस्मिकता निधि से प्रदेश में कुल कितने और कहां-कहां नये राजकीय महाविद्यालय सरकार द्वारा खोले जाने प्रस्तावित हैं ? क्या जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सिविल अपील संख्या 4200-4201/2004 में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 20-7-2005 के अनुपालन में जनपद-मऊ में श्री राम बचन सिंह के नाम से एक राजकीय महिला महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है ।

जी नहीं ।

प्रदेश की कठिन अर्थोपाय की थिति को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में निजी प्रबन्धतन्त्रों द्वारा स्ववित्त पोषित योजना में महाविद्यालय स्थापित करने को बढ़ावा देने की शासकीय नीति तथा वर्तमान में प्रश्नगत महाविद्यालय के निर्माण हेतु विभागीय आय-व्यय में कोई प्राविधान उपलब्ध न होने के कारण ।

काशी हिन्दु विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चार विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पेंशन भुगतान की मांग

37-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चार महाविद्यालयों डी0ए0वी0 डिग्री कालेज, आर्य कन्या महाविद्यालय, बसन्त कन्या महाविद्यालय तथा बसन्त कालेज फार

वोमन के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को गत 2 वर्षों से शासन द्वारा पेंशन नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पेशन कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी (केन्द्रीय) से सम्बद्ध उक्त चारों महाविद्यालय राज्य सरकार से पूर्ण-रूपेण सहायता प्राप्त महाविद्यालय नहीं है और वेतन आदि के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा 47.5 प्रतिशत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 47.5 प्रतिशत तथा महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा 5 प्रतिशत व्यय वहन किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं प्रश्नगत महाविद्यालयों द्वारा आनुपातिक रूप से पेंशनरों व्ययभार वहन किये जाने पर पेंशन स्वीकृत की जानी है। महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र ने पेंशनरी व्यय भार वहन किये जाने पर पेंशन स्वीकृत की जानी है। महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र ने पेंशनरी व्यय भार वहन करने में असमर्थता व्यक्त की है। इन महाविद्यालयों में सेवानिवृत्त अध्यापकों को देय पेंशनादि के प्रति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं प्रबन्धतंत्र ने अपना आनुपातिक अंशदान नहीं दिया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं प्रबन्धतंत्र का अंशदान प्राप्त होने पर ।

प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण की चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की जाँच एवं पारदर्शिता युक्त चयन प्रक्रिया निर्धारण की मांग

38-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2004 में चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी एवं अनियमितता के कारण कई हजार गलत अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया था ? यदि हां, तो प्रकरण की जांच किस स्तर से की गई ? क्या इसके लिये दोषी लोगों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु कोई उपाय करेगी ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

चयन प्रक्रिया में कोई त्रुटि न पाये जाने के कारण ।

शासनादेश संख्या-159/79-5-04-127/97 टी0सी0 दिनांक 14-1-04 तथा शासनादेश संख्या-533/79-5-2004-127/97 टी0सी0 दिनांक 20-2-2004 द्वारा पूर्ण पारदर्शिता युक्त चयन प्रक्रिया निर्धारित की गयी है ।

शाहजहांपुर के ककरा कलां मोहल्ले के स्कूल भवन के निर्माण की मांग

39-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर शहर में वर्तमान समय में कितने बेसिक स्कूलों के भवन निर्माणाधीन हैं ? क्या मा0 मंत्री जी को जानकारी है कि ककरा कलां मोहल्ले में

स्कूल के भवन का निर्माण रोक दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मा0 मंत्री जी इस स्कूल भवन को तत्काल बनवाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह -

वर्तमान समय में शाहजहांपुर शहर में 03 बेसिक स्कूलों के भवन निर्माणाधीन हैं ।

जी हां ।

भवन निर्माण में भवन प्रभारी अध्यापक द्वारा घटिया सामग्री प्रयोग किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर ।

निर्माणाधीन भवन की तकनीकी जांच अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, शाहजहांपुर के द्वारा की जा रही है । जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उप विद्यालय निरीक्षक का वेतनमान अपने अधीनस्थों से कम होने सम्बन्धी विसंगति दूर करने की मांग

40-श्री उदयभान करवरिया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रति उपविद्यालय निरीक्षक (एस0डी0आई0) जो प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक का निरीक्षण अधिकारी है, का वेतनमान अपने अधीनस्थों से कम रू0 4500-7000 है ? यदि हां, तो क्या उक्त वेतन विसंगति का निराकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हाँ । प्रति उप विद्यालय निरीक्षक का पद सीधी भर्ती का है, जबकि प्रधानाध्यापक प्राइमरी स्कूल एवं प्रधान अध्यापक जूनियर हाई स्कूल का पद पदोन्नति का है । इनके वेतनमान निम्नवत् हैं :-

पद	वेतनमान
प्रधानाध्यापक (प्राइमरी)	रू0 5500-9000
प्रधानाध्यापक (जूनियर हाई स्कूल)	रू0 6500-10500
प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	रू0 4500-7000

प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को राजाज्ञा सं0-वे0आर0-2-560/दस-45-(एस)-99, दिनांक 2-12-2000 के द्वारा समयमान वेतनमान के अन्तर्गत 8 वर्ष की सेवा पर एक वेतनवृद्धि एवं 14 वर्ष की सेवा पर प्रथम पदोन्नति वेतनमान के रूप में रू0 6500-10500 का वेतनक्रम, 19 वर्ष की सेवा पर उक्त वेतनक्रम में एक वेतनवृद्धि का लाभ तथा 24 वर्ष की सेवा पर द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान के रूप में रू0 8000-13500 का वेतनक्रम देय है । उल्लेखनीय है कि प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों एवं अन्य से संबंधित वेतनमान का प्रकरण विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-900/2003 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम उत्तर प्रदेशीय विद्यालय निरीक्षक संघ एवं अन्य इस समय मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है ।

मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

उप विद्यालय निरीक्षकों का पदनाम बदलने व वेतनमान बढ़ाये जाने के आदेश

41-श्री उदयभान करवरिया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि दिनांक 16 जून, 1991 को तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों का पदनाम ब्लाक शिक्षा अधिकारी (राजपत्रित) करने तथा उनका वेतनमान बढ़ाये जाने के आदेश निर्गत करने हेतु सचिव, बेसिक शिक्षा को निर्देशित किया था ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

श्री गया प्रसाद वर्मा, तत्कालीन मंत्री पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान के मा0 मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित तथा सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन को पृष्ठांकित पत्र के पार्श्व पर मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 16-6-91 को सचिव, माध्यमिक शिक्षा को आदेश दिये गये थे ।

जी नहीं ।

शासन द्वारा विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के पुनरीक्षण पर संस्तुति देने हेतु गठित वेतन समिति (1997-99) के माध्यम से संबंधित संवर्गों/विभागों के विषय में की गई संस्तुतियों पर विचार करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी । उक्त समिति द्वारा निरीक्षक संघ के कर्मचारियों के संबंध में विचार किया जा रहा था । इस बीच उत्तर प्रदेशीय विद्यालय निरीक्षक संवर्ग द्वारा वेतनमान बढ़ाये जाने के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-675/2002 उत्तर प्रदेशीय विद्यालय निरीक्षक संवर्ग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य दाखिल की गई । जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अंतिम रूप से दिनांक 6-5-02 को निस्तारित करते हुए आदेश दिया कि संघ की मांगों के अनुरूप प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को रू0 7500-12000 तथा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी को रू0 8000-13500 को वेतनमान स्वीकृत किया जाय ।

शासन द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-900/2003-उत्तर प्रदेश राज्य बनाम उत्तर प्रदेशीय विद्यालय निरीक्षक संघ एवं अन्य दाखिल की गई है । मा0 उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13-1-2003 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्व स्थगनादेश पारित किया है सम्प्रति मामला मा0 उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है ।

जनपद शाहाजहांपुर में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों से अनुमन्य फीस से अधिक फीस लेने की जाँच

42-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के निजी क्षेत्र के कक्षा- 1 से 8 तक के विद्यालयों में छात्र छात्राओं से कितनी फीस लेना अनुमन्य है ? क्या यह सही है कि सेंट पाल विद्यालय, शाहजहांपुर में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों से अनुमन्य फीस से काफी अधिक फीस ली जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर निर्धारित अनुमन्य फीस लिये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

निजी क्षेत्र के कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में छात्र छात्राओं से अधिकतम रू0 15/- प्रति माह शुल्क लेना अनुमन्य है । कक्षा 6 से 8 तक शिक्षण शुल्क अनुमन्य नहीं है। प्रकरण की जाँच मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) बरेली द्वारा की जा रही है ।

जी हाँ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0प्र0 सैनिक स्कूल सरोजनीनगर लखनऊ में शिक्षकों व कर्मचारियों के बकाये एरियर का भुगतान करने के निर्देश

43-श्री रामकरन आर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सैनिक स्कूल सरोजनीनगर, लखनऊ में तैनात शिक्षकों व कर्मचारियों का वर्ष 2000 से वेतन व एरियर बकाया है ? उसके भुगतान न करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसके दोषी के विरूद्व कार्यवाही करते हुए उक्त बकाया वेतन एवं एरियर का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वेतन का कोई एरियर बकाया नहीं है । सितम्बर 2000 से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन दिया जा रहा है । केवल सितम्बर 2000 से अगस्त 2003 के मध्य पड़ने वाली वेतनवृद्वियों की धनराशि नहीं दी गई है ।

विद्यालय द्वारा भुगतान हेतु अतिरिक्त धनराशि की मांग की गयी है ।

प्रकरण में कोई दोषी नहीं है । विद्यालय को अपने श्रोतों से भुगतान करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

कार्यवाही अग्रसर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ में इण्टर पास छात्राओं को कन्या धन योजना में वितरित धनराशि के सम्बन्ध में जानकारी

44-चौ0 महेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में कितनी इण्टर पास छात्राओं को कन्या धन योजना के तहत वर्ष 2004-05 में धनराशि दी गई है तथा कितनी छात्राएं शेष हैं ? शेष छात्राओं को कब तक कन्या धन वितरित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वर्ष 2004-05 में इण्टर पास 1190 छात्र छात्राओं में रू0 230 लाख की धनराशि दी गयी । सभी पात्र 1190 छात्राओं को धनराशि दे दी गयी है । कोई छात्रा शेष नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ में गत वर्षों में राजकीय महाविद्यालयों के विकास/निर्माण हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

45-चौ0 महेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में वित्तीय वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में राजकीय महाविद्यालयों के विकास/निर्माण हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी ? उससे क्या कार्य कराये गये ? वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-2006 में उक्त मद हेतु कितना धन आवंटित किया गया है तथा उससे क्या कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वित्तीय वर्ष 2003-04 में रू0 117.72 लाख की धनराशि आवंटित की गयी थी तथा वित्तीय वर्ष 2004-05 में कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की गयी थी ।

आवंटित धनराशि से राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण कराया गया ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 में रूपया 81.84 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है । जिससे राजकीय महाविद्यालयों के विज्ञान एवं कला संकाय के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है ।

46-श्री जयराम विमल-

[दूसरे गुरूवार के अता0 प्र0 सं0-102 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीर गंज रजवाहे में टेल तथा पानी पहुंचाने की व्यवस्था

47-श्री जयराम विमल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत जहांगीर गंज रजबाहे में टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राजबाहे में टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हां ।

जी हां ।

रबी फसली 1413 (2005-06) में ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकरनगर के जहांगीरगंज रजबाहे की पटरियों के अतिक्रमण को हटाये जाने के निर्देश

48-श्री जयराम विमल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में जहांगीरगंज रजबाहे की पटरियों पर अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित है ? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण कब तक हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जहांगीरगंज रजबाहे की पटरियों पर कहीं-कहीं ग्राम सलेमपुर, मंगारी, परसवां, साबुकपुर, अकवेलपुर, हसनपुर, खलनीपुर, सहीजना आजादपुर व बहरामपुर आदि ग्रामों में कुछ अस्थायी अतिक्रमण हैं जिन्हें हटाने के लिये संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर को टोंस नदी के कटान से बचाने हेतु ठोकर निर्माण की मांग

49-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, चिलकहर, जनपद बलिया को टोंस नदी के कटान से बचाव हेतु कोड़रा गांव पर स्वीकृत ठोकर बनाने हेतु धन अवमुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब क पूर्ण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हाँ ।

प्रश्नगत निर्माण कार्य मार्च 2006 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के राजकीय बालिका इण्टर कालेज फाफामऊ के विद्यालय भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कराने की मांग

50-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज, फाफामऊ, इलाहाबाद के विद्यालय भवन निर्माण हेतु अब तक कितना धन स्वीकृत एवं अवमुक्त हो चुका है ? क्या भवन निर्माण पूरा न होने के कारण बालिकाओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो उक्त भवन का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मानक लागत रू0 98.51 लाख की धनराशि स्वीकृत एवं अवमुक्त की जा चुकी है ।

भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, बालिकाओं का पढ़ाई प्रभावित नहीं हो रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ के सिंचाई विभाग में टंकण एवं आशुलिपिकों के रिक्त पद हेतु आयोजित परीक्षा के परिणाम की जानकारी

51-श्री रामकरन आर्य-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ में आशुलिपिकों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु टंकण एवं आशुलेखन की परीक्षा 15 जून से 17 जून, 2003 तक

इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स, रिवर बैंक कालोनी लखनऊ में आयोजित की गई थी तथा उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी मार्च, 2005 में लिया गया था ? यदि हां, तो क्या उसका परिणाम घोषित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त परिणाम कब तक घोषित कर दिया जायेगा ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हाँ ।

जी नहीं ।

वर्ष 2003 में आशुलिपिक के पदों पर नियुक्ति के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ लखनऊ के समक्ष दायर रिट याचिका संख्या-3134(एस0एस0)/2003 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 28-5-2003 को दृष्टिगत रखते हुए उक्त परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया ।

ऊपर संदर्भित रिट याचिका निर्णय दिनांक 4-10-2005 द्वारा अन्तिम रूप से निर्णीत हो गई है । मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद अलीगढ़ में गत वर्ष सतत् शिक्षा केन्द्रों में शिक्षित किये गये लोगों एवं केन्द्रों के संचालन में व्यय धनराशि की जानकारी

53-चौ0 महेन्द्र सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में वित्तीय वर्ष 2004-05 में सतत् शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से कितने लोगों को शिक्षित किया गया एवं इन केन्द्रों के संचालन में कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

श्री किरनपाल सिंह-

95,302 महिलायें एवं 73,281 पुरूष, इस प्रकार कुल 1,68,583 लोगों को साक्षर/शिक्षित किया गया है ।

वित्तीय वर्ष 2004-05 में भारत सरकार से केन्द्रों के संचालन हेतु कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई। वित्तीय वर्ष 2005-06 में बजट प्राप्त होने पर अवशेष देनदारियों के रूप में रू0 1,76,42,725.00 की धनराशि व्यय की गयी है ।

प्रदेश में राजकीय नलकूपों में आपरेटरों की तैनाती सुनिश्चित कराने की मांग

54-चौ0 महेन्द्र सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में 30-6-05 तक कितने राजकीय नलकूप [illegible]पित किये गये हैं तथा उसके सापेक्ष कितने नलकूप आपरेटर के पद सृजित हैं ? क्या यह [illegible] है कि आपरेटर के तैनात न रहने से सिंचाई कार्यों में बाधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरक[illegible] प्रदेश के सभी राजकीय नलकूपों पर आपरेटरों की तैनाती सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

प्रदेश में दिनांक 30-6-2005 को कुल चलित राजकीय नलकूपों की संख्या 28020 है, जिसके सापेक्ष कुल 18811 नलकूप चालकों के पद सृजित हैं ।

नलकूपों के संचालन हेतु नियमित नलकूप चालकों के अतिरिक्त 7325 अंशकालिक नलकूप चालक कार्यरत हैं । नलकूपों की संख्या से कम आरपरेटर होने के कारण सभी नलकूपों पर उचित सिंचाई व्यवस्था हेतु नीतिगत निर्णय विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों के खोले जाने का मानक एवं जनपद अलीगढ़ में गत वर्षों में स्कूलों के स्थल के चयन की जानकारी

55-चौ0 महेन्द्र सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों के खोले जाने का क्या मानक निर्धारित किया गया है ? क्या जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में स्वीकृत नये प्राथमिक एवं जू0 हा0 स्कूल का स्थल चयन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

प्राथमिक विद्यालय हेतु 300 की आबादी तथा 1.5 कि0मी0 की दूरी, जूनियर हाई स्कूलों हेतु 800 की आबादी तथा 3 कि0मी0 की दूरी का मानक है ।

जी हाँ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र कोल, जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड धनीपुर एवं लोधा में चालित नलकूप

56-चौ0 महेन्द्र सिंह

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कोल जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड धनीपुर एवं विकास खण्ड लोधा में लगे नलकूप चालू हालत में है ? यदि हां, तो गत वर्ष रबी एवं खरीफ की फसल में कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई प्रति नलकूप की गयी तथा उससे कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

विकास खण्ड धनीपुर में 34 तथा विकास खण्ड लोधा में 74 चलित नलकूप हैं ।

गत वर्ष इन नलकूपों से सिंचाई एवं राजस्व प्राप्ति अभिलेखित करने का दायित्व ग्राम पंचायतों का था । इन नलकूपों के आंकड़े प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर में जल भराव की समस्या के निदान की मांग

57-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद के अनेकों ग्रामों के किसानों की खेती योग्य सैंकड़ों एकड़ भूमि में बरसात के पानी से पूरे वर्ष जलभराव बना रहता है ? क्या इसके बचाव तथा जल निकासी के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 1-12-04 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हाँ ।

जी हाँ ।

विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद में 18 ड्रेनों की क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना धनराशि रू0 113.35 लाख की अनुमोदित कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती शशि प्रभा, शास्त्री नगर, कानपुर का अपनी पुत्रियों को कन्या विद्याधन दिये जाने संबंधी प्रार्थना-पत्र

58-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि श्रीमती शशि प्रभा निवासी 494/2 शास्त्री नगर, कानपुर शहर का प्रार्थना-पत्र जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली अपनी दो पुत्रियों को कन्या विद्याधन योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में है, उपाध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के उपरिपत्र संख्या-289/उपाध्यक्ष दिनांक 9-11-2004 जिलाधिकारी, कानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ ।

शासनादेश संख्या-1009/15-10-2004-47(27)/2003, दिनांक 15-9-2004 के अनुसार दोनो छात्रायें कन्या विद्याधन योजना के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं है

प्रश्न ही नहीं उठता ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद के कर्मचारियों का बोनस रोकने सम्बन्धी प्राप्त शिकायती पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

59-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद में ऐसे कितने तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं जिन्हें वित्तीय वर्ष 2003-2004 में बिना चार्जशीट दिये ही तदर्थ

बोनस रोका गया ? क्या शासनादेश संख्या-वे0 आ0-1-1415/दस-2004-17(एम)/2004, दिनांक 4-11-2004 के पैरा 7 का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 31-8-2005 जो कि मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ ।

आठ तृतीय श्रेणी कर्मचारियों जिनके विरूद्ध आपराधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन थी का बोनस भुगतान रोका गया ।

प्रश्नगत शासनादेश का अनुपालन किया गया है । अतः किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हाँ ।

नियमानुसार कार्यवाही की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद में 6 वर्षों से कार्यरत उप शिक्षा निदेशक स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण की मांग

60-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद में ऐसे कितने उप शिक्षा निदेशक स्तर के अधिकारी तैनात हैं जिनकी सेवा अवधि एक ही जनपद में 06 वर्षों से अधिक हैं ? क्या सरकार उनको स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद इलाहाबाद में 06 वर्षों से अधिक समय से तैनात उप शिक्षा निदेशक स्तर के अधिकारियों की संख्या 04 है ।

स्थानान्तरण के संबंध में यथाशीघ्र नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के राजकीय इण्टर कालेज के सेवानिवृत अध्यापक श्री जे0 पी0 शुक्ला की अवकाश राशिकरण का भुगतान

61-श्री श्याम सिंह अहेरिया-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री जे0पी0 शुक्ला, अध्यापक, राजकीय इण्टर कालेज, बाराबंकी दिनांक 30 जून 2001 को सेवानिवृत्त हुए थे ? क्या उनके अवकाश राशिकरण का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त अवकाश राशिकरण का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ ।

जी हाँ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्तवत।

जनपद इलाहाबाद के राजकीय इण्टर कालेज के अवकाश प्राप्त अध्यापक श्री श्याम प्रसाद मिश्र को प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने की मांग

62-श्री रामकरन आर्य-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्याम प्रसाद मिश्र, अवकाश प्राप्त अध्यापक, राजकीय इण्टर कालेज, इलाहाबाद को प्रोन्नत वेतनमान का लाभ न दिये जाने के कारण वेतन पुनरीक्षण का लाभ पेंशन में नहीं दिया जा रहा है यदि हां, तो क्या सरकार श्री श्याम प्रसाद मिश्र को प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने एवं उसका लाभ पेंशन में जोड़ कर देने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ ।

जी नहीं ।

शासनादेश में व्यवस्था न होने के कारण ।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेहनगर के कम्हरिया रजबाहे का निर्माण कार्य कराने की मांग

63-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेहनगर जनपद-आजमगढ़ में कम्हरियां रजबाहा का निर्माण 24.80 कि0मी0 प्रस्तावित है ? क्या यह सही है कि उक्त रजबहा का निर्माण कार्य 9 कि0मी0 तक अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त अधूरे रजबाहे का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हाँ ।

कुम्हरियां रजबाहा कि0मी0 0.00 से 9.00 तक चालू है, एवं कि0मी0 9 से बीच-बीच के मध्य बीच-बीच में अधूरा है ।

इस रजबाहे के अधूर कार्यों को पूर्ण करने हेतु राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत कार्य प्रस्तावित है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेहनगर के विकास खण्ड के अनेकों गांवों की भूमि की जल भराव की समस्या का निराकरण कराने के निर्देश

64-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेहनगर जनपद-आजमगढ़ के विकास खण्ड ढेकमा के ग्राम जमुआंवा, शादीपुर, भगौतीपुर, मछुआरी, पेटी, करौदा में हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि जलमग्न रहने के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त गांवों में जल भराव से उत्पन्न समस्या का निराकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

प्रश्नगत ग्रामों की जल निकासी हेतु जमुआंवा ड्रेन तथा टेकमा ड्रेन निर्मित है । वर्तमान में इनकी सफाई न होने के कारण जल प्लावन की समस्या है

इन ड्रेनों की सफाई आगामी वर्षाकाल से पूर्व प्राथमिकता पर कराने के निर्देश दे दिए गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वांचल की नदियों को बाढ़ से बचाने की योजना

65-श्री रामकरन आर्य-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल की नदियों को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ? बस्ती जनपद को बाढ़ से बचाने हेतु वर्ष 2003 तथा 2004 में कितनी धनराशि आवंटित की गई ? उसमें से कलवारी रामपुर बन्धे पर वर्ष 2003-04 में मरम्मत के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी तथा आवंटित धनराशि में से कितनी खर्च की गयी और कितनी शेष है ? क्या सरकार उक्त बन्धे पर कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

सिंचाई विभाग द्वारा अक्टूबर, 2000 में उ0प्र0 में बाढ़ प्रबन्धन एवं जल निकास हेतु एक परिदृष्टीय योजना तैयार की गयी है, जिसमें वर्ष 2025 तक विभिन्न नदियों के किनारे 5000 कि0मी0 तटबन्ध का निर्माण, पुराने तटबन्धों का सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण, नये व पुराने तटबन्धों की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य , ट्रंक ड्रेनों का निर्माण एवं छोटी ड्रेनों की रीमॉडलिंग काय शामिल हैं । इसमें पूर्वांचल के कार्य भी शामिल हैं ।

बाढ़ से बचाव हेतु जनपद बस्ती को वर्ष 2003-04 में अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य हेतु रू0 54.50 लाख आवंटित किया गया तथा वर्ष 2004-05 में अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य हेतु रू0 62.02 लाख तथा निर्माण कार्य हेतु रू0 205.11 लाख आवंटित किया गया ।

कलवारी-रामपुर तटबन्ध की मरम्मत हेतु वर्ष 2003-04 में रू0 3.00 लाख आवंटित किया गया जिसके सापेक्ष रू0 2,88,339.00 का व्यय हुआ था ।

उक्त बन्धे पर कराये गए कार्य का भौतिक सत्यापन कराया जा चुका है।

सिंचाई विभाग द्वारा बन्धों के निर्माण में ली जाने वाली जमीन के मुआवजे का मानक

66-श्री रामकरन आर्य-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग द्वारा बन्धे के निर्माण में ली जाने वाली जमीन का मुआवजा देने का क्या मानक बनाया गया है ? बस्ती जनपद में कलवारी रामपुर बन्धा एवं रामपुर तेजपुर भितहा बन्धों के निर्माण हेतु किसानों की अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? उक्त मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

सिंचाई विभाग में बाँध के निर्माण में ली जाने वाली भूमि/जमीन के मुआवजा सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा उस क्षेत्र विशेष के लिये निश्चित की गई दर के आधार पर बनाया जाता है और उसी के आधार पर मुआवजा वितरित किया जाता है ।

कलवारी रामपुर तट बंध की कुल लम्बाई 19.300 कि0मी0 है । इसके सापेक्ष 11.904 हेक्टेयर भूमि का भू-प्रतिकर पूर्व में ही वितरित किया जा चुका है तथा 26.711 हेक्टेयर भूमि का प्रतिकर वितरित करना अवशेष है ।

रामपुर तेजपुर भितहा नाम का कोई भी तटबन्ध नहीं है बल्कि उक्त कथित ग्राम रामपुर मकदूमपुर बाँध के समरेखन में स्थित है । रामपुर मकदूमपुर बाँध के निर्माण के लिये रामपुर,. तेजपुर, पड़रिया एवं भितहा ग्राम की भूमि ली गयी है । रामपुर ग्राम की भूमि के भू-प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है । ग्राम तेजपुर की 2.65 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा रू0 8.40 लाख एवं पड़रिया ग्राम की 3.82 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा रू0 12.10 लाख का भुगतान किया जाना अवशेष है ।

चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में पूर्ण नहर परियोजनाओं के अवशेष भू-प्रतिकर का भुगतान करने के लिये रू0 20.50 करोड़ की बजट व्यवस्था है, जिसमें बाँध के निर्माण में अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के भुगतान की धनराशि सम्मिलित नहीं है । परिणामत: उक्त धनराशि में से बन्धे से सम्बान्धित धनराशि का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो सका है । पूर्ण योजनाओं, जिसमें बन्धे की भूमि भी सम्मिलित है, के अवशेष भू-प्रतिकर के भुगतान हेतु चरणबद्ध ढंग से वित्तीय व्यवस्था कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

बन्धे की भूमि के भू-प्रतिकर के भुगतान हेतु धनराशि की व्यवस्था हो जाने पर अवशेष मुआवजे का भुगतान कर दिया जायेगा ।

लखीमपुर खीरी के श्री भगवानदीन आर्य कन्या इण्टर कालेज में अवैध शुल्क लिये जाने के प्रकरण की जाँच

67-श्री दीनानाथ कुशवाहा-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2004 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-30 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भगवानदीन आर्य कन्या इण्टर कालेज, लखीमपुर-खीरी में लिये जा रहे अवैध शुल्क के प्रकरण की जांच किसके द्वारा की गयी तथा जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या यह सही है कि जांच में प्रश्नगत आरोप सही पाये गये हैं ? यदि हां, तो जांच के आधार पर दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

श्री भगवानदीन आर्य कन्या इ0का0 लखीमपुर खीरी में लिये जा रहे अवैध शुल्क के प्रकरण की जाँच प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इण्टर कालेज लखीमपुर खीरी द्वारा करायी गयी । जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित मदों में अवैधानिक शुल्क लिये जा रहे हैं :-

1-कम्प्यूटर शुल्क रू0 30/- प्रतिमाह प्रति छात्र ।

2-कुमारी सभा रू0 10/- वार्षिक ।

3-मासिक परीक्षा प्रश्नपत्र हेतु रू0 10/- ।

4-डायरी शुल्क रू0 10/- ।

उपर्युक्त जाँच के निष्कर्ष के आधार पर विद्यालय का सम्प्रेक्षण वित्त नियंत्रक (मा0) शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद द्वारा कराया गया तथा सम्प्रेक्षण रिपोर्ट के अनुरूप कार्यवाही हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक खीरी को प्रेषित की गयी । सम्प्रेक्षण रिपोर्ट मांगी गयी है जिसका परीक्षण कर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के ब्लाक बख्शा के ग्राम अटरा में प्राइमरी स्कूल में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

68-श्री अनिल कुमार मौर्या-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के ब्लाक बख्शा के ग्राम अटरा में स्थित प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है ? यदि हां, तो प्रधानाध्यापक की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हाँ ।

प्रधानाध्यापक का पद पदोन्नति का है । पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

69-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[पहले सोमवार के अता0 प्र0 सं0-143 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलिया के नरहेजी इण्टर कालेज नरही में फर्जी नियुक्तियों की जाँच

70-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरहेजी इण्टर कालेज, नरही, बलिया की 47 फर्जी नियुक्तियों के खिलाफ सी0बी0सी0आई0डी0 वाराणसी शाखा से जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच के आधार पर किन-किन लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ ।

(1) संदर्भित जाँच की संस्तुति के अनुपालन में शासन के पत्र दि0 22-8-2005 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, बलिया में तैनात निम्नलिखित कर्मियों को स्थानान्तरित करने का आदेश निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को दिया गया है :-

1-श्री राम देव सिंह

2-श्री वीर बहादुर यादव

3-श्री द्वारिका मिश्र

4-श्री बब्बन प्रसाद

5-श्री मैनुद्दीन खाँ

6-श्री बृजेश कुमार सिंह

(2) संदर्भित जाँच की संस्तुति के अनुसार तत्का0 जिला विद्यालय निरीक्षकों/लेखाधिकारियों/लेखाकारों/कर्मचारियों के विरूद्व कार्यवाही का प्रस्ताव निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से मांगा गया है, वे निम्नवत् हैं :-

1-श्रीमती अहमदी उस्मान

2-श्री अशोक कुमार सिंह

3-श्री एस0पी0एन0 चौरसिया

4-श्री राकेश कुमार पाण्डेय

5-श्री जाबेद आलम आजमी

6-श्री राजेन्द्र प्रताप

7-श्री मनोज कुमार द्विवेदी

8-श्री कल्पनाथ राम

9-श्री छोटे लाल (सभी तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया)

10-श्री डी0एन0 उपाध्याय

11-श्री डी0पी0 तिवारी

12-श्री राकेश कुमार वर्मा

13-श्री दिलीप कुमार पाण्डेय

14-श्री उमेश कुमार उपाध्याय (सभी तत्कालीन वित्त एवं लेखाधिकारी **जिला विद्यालय** निरीक्षक कार्यालय, बलिया)

15-श्री उन्मेश कुमार श्रीवास्तव (सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला **विद्यालय** निरीक्षक कार्यालय, बलिया)

16-श्री रामदेव सिंह

17-श्री वीर बहादुर यादव

18-श्री द्वारिका मिश्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

19-श्री बब्बन प्रसाद
20-श्री मैनुद्दीन खाँ
21-श्री बृजेश कुमार सिंह
22-श्री शिवनाथ पाण्डेय (सभी वरिष्ठ/सहायक लिपिक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, बलिया)

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के नरहेजी इण्टर कालेज, नरही में अवैध नियुक्तियों की जाँच

71-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरहेजी इण्टर कालेज, नरही, बलिया से सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत श्रीमती विमला राय, श्रीमती चतुर्भजी देवी तथा श्री संजय राय की अवैध नियुक्ति के विरूद्ध कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो जांच के आधार पर दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।
प्रश्न नहीं उठता ।
प्रश्न नहीं उठता ।
प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में उच्च तकनीकी शिक्षा में प्रवेश हेतु ग्रामीण अंचलों में कोचिंग क्लास चलाने की मांग

72-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के ग्रामीण इलाके के छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा में प्रवेश लेने हेतु ग्रामीण अंचलों में कोचिंग क्लास चलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा में प्रवेश लेने हेतु ग्रामीण अंचलों में कोचिंग क्लास चलाने की कोई योजना/व्यवस्था विचारणीय नहीं है ।

जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ के ग्राम गोखा उस्मानपुर में खसरा संख्या-256 की भूमि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम दर्ज तथा उक्त भूमि पर विद्यालय चलाये जाने की मांग

73-श्री कौशल किशोर-

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद बाराबंकी तहसील हैदरगढ़ स्थित ग्राम उस्मानपुर में खाता खतौनी क्रम संख्या 78 खसरा संख्या-256 ख की भूमि दानदाता के बैनामे के आधार पर जूनियर

बेसिक विद्यालय गोखा, उस्मानपुर के प्रबन्धक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी के नाम दर्ज है ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि दानदाता द्वारा उक्त स्कूल भवन भी निर्मित कराया गया था ? यदि हां, तो उक्त स्कूल भवन में शिक्षण कार्य हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसके लिये दोषियों के विरूद्व कार्यवाही कराते हुए उक्त भवन में विद्यालय चलाये जाने हेतु आदेशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हाँ ।

प्रश्नगत भूमि दानदाता के बैनामे के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम दर्ज है ।

दानदाता द्वारा उक्त भूमि पर स्कूल भवन के रूप में एक छोटा कमरा तथा एक बरामदा निर्मित कराया गया था ।

जी नहीं ।

उक्त भूमि/भवन जंगल में नाले के किनारे स्थित होने, आवागमन हेतु सम्पर्क मार्ग न होने एवं वर्ष 1997-98 में गोखा उस्मानपुर में सड़क के किनारे प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हो जाने के कारण शिक्षण कार्य नहीं हो रहा है ।

उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हो जाने के कारण छात्रों की शिक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसलिए किसी को दोषी सिद्ध करने तथा छात्रों की सुरक्षा के दृष्टिगत दान में प्राप्त जमीन पर विद्यालय संचालन हेतु आदेशित किए जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

असेवित ब्लाकों में निजी क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालय खोलने की शासन की नीति

74-श्री रामकरन आर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि असेवित ब्लाकों में निजी क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए शासन की नीति क्या है ? वर्तमान वर्ष 2005 में कितने निजी विद्यालयों को अनुमति दी गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

शासनादेश सं0-1930/15-8-98-3070/98 दि0 28-12-98 तथा शासनादेश सं0-900/ 15-8-05-3070/98 दि0 30-3-05 की व्यवस्थानुसार ऐसे विकास खण्डों में जिनमें पहले से कोई भी अशासकीय/शासकीय कन्या हाई-स्कूल/इण्टर कालेज नहीं है - उन असेवित विकास खण्डों में कुल रू0 20.00 लाख की धनराशि दो समान किश्तों में निजी प्रबंधतंत्र को एक कन्या माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु शासकीय अनादर्तक अनुदान दिए जाने की शासन की नीति है ।

09 विद्यालयों की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेहनगर के तरवां रजबाहे की सफाई कराने की मांग

75-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेहनगर जनपद आजमगढ़ में तरवां रजबाहे की सफाई न होने के कारण किसानों को कृषि भूमि की सिंचाई हेतु पानी न मिल पाने के कारण असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रजबाहे की सफाई कराकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं ।

विधान सभा क्षेत्र मेहनगर के अन्तर्गत तरवां राजबाहा कि0मी0 0.00 से 26.00 तक जनपद आजमगढ़ में पड़ता है जिसमें विगत वर्ष 1412 फसली में आवश्यकतानुसार कि0मी0 22.00 से 26.00 तक सिल्ट सफाई का कार्य कराकर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी । खरीफ 1413 फसली में भी पानी पहुंचाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मेहनगर में राजकीय डिग्री कालेज खोलने की मांग

76-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेहनगर विकास खण्ड-जनपद आजमगढ़ में राजकीय डिग्री कालेज न होने के कारण छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने दूर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विकास खण्ड में राजकीय डिग्री कालेज खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की कठिन अर्थोपाय की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में निजी प्रबन्धतन्त्रों द्वारा स्ववित्त पोषित योजना में महाविद्यालय स्थापित करने को बढ़ावा देने की शासकीय नीति तथा वर्तमान में प्रश्नगत महाविद्यालय के निर्माण हेतु विभागीय आय-व्ययक में कोई प्राविधान उपलब्ध न होने के कारण ।

जनपद फैजाबाद की प्राइमरी पाठशाला कटरौली, सोहावल में की जा रही धांधली की जाँच विषयक पत्र

77-श्री देवेन्द्र नागपाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 सदस्य विधान सभा श्री कौशल किशोर का विधायक प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रेषित कम्प्यूटर पत्र सं0 128118/05, दिनांक 7-7-05 जो प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा को भेजा गया है जिसमें जनपद फैजाबाद की प्राइमरी पाठशाला कटरौली,

सोहावल में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा की जा रही धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हाँ ।

जाँचोपरान्त श्री काली प्रसाद तिवारी, प्रधानाध्यापक तथा श्रीमती गौहर फातिमा, सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण अन्यत्र कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू0पी0 बोर्ड, सी0बी0एस0ई तथा आई0आई0टी0 की परीक्षा व पूर्व में परीक्षा की तिथियों के सम्बन्ध में जानकारी

78-डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि गत वर्ष 2005 में यू0पी0 बोर्ड की कक्षा 12 विज्ञान वर्ग की परीक्षा 6 अप्रैल को समाप्त हुई थी । क्या सी0बी0एस0ई0 की मेडिकल प्रवेश परीक्षा दि0 3-4-05 को तथा आई0आई0टी0 की प्रवेश परीक्षा 10-4-05 को आयोजित होने के कारण यू0पी0 बोर्ड के कक्षा 12 विज्ञान वर्ग के छात्रों को असुविधा हुई थी ? वर्ष 2006 में आई0आई0टी0 प्रवेश परीक्षा की तिथि 9 अप्रैल, 2006 घोषित होने के फलस्वरूप क्या सरकार छात्र हित में कक्षा 12 की परीक्षा 30 मार्च, 2006 तक पूरी कराना सुनिश्चित करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में खराब व बन्द पड़े राजकीय नलकूप को चालू कराने की मांग

79-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने राजकीय नलकूप कहां-कहां स्थापित हैं ? क्या सभी नलकूप चालू हालत में हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के बन्द/खराब नलकूपों की मरम्मत कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में कुल 15 अदद राजकीय नलकूप हैं । जिसमें से 1 नलकूप विकास खण्ड पट्टी एवं शेष 14 नलकूप विकास खण्ड मगरौरा के ग्रामों में स्थापित हैं ।

जी नहीं । 13 नलकूप चालू हालत में हैं एवं 2 नलकूप स्थायी रूप से बंद हैं । दो नलकूपों का पानी खारा (कृषि के लिए अनुपयुक्त) होने के कारण यह परित्याग की श्रेणी में है तथा इनके पुन: निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ में बन्द पड़े राजकीय नलकूप चालू कराने की मांग

80-चौ0 महेन्द्र सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में कितने राजकीय नलकूप स्थापित हैं ? उनमें से कितने नलकूप चालू हालत में हैं तथा कितने बन्द हैं ? क्या सरकार बन्द नलकूपों को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जनपद अलीगढ़ में 719 राजकीय नलकूप स्थापित हैं ।

इनमें से 570 नलकूप चालू हालत में हैं तथा 149 नलकूप बन्द हैं ।

स्थायी रूप से बन्द 117 नलकूपों में से 78 नलकूप परित्याग हेतु प्रस्तावित हैं । शेष 39 असफल नलकूपों में से 35 नलकूपों का पुर्ननिर्माण 450 नलकूपों का आधुनिकीकरण परियोजना में शामिल कर लिया गया है । शेष 4 नलकूपों का पुर्ननिर्माण जनपद योजना में धन उपलब्धता के आधार पर आगामी वर्षों में कराया जाना संभव होगा । अस्थायी रूप से बन्द 32 नलकूपों में से यांत्रिक दोष से बन्द 15 नलकूपों को चालू कर दिया गया है । विद्युत दोष से बन्द 17 नलकूपों में से 4 नलकूपों को चालू करा दिया गया है । शेष 13 नलकूपों को दो सप्ताह के भीतर चालू कराने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन से अनुरोध किया गया है ।

उ0 प्र0 नलकूप निगम द्वारा नलकूपों का निर्माण

81-चौ0 महेन्द्र सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2004-05 में उ0 प्र0 नलकूप निगम द्वारा कुल कितने नलकूपों का निर्माण कराया गया ? वित्तीय वर्ष 2005-06 में कुल कितने नलकूपों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद अलीगढ़ में कितने नलकूप निर्माणाधीन हैं एवं कितने नलकूपों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम (वर्तमान में उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0) द्वारा वर्ष 2004-05 में सिंचाई विभाग के 46 नलकूप, लघु सिंचाई विभाग के 50 नलकूप एवं अन्य ऐजंसियों के 8 नलकूप कुल 104 नलकूप का निर्माण कराया गया है ।

जनपद अलीगढ़ में सिंचाई विभाग द्वारा 6 नलकूप निर्माणाधीन हैं तथा 13 नलकूपों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है ।

जनपद हरदोई के बी0एन0 इण्टर कालेज भगवन्तनगर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की प्रोन्नति का प्रकरण

82-श्री अवधेश कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बी0एन0 इण्टर कालेज, भगवन्तनगर जनपद हरदोई में दफ्तरी के कितने पद स्वीकृत हैं तथा 1 जनवरी, 05 से अब तक किन-किन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति दफ्तरी के पद पर की गयी है ? क्या दफ्तरी के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को दफ्तरी पद का वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

दफ्तरी का एक पद सृजित है ।

1-श्री यदुनाथ प्रसाद द्विवेदी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की दफ्तरी पद पर पदोन्नति की गयी थी जो सेवानिवृत्त हो गये हैं । वर्तमान में श्री संशाराम का दफ्तरी पद पर पदोन्नति का प्रकरण विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई तहसील विलग्राम के ग्राम कटिया मे किसानों से सिंचाई वसूली करने का प्रकरण

83-श्री अवधेश कुमार वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्राम कटिया भिखारीपुर परगना मल्लावां तहसील बिलग्राम, जनपद हरदोई के किसानों से रबी फसल 1404 की वसूली सन् 1997 में तत्कालीन अमीन श्री सरोज मिश्रा द्वारा करने के बावजूद सन् 2005 में रबी 1404 की नई जमाबन्दी बनाकर किसानों से सिंचाई वसूली शुरू की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी जनों के विरूद्व कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

रबी फसल 1404 की वसूली हेतु जमाबन्दी बनाकर तत्समय तहसील-बिलग्राम को भेजी गयी थी । संग्रह अमीन के फरार हो जाने के कारण तहसीलदार द्वारा सिंचाई जमाबंदी 1404 फसली खरीफ व रबी की नहीं बनाकर भेजने का अनुरोध किया गया जिस पर उन्हें वांछित जमाबन्दी की वसूली तैयार कराकर भेजी है । जमाबन्दी एक की है, अत: दोहरी वसूली की संभावना नहीं है ।

जांच की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद हरदोई के बी0एन0 इण्टर कालेज भगवन्तनगर के सेवानिवृत्त दफ्तरी श्री यदुनाथ प्रसाद द्विवेदी के समस्त देयों का भुगतान कराने की मांग

84-श्री अवधेश कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बी0एन0 इण्टर कालेज भगवन्तनगर जनपद हरदोई से श्री यदुनाथ प्रसाद द्विवेदी दफ्तरी दिनाक 30 जून 05 को सेवानिवृत्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या उनके समस्त देयों का भुगतान एवं पेंशन निर्धारण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ ।

सामूहिक बीमा को छोड़ शेष देयकों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । पेंशन निर्धारण भी किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड दुबेपुर के करमपुर परवर भारलहना ड्रेन की सफाई कराने की मांग

85-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि करमपुर परवर भारलहना ड्रेन, विकास खण्ड दुबेपुर, जनपद सुल्तानपुर की सफाई न होने के कारण जलभराव हो जाने से किसानों की हजारों एकड़ जमीन जलमग्न रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ड्रेन की सफाई वित्तीय वर्ष 2005-06 में करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

प्रश्नगत ड्रेन की सफाई न होने से इस क्षेत्र में जल प्लावन की समस्या है ।

जी हाँ ।

प्रश्न नही उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के सेवाश्रम इण्टर कालेज ढिढुयी पट्टी में आरक्षित पदों पर तदर्थ आधार पर की गयी नियुक्तियां

86-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह -

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के सेवाश्रम इण्टर कालेज, ढिढुयी, पट्टी में आरक्षित पदों के सापेक्ष तदर्थ एवं नियमित सामान्य जाति के शिक्षक कार्यरत हैं ? क्या इसमें शिक्षा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी भी शामिल हैं ? यदि हां, तो क्या दोषी प्रबन्धतंत्र तथा जिम्मेदार शिक्षा विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध अनुसूचित जाति अधिनियम के अधीन सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही कराते हुए तदर्थ शिक्षकों को सेवामुक्त करने की कार्यवाही की जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ, तदर्थ आधार पर नियुक्तियां की गयी हैं ।

जी नहीं ।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक आरक्षित पदों पर सामान्य अभ्यर्थी कार्यरत हैं । आयोग से चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने तक अभ्यर्थी कार्यरत रहेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के घाघरा नदी के किनारे बसे गाँवों को कटान से बचाने की योजना

87-श्री जियाउद्दीन रिजवी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में घाघरा नदी के किनारे बसे ग्राम डुहां, बिहरा, लिलकर, कहौड़ा, सिसोटार, मऊबलिया, खरीद, पुमोन्तिमपट्टी बहदुरा, नकवा गांव, मनियर टुकड़ा नं0-2 चक्कीदीयर, सुल्तानपुर नदी के कटान से प्रभावित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों को कटान से बचाव हेतु टी0एस0 बन्धा की सुरक्षा के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में धन की व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हाँ, परन्तु डुहां, विहरा, तिलकर, कठोडा सिसोटार, मऊबलिया, खरीद, पुमोन्तिमपट्टी बहदूरा, नकवा गांव, मनियर टुकड़ा नं0-2 चक्कीदीयर, सुल्तानपुर गांव घाघरा नदी व टी0एस0 बांध के बीच नदी के फ्लड प्लेन जोन में बसे हैं । शासन की नीति के अनुसार नदी के फ्लड प्लेन जोन में बसे गांवों को बचाने हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं कराये जाने तथा इन गांवों को जिलाधिकारी के माध्यम से सुरक्षित क्षेत्र में बसाये जाने की व्यवस्था है ।

उपरोक्तानुसार ग्रामों को नदी की बाढ़ से बचाने की कोई योजना नहीं है अपितु टी0एस0 बन्धे की सुरक्षा हेतु धनावंटन कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के क्रिश्चियन कालेज में बी0एड0 उत्तीर्ण छात्रों को डिग्री उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

88-डा0 अजय कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ से वर्ष 2001 में बी0एड0 परीक्षा के उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को उपाधि उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त वर्ष के बी0एड0 उत्तीण छात्र-छात्राओं को डिग्री कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किये जाने पर विश्वविद्यालय स्तर से दिसम्बर, 2004 में डिग्री प्रदान की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विश्वविद्यालय में आवेदन करने पर ।

चौधरी चरण सिंह सिंचाई योजना अन्तर्गत रजबाहों की पटरियों के डामरीकरण की योजना

89-चौ0 महेन्द्र सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष सरकार द्वारा चौ0 चरण सिंह सिंचाई योजना के अन्तर्गत रजवाहों की पटरियों के डामरीकरण एवं पशुघाट निर्माण हेतु प्रस्ताव मांगे गये थे ?

यदि हां, तो प्रश्नकर्ता द्वारा विधान सभा क्षेत्र कोल के रजवाहों की पटरियों का डामरीकरण एवं पशुघाट निर्माण हेतु दिये गये प्रस्ताव पर अब तक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हाँ ।

विधान सभा क्षेत्र कोल (अलीगढ़) में विभाग द्वारा तैयार की गयी रू0 491.79 करोड़ की लागत की चौधरी चरण सिंह सिंचाई विकास परियोजना, जो व्यय वित्त समिति से दिनांक 26-8-05 की बैठक में रू0 470.32 करोड़ की लागत पर अनुमोदित हुई, के अन्तर्गत रा0 सिकन्दरा पर 8.504 किमी0, रा0 सुमेरा पर 10.30 किमी0 एवं रा0 हरदुआगंज पर 5.3[illegible] किमी0 के डामरीकरण के प्रस्ताव तथा रा0 कोल, सिकन्दराराऊ, सुमेरा एवं हरदुआगंज पर 9 पशुघाट बनाने के प्रस्ताव सम्मिलित कर लिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में विद्यालयों के जर्जर भवनों के निर्माण की योजना

90-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में कौन-कौन से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन जर्जर हो गये हैं ? यदि हां, तो सरकार इन जर्जर भवनों के निर्माण हेतु धन स्वीकृत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में जर्जर प्राथमिक विद्यालय तथा जर्जर उच्च प्राथमिक विद्यालयों का चिन्हीकरण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अभियन्ताओं के माध्यम से कराने हेतु जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को निर्देशित किया गया है ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के उपरोक्त सर्वेक्षण में चिन्हित जर्जर प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजनाओं में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये धन की व्यवस्था की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र सदर में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य पूर्ण कराने की मांग

91-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वशिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 में जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र में क्या प्रस्तावित कार्य पूर्ण हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2002-03 में 5 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 03 अतिरिक्त कक्षा कक्ष स्वीकृत हुये थे, जिनमें 04 विद्यालय भवन तथा सभी अतिरिक्त कक्षा कक्ष पूर्ण हो गये हैं । पूर्व माध्यमिक विद्यालय सराय देवराय मा0 न्यायालय से स्थगन आदेश होने के कारण अपूर्ण है ।

वर्ष 2003-04 में 07 प्राथमिक तथा 09 उच्च प्राथमिक तथा 02 अतिरिक्त कक्षा कक्ष विद्यालय स्वीकृत हुये थे, जिसमें 07 प्राथमिक तथा 08 उच्च प्राथमिक तथा सभी अतिरिक्त कक्षा कक्ष पूर्ण हो चुके हैं । पूर्व माध्यमिक विद्यालय कैलाकला ग्राम प्रधान तथा भवन प्रभारी के बीच विवाद हो जाने के कारण पूर्ण नहीं हो सका था, भवन प्रभारी बदल दिया गया है तथा कार्य प्रगति पर है ।

वर्ष 2004-05 में 05 प्राथमिक एवं 01 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 19 अतिरिक्त कक्षा कक्ष स्वीकृत हुये थे । जो सभी पूर्ण हो गये हैं ।

वर्ष 2005-06 के विद्यालय चयन समिति द्वारा स्थल चयन करा लिया गया है । निर्माण हेतु प्रथम किस्त की धनराशि निर्गत की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग, लखनऊ में आशुलिपिकों के पदों की परीक्षा का कथित प्रकरण

92-श्री राम करन आर्य-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग लखनऊ में आशुलिपिकों के पदों पर वर्ष जून, 2003 में हुई परीक्षा निरस्त कर दी गई हैं ? यदि हां, तो इसकी सूचना विभागीय सूचना पटल पर चस्पा की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर के आदर्श जनता इण्टर कालेज, टाण्डा के सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक श्री अवधेश नारायण त्रिपाठी को पेंशन दिलाये जाने विषयक पत्र

93-श्री राम करन आर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद के पत्र संख्या सा02/पेंशन-1-4225-28/3-04, दिनांक 11-12-03 द्वारा श्री अवधेश नारायण त्रिपाठी, आदर्श जनता इ0का0, टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर को पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में कोषाधिकारी, अम्बेडकर नगर को पत्र भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ ।

कोषाधिकारी, अम्बेडकर नगर द्वारा निर्गत पुनरीक्षित पेंशन आदेश के क्रम में श्री अवधेश नारायण त्रिपाठी सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक की पेंशन पुनरीक्षित कर वर्तमान में पुनरीक्षित पेंशन भुगतान की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ : विधान सभा क्षेत्र सदर में साक्षरता का प्रतिशत

94-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ सदर विधान सभा क्षेत्र का साक्षरता प्रतिशत क्या है ? साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास से क्या कार्य कराये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जनपद प्रतापगढ़ में सदर विधान सभा क्षेत्र का साक्षरता प्रतिशत 53.05% है ।

सदर विधान सभा क्षेत्र में 209 सतत् शिक्षा केन्द्र एवं 25 नोडल सतत् शिक्षा केन्द्रों, इस प्रकार कुल 234 केन्द्रों के माध्यम से निरक्षरों को साक्षर करने एवं नवसाक्षरों के पढ़ने लिखने की निरन्तरता बनाये रखने के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं ।

प्रश्न नही उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधानसभा क्षेत्र सदर के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की कार्य योजना

95-श्री हरि प्रताप सिंह -

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने हेतु क्या शासन ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में प्राथमिक विद्यालयों में 179 शिक्षकों के पद रिक्त हैं तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हैं ।

जी हाँ ।

विशिष्ट बी0टी0सी0 2004 के सफल अभ्यर्थियों के शिक्षकों के उक्त रिक्त पदों को भरने की कार्य योजना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को कन्या विद्याधन योजना की धनराशि उपलब्ध कराने की मांग

96-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 2004 एवं 2005 में जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र से कितनी छात्रायें इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हुई हैं ? क्या उत्तीर्ण सभी छात्राओं को कन्या विद्याधन योजना के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध करा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ ।

वर्ष 2004 में 1471

वर्ष 2005 में 1331

जी नहीं ।

छात्राओं के अभिभावक के आय के आधार पर वर्ष 2004 में 269 छात्राओं का चयन किया गया जिसमें से 194 छात्राओं को कन्या विद्याधन योजना की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है । वर्ष 2005 में कुल 458 छात्राओं ने कन्या विद्याधन योजना के अन्तर्गत आवेदन किया । आय प्रमाण पत्रों के सत्यापन के पश्चात 139 छात्राओं को धनराशि वितरित की जा चुकी है ।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी एवं आसपुर देवसरा के हाई स्कूल के निर्माण कार्य की जानकारी

97-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत निर्माणाधीन राम अजोर चौरसिया राजकीय हाई स्कूल, पट्टी एवं श्री चन्द्र भूषण शाह राजकीय बालिका हाई स्कूल, आसपुर देवसरा का निर्माण कार्य क्या पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त दोनों विद्यालयों को उच्चीकृत कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ ।

जी हाँ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव

98-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2005-06 में आकस्मिकता निधि से प्रदेश में कुल कितने नये राजकीय महाविद्यालय सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने प्रस्तावित हैं ? क्या सरकार जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सिविल अपील संख्या4200-4201/2004 में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 20-7-2005 के अनुपालन में जनपद-मऊ में श्री राम बचन सिंह के नाम से एक राजकीय महिला महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है ।

जी नहीं ।

प्रदेश की कठिन अर्थोपाय की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में निजी प्रबन्धतन्त्रों द्वारा स्ववित्त पोषित योजना में महाविद्यालय स्थापित करने को बढ़ावा देने की शासकीय नीति तथा वर्तमान में प्रश्नगत महाविद्यालय के निर्माण हेतु विभागीय आय-व्ययक में कोई प्राविधान उपलब्ध न होने के कारण ।

भारतीय शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश डिपार्टमेन्ट आफ ओपन एण्ड डिस्टेंस एजूकेशन द्वारा फर्जी स्नातक डिग्री बांटने के प्रकरण की जाँच

99-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट आफ ओपेन एण्ड डिस्टेंस एजूकेशन द्वारा लोगों की फर्जी स्नातक की डिग्री बांटकर उनसे धन उगाही करने से सम्बन्धित प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच एवं संलिप्त लोगों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी एवं सचिव उच्च शिक्षा को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5 अक्टूबर 05 संलग्नकों सहित प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त संस्था के सम्बन्ध में जांच करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव

जी हाँ ।

पूर्व में जाँचोपरान्त प्रश्नगत संस्था के विरूद्ध स्थानीय न्यायालय में अभियोग पंजीकृत किया गया था । संस्था के पक्ष में स्थगनादेश पारित हुआ है । उक्त संस्था के विरूद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में ट्रांन्सफर पिटीशन (सिविल) संख्या 711-716/2002 भी दायर की गयी है, जो विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में जाँच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पीलीभीत के उपाधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र के भंग कर प्राधिकरण नियंत्रक नियुक्त करने सम्बन्धी जानकारी

100-श्री रियाज अहमद-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उपाधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय पीलीभीत के प्रबंध तंत्र को माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 40 के अन्तर्गत जांचोपरान्त भंग कर दिनांक 26 जून 2004 को तत्कालीन प्रमुख सचिव ने जिलाधिकारी, पीलीभीत को महाविद्यालय का प्राधिकार नियंत्रक नियुक्त किया था ? क्या यह सही है कि धारा 40 की जांच में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 46 का उल्लंघन कर शुल्क के रूप में 100 रू0 प्रति संस्थागत

छात्र से अतिरिक्त वसूली किया जाना पाया गया ? यदि हां, तो क्या दोषियों के विरूद्व एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं, दिनांक 23 जून, 2004 के आदेश द्वारा जिलाधिकारी, पीलीभीत को प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया था ।

जी हाँ ।

जी नहीं ।

उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत में व्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के लिए महाविद्यालय के प्रबधतन्त्र को दोषी पाते हुए शासन के आदेश संख्या-1656/सत्तर-2-2004-3(5)/2003, दिनांक 23 जून, 2004 द्वारा प्रबन्ध समिति को निलम्बित कर एक वर्ष की अवधि हेतु जिलाधिकारी, पीलीभीत को महाविद्यालय का प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया तथा शासन के आदेश संख्या-2022/सत्तर-2-2005-3(5)/2003, दिनांक 24 जून, 2005 द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक के कार्यकाल को एक-वर्ष की अवधि हेतु बढ़ाते हुए अनियमितताओं के निराकृत करने के निदेश दिये गये हैं ।

उपाधिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पीलीभीत के कार्यवाहक प्राचार्य द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

101-श्री रियाज अहमद-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पत्र संख्या-575/70-2-04-03 (95/03), दिनांक 13-09-2004 द्वारा श्री जगन्नाथ पाल, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, उ0 प्र0 शासन ने जिलाधिकारी, पीलीभीत प्राधिकार नियंत्रक, उपाधिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पीलीभीत के कार्यवाहक प्राचार्य डा0 एस0 के0 शर्मा द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच करके कार्यवाही करने के आदेश श्री अमित सिंह यादव, प्रदेश सचिव, समाजवादी युवजन सभा, उ0प्र0 की शिकायत पर दिये थे ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, पीलीभीत द्वारा एक समिति बनाकर अनियमितताओं की जांच करायी गयी जिसमें आरोपों की पुष्टि हुई थी ? क्या जिलाधिकारी, पीलीभीत द्वारा दोषियों के विरूद्व कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं, शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर महाविद्यालय के साधिकार नियंत्रक को आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश संदर्भित पत्र दिनांक 13-9-2004 द्वारा दिये गये ।

शिकायती पत्र के संदर्भ में कार्यवाहक प्राचार्य के स्पष्टीकरण पर समिति के परीक्षणोपरान्त प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया ।

जी हाँ, कार्यवाहक प्राचार्य के विरूद्व विभागीय कार्यवाही का निर्णय लेकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीसलपुर (पीलीभीत) को जाँच अधिकारी नामित कर जाँच करायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपाधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय पीलीभीत में प्राचार्य की नियुक्ति

102-श्री रियाज अहमद-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपाधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पीलीभीत में उच्च शिक्षा आयोग द्वारा किसी स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार महाविद्यालय में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा उपाधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पीलीभीत के प्राचार्य का पद विज्ञापित किया गया है । उल्लेखनीय है कि चयनोपरान्त आयोग द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा को संस्तुति प्रेषित की जाती है । निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा नियुक्ति के लिए प्रबन्धतन्त्र को नाम सूचित करने पर प्रबन्धतन्त्र द्वारा प्राचार्य का नियुक्ति पत्र दिया जाता है ।

प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विश्वविद्यालयों से हटाये गये कुलपतियों के विरूद्ध जाँच

103-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत एक वर्ष में प्रदेश के छः कुलपतियों को उनके पदों से हटा दिया गया है ? उक्त कुलपतियों द्वारा की गयी अनियमिततायें क्या हैं ? क्या कुलपतियों द्वारा की गयी अनियमितताओं की कोई जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में किस प्रकार की अनियमिततायें प्रकाश में आयीं ? क्या सरकार भविष्य में विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की अनियमिततायें न हो इसके लिये कोई कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ, श्री कुलाधिपति द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन 04 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों तथा कृषि शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन 02 कुलपतियों को पदच्युत किया गया ।

अधिनियमों के प्राविधानों का उल्लंघन ।

श्री कुलाधिपति द्वारा जाँच करायी गयी थी ।

अधिनियमों के प्राविधानों का उल्लंघन ।

जी हाँ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

104-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

[पहले सोमवार के अता0 प्र0 सं0-144 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र सदर के विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को सुलभ प्रसाधन की व्यवस्था कराने की मांग

105-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी एवं सुलभ प्रसाधन की व्यवस्था न होने से छात्र-

छात्राओं को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्यालयों में सुलभ प्रसाधन तथा चहारदीवारी बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हाँ ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सीमित विद्यालयों में ही चहारदीवारी की व्यवस्था अनुमन्य की जाती है, जिसके अनुसार चयनित विद्यालयों मे चहारदीवारी की व्यवस्था की जा रही है । विद्यालयों में सुलभ प्रसाधन हेतु पंचायती राज विभाग से स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कार्य कराने का अनुरोध किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड पल्हना के ग्राम जय नगर जिगिनी में नलकूप लगाने की मांग

106-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड पल्हना के ग्राम जय नगर जिगिनी में कृषकों की सिंचाई सुविधा हेतु सरकारी नलकूप लगाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही नलकूपों को लगाने का निर्णय लिया जाता है । वर्तमान में नलकूप लगाने हेतु चयनित ग्रामों में प्रश्नगत ग्राम शामिल नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया की कतिपय पाठशालाओं में मिड डे मील योजना में खाद्यान्न वितरित करने की जानकारी

107-श्री राम करन आर्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला, भदोरा तरछापार सीयर, जनपद-बलिया में कितने अध्यापक तैनात हैं और कितने छात्र अध्ययनरत हैं ? क्या उक्त पाठशाला में अध्ययनरत छात्रों को विभाग द्वारा चलाये जा रहे मिड डे मील योजना के तहत खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसके दोषी के विरूद्व कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

02 अध्यापक तैनात है और 215 छात्र अध्ययनरत हैं ।

जी हाँ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों की अस्थाई मान्यता के नवीनीकरण की प्रक्रिया

108-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-984/15-6-96 एस(7)/89, दिनांक 10 अप्रैल, 1998 द्वारा प्रदेश के अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता की शर्तों में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की गयी थी कि प्रदेश में अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को अस्थाई मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस विद्यालय की स्थाई मान्यता प्राप्त न हो जाये तथा इस अस्थाई मान्यता के नवीनीकरण की आवश्यकता तब तक नहीं होगी, जब तक अस्थाई मान्यता अस्तित्व में रहेगी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा इस शासनादेश के विपरीत जनपद शाहजहांपुर के अस्थाई मान्यता प्राप्त अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों से प्रति तीन वर्ष पश्चात् अस्थाई मान्यता के नवीनीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके दोषी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्नगत व्यवस्था शासनादेश संख्या-984/15-6-96 एस(7)/89 दिनांक 10 अप्रैल, 1998 द्वारा नहीं की गयी है बल्कि शासनादेश संख्या-984/15-6-98-18 एस(7)/89 दिनांक 28-4-1998 द्वारा की गयी है ।

जी नहीं ।

शासनादेश संख्या-1873/15-6-98-18 एस (7)/89 दिनांक 10-9-1998 के प्राविधानों के अनुसार 5 वर्ष के अन्दर अस्थाई मान्यता/मान्यता प्राप्त विद्यालय को स्थायी मान्यता की सभी शर्तों की पूर्ति करने के प्राविधानों के अनुपालन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर के द्वारा पत्र दिनांक 3-6-05 द्वारा विद्यालय प्रबन्धक/प्रधान अध्यापक को नोटिस निर्गत की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आलमबाग, लखनऊ की हरिजन प्राइमरी पाठशाला भिल्लावां में फर्जी प्रमाण-पत्र पर नौकरी कर रहे शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों की जांच

109-डा0 विनोद तिवारी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन प्राइमरी पाठशाला, भिल्लावां, आलमबाग, लखनऊ में फर्जी बी0टी0सी0 प्रमाण-पत्रों के आधार पर नौकरी कर रहे तीन शिक्षकों की मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, षष्ठ मण्डल, लखनऊ द्वारा की जा रही जांच क्या पूर्ण हो गयी है? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम हैं ? यदि नहीं, तो जांच कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यथाशीघ्र ।

कानपुर देहात के विकास खण्ड संदलपुर में जल भराव की समस्या के निराकरण की मांग

110-श्री महेश त्रिवेदी-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि वि0 खण्ड-संदलपुर, जनपद-कानपुर देहात में जल भराव के कारण कई हजार एकड़ भूमि जलमग्न हो जाने से किसान भुखमरी के शिकार हो रहे हैं ? क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में पानी निकासी हेतु सिंचाई विभाग द्वारा नाले के निर्माण की योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं ।

उक्त क्षेत्र की जल निकासी हेतु चार नाले तथा एक स्केप निर्मित है और एक नाला आंशिक रूप से निर्मित है । इन नालों की सफाई न होने के कारण इनकी जल निकास क्षमता कम हो गयी है तथा इनकी सफाई/पुनर्स्थापना किए जाने की आवश्यकता है ।

सर्वेक्षण कराकर प्राक्कलन तैयार करने तथा सक्षम स्तर से अनुमोदित कराने के उपरान्त धन उपलब्ध कराकर आगामी वर्षाकाल से पूर्व यह कार्य कराने के निर्देश दे दिए गए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड दुबेपुर के कतिपय ड्रेनों की सफाई कराकर जलमग्न समस्या के निराकरण की मांग

111-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि करमपुर परवर भार लहना ड्रेन विकास खण्ड दुबेपुर, जनपद सुल्तानपुर जिसकी लम्बाई लगभग 16 किमी0 है सफाई न होने के कारण हजारों एकड़ किसानों की जमीन जलमग्न रहती है ? क्या मंत्री जी ड्रेन की सफाई इसी वर्ष 2005-06 में कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

प्रश्नगत ड्रेन की सफाई न होने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में जल प्लावन की समस्या है ।

जी हां ।

इस ड्रेन की सफाई इसी वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

112-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की सेवा शर्तों का विवरण

113-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में कुल कितने विषय विशेषज्ञ अध्यापक कार्यरत हैं ? इनकी आवश्यक योग्यता, वेतन तथा सेवा शर्तें क्या हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सम्प्रति प्रदेश के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में 2285 विषय विशेषज्ञ अध्यापक कार्यरत हैं ।

शासनादेश संख्या-395/15-7-99-1600(559)/98, दिनांक 11 अक्टूबर, 1999 द्वारा इनकी आवश्यक योग्यता, वेतन तथा सेवा शर्तें निम्नलिखित रूप से निर्धारित की गयी हैं :-

1-भर्ती के वर्ष के पहली जुलाई को न्यूनतम चार वर्ष का शैक्षिक अनुभव ।

2-इस सम्बन्ध में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में की गयी शैक्षिक अनुभव को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी । ऐसे शैक्षिक अनुभव प्रमाण-पत्र संस्था प्रबन्धक द्वारा प्रदान किये जायेंगे, जो जि0वि0नि0 द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा ।

3-असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षिक अनुभव प्रमाण-पत्र मासिक वेतन के आधार पर प्रमाणित करना होगा और इस पर जि0वि0नि0 का प्रतिहस्ताक्षर अनिवार्य होगा । प्रतिबन्ध यह भी है कि उपरोक्त शैक्षिक अनुभव शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए ही मान्य होगा । जूनियर हाई स्कूलों तथा अन्य परीक्षा बोर्डों द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा ।

4-अंशकालिक अध्यापकों/अनुदेशकों के सम्बन्ध में 48 माह के विधिवत् वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में माहवार प्रमाण-पत्र चेक संख्या सहित ।

5-उपर्युक्त चयनित विषय विशेषज्ञों को रु0 5000/- प्रतिमाह एक मुश्त निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा । नियत मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता/सुविधा अनुमन्य नहीं होगा । चूंकि, यह राज्य कर्मचारी नहीं होंगे अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि इन्हें पेंशन, भविष्य निधि, अवकाश आदि देय नहीं होंगे ।

6-चयनित विषय विशेषज्ञ चार वादन प्रतिदिन अर्थात् 24 वादन प्रति सप्ताह लेंगे परन्तु विषय विशेषज्ञ उपरोक्त अध्यापन कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य करने के लिए मुक्त होंगे ।

7-मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ऐसे विषय विशेषज्ञों को शैक्षिक आवश्यकता अनुसार उन अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पद स्थापित करेंगे जहां निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों के नये पदों के सृजन की आवश्यकता होगी ।

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों/प्रधानाचार्यों का वेतनमान एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन वितरण की जानकारी

114-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों/प्रधानाचार्यों के क्या वेतनमान निर्धारित किये गये हैं ? गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में ऐसे शिक्षकों को वास्तविक रूप से कितना वेतन दिया जा रहा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं, शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 9 मई, 2000 में यह प्राविधान किया गया है कि संस्था को छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत भाग संस्था द्वारा वेतन मद में खर्च किया जायेगा और अध्यापकों को देय वेतन शिक्षण शुल्क की मात्रा पर निर्भर करेगा तथा शासनादेश संख्या-759/सत्तर-2-2005-2(85)/97, दिनांक 11 मार्च, 2005 द्वारा

स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों/संस्थाओं में नियुक्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउन्टपेयी चेक द्वारा वेतन भुगतान किये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

प्रतापगढ़ के राजकीय इण्टर कालेज में अध्यापक एवं प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

115-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, प्रतापगढ़ में सृजित पदों के सापेक्ष सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या रिक्त पदों पर नियुक्ति कर दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

प्रवक्ता के 02 पद एवं एल0टी0 वेतनक्रम का 01 पद रिक्त है चूंकि स्नातक वेतनक्रम की नियुक्ति के संबंध में मामला मा0 न्यायालय में विचाराधीन है जिसके कारण चयन/नियुक्ति संभव नहीं हो पा रही है ।

प्रवक्ता के पदों पर लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर नियुक्ति की जायेगी ।

प्राइमरी पाठशाला, भदौरा, तरछापार शिक्षा क्षेत्र सीयर, जनपद बलिया में छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की तैनाती करने की मांग

116-श्री रामकरन आर्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला, भदौरा, तरछापार शिक्षा क्षेत्र सीयर, जनपद बलिया में अध्ययनरत छात्रों व छात्राओं की संख्या के अनुपात में शिक्षक तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी नहीं ।

प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जे0 आर0 एस0 ट्यूटोरियल कोचिंग सेन्टर, कबीरनगर, दुर्गाकुण्ड, जनपद वाराणसी के सम्बन्ध में जानकारी

117-श्री राम करन आर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जे0 आर0 एस0 ट्यूटोरियल कोचिंग सेन्टर, कबीरनगर, दुर्गाकुण्ड, जनपद वाराणसी क्या रजिस्टर्ड कोचिंग सेन्टर है ? क्या यह सही है कि इस कोचिंग सेन्टर में सरकारी स्कूल के अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जा रही है और गरीब छात्रों को फीस के

नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कोचिंग सेन्टर की कार्यप्रणाली की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गौतमबुद्ध नगर स्थित राम ईश इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशन एण्ड टेक्निकल एजूकेशन में बी फार्मा का परीक्षाफल घोषित करने की जानकारी

118-श्री मस्तराम-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ग्रेटर नोयडा जनपद गौतमबुद्ध नगर स्थित राम ईश इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशन एण्ड टेक्निकल एजूकेशन में बी फार्मा द्वितीय वर्ष (चौथे सेमेस्टर) का वर्ष 2005 में कतिपय छात्र/छात्राओं का परीक्षाफल अधूरा घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त छात्रों के अधूरे परीक्षाफल को पूर्ण करके अविलम्ब घोषित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

ओ0एम0आर0 सीट पर छात्रों द्वारा रोल नं0 एवं पेपर आई0डी0 त्रुटिपूर्ण भरे जाने के कारण परीक्षाफल रुका जिसे संशोधित कर बाद में घोषित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्पूर्ण परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेहनगर में ड्रेन की खुदाई के निर्माण की मांग

119-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मेहनगर में जल निकासी हेतु जय नगर ड्रेन की खुदाई करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जय नगर ड्रेन की खुदाई हेतु सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है । सर्वेक्षण उपरान्त योजना के गुणावगुण के आधार पर खुदाई का निर्णय लिया जाएगा ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद आजमगढ़ के मेहनगर में लोनी ड्रेन के हेड पर पुलिया चौड़ी करने की मांग

120-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के मेहनगर में लोनी ड्रेन के हेड पर स्थित पुलिया संकरी होने के कारण कई ग्रामों की भूमि जलमग्न हो जाती है ? यदि हां, तो क्या उक्त पुलिया को चौड़ा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

दिनांक 23 व 24 अगस्त, 2005 में जनपद आजमगढ़ में अतिवृष्टि होने के कारण जलप्लावन की स्थिति उत्पन्न हुई, अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में इस पुलिया से जल सुचारू रूप से प्रवाहित हो जाता है ।

इसकी आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जौनपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पंचशील इण्टर कालेज, फतेहगंज में निजी लाभ हेतु एकल परिचालक दिये जाने की जांच

121-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, जनपद जौनपुर के पत्रांक संख्या-2285/89/2004-05, दिनांक 30-6-05 द्वारा पंचशील इण्टरमीडिएट कालेज, फतेहगंज, जनपद जौनपुर में निजी लाभ हेतु एकल परिचालक (सिंगिल आपरेशन) कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस अनियमित पूर्ण एवं उत्पीड़नात्मक कार्यवाही की जांच संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी द्वारा कराये जाने हेतु विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी द्वारा उक्त प्रकरण की जांच कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

पंचशील इं0 का0 फतेहगंज, जौनपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्रांक-2285-89/04-05 दिनांक 30-6-05 द्वारा एकल परिचालन किया, निजी लाभ के लिए नहीं वरन् प्रबंध समिति का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के कारण किया गया है ।

जी हां ।

प्रश्नगत संस्था में एकल परिचालन के विभागीय आदेश को संबंधित पक्षों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है । प्रबंध समिति के दो गुटों द्वारा न्यायालय की शरण में जाने के कारण विभागीय जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है । प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय ने स्थगन प्रदान किया है ।

जनपद मिर्जापुर के ब्लाक लालगंज में कथित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता दिये जाने सम्बन्धी पत्र

122-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले के लालगंज ब्लाक में कुंवर जितेन्द्र प्रसाद, पं0 कृष्ण कान्त दुबे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पतुलकी एवं श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा पं0 शिवमूर्ति दुबे बालिका उ0 मा0 विद्यालय (लालगंज) को धारा-9 (4) के अन्तर्गत मान्यता दिये जाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन विभाग/शासन के पास मार्च एवं अप्रैल, 2005 में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो प्रश्नगत कालेजों के भवन होने के बावजूद चालू सत्र में धारा-9 (4) के अन्तर्गत मान्यता न दिये जाने का कारण क्या है ? क्या सरकार प्रश्नगत कालेजों को चालू सत्र में मान्यता प्रदान किये जाने का कोई आदेश देगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों की संख्या

123-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों की कुल संख्या कितनी है ? क्या सरकार द्वारा सभी विद्यालय में विद्युत पंखे लगाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय 97534 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय 22797 हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परिषदीय विद्यालयों में विद्युत पंखे लगाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

जनपद इलाहाबाद में आई0सी0एफ0ए0आई0 नेशनल कालेज सिविल लाइन में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

124-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि आई0सी0एफ0ए0आई0 नेशनल कालेज, सिविल लाइन, इलाहाबाद में व्याप्त अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 27-7-2005 द्वारा कालेज के अभिलेखों एवं अन्य बिन्दुओं की स्थलीय जांच हेतु 29-7-2005 की तिथि निर्धारित की गयी थी ? यदि हां, तो जांच में कौन सी अनियमितताएं प्रकाश में आयीं तथा इन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

संस्थान एवं पाठ्यक्रमों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गयी है । निदेशक, उच्च शिक्षा को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एम0बी0ए0 एवं एम0सी0ए0 की निर्धारित फीस

125-डा0 राम बाबू हरित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार एम0बी0ए0 एवं एम0सी0ए0 की कितनी फीस निर्धारित की गयी है ? क्या जनपद-आगरा में आर0बी0एस0 कालेज द्वारा इसका अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

राजकीय एवं शासन द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं में एम0बी0ए0/एम0सी0ए0 हेतु रु0 19000/- प्रतिवर्ष प्रति छात्र शुल्क निर्धारित है । निजी क्षेत्र के विद्यालयों में एम0बी0ए0/एम0सी0ए0 पाठ्यक्रमों हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार गठित शुल्क निर्धारण समिति द्वारा अलग-अलग संस्थाओं हेतु अलग-अलग शुल्क निर्धारित किया गया है ।

शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के विरुद्ध आर0 बी0 एस0 कालेज, आगरा ने मा0 उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप ही कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेहनगर में उच्च शिक्षा हेतु डिग्री कालेज खोलने की मांग

126-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेहनगर में उच्च शिक्षा हेतु कोई डिग्री कालेज है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में राजकीय डिग्री कालेज खोलन पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत पूर्व से दो महाविद्यालय स्थापित हैं ।

जनपद-संत कबीर नगर के पं0 कालिका प्रसाद साधु शरण पाण्डेय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरिहरपुर में अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के वितरण का प्रकरण

127-श्री अलगू प्रसाद चौहान-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पं0 कालिका प्रसाद साधु शरण पाण्डेय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, हरिहरपुर, जिला-संत कबीरनगर में कितने अनु0 जाति के छात्र पंजीकृत हैं ? क्या यह सत्य है कि अनु0 जाति के नाम पर फर्जी छात्रों को पंजीकृत कर विद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति आहरित की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पंजीकृत छात्रों का भौतिक सत्यापन कराकर अनियमित रूप से छात्रवृत्ति आहरित करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, संत कबीर नगर के भौतिक सत्यापन के आधार पर पं0 कालिका प्रसाद साधु शरण पाण्डेय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, हरिहरपुर, जिला-संत कबीरनगर में अनुसूचित जाति के पंजीकृत छात्रों का विवरण निम्नवत् है :-

कक्षा	पंजीकृत छात्र संख्या
6	03
7	05
8	03
योग	11

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के कम्हरिया रजवाहा की खुदाई कराने की मांग

128-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत कम्हरिया रजवाहा की खुदाई न होने के कारण टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त रजवाहे की खुदाई कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हां ।

जी हां ।

राजवाहे के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने हेतु राष्ट्रीय समविकास योजना के अन्तर्गत कार्य धन उपलब्ध होने पर पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के तरवां राजवाहा में पानी टेल तक पहुंचाने की मांग

129-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत तरवां राजवाहा में टेल तक पानी नहीं पहुंचने पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रजवाहे में टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं ।

जनपद-आजमगढ़ में तरवां राजवाहा कि0मी0 0.00 से 26.00 तक पड़ती है । विगत वर्ष रबी 1412 फसली में किमी0 22.00 से 26.00 तक आवश्यकता अनुसार सिल्ट सफाई का कार्य कराकर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी । खरीफ 1413 फसली में किमी0 26.00 तक पानी पहुंचाकर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-आजमगढ़ के तरवां राजवाहा की नहर पटरी का लेपन कार्य पूर्ण कराने की मांग

130-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत तरवां राजवाहा की नहर पटरी हेड से ग्राम जिगिनी तक का अपूर्ण लेपन कार्य क्या पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी नहीं ।

उक्त अपूर्ण कार्य सिंचाई विभाग द्वारा नहीं कराया गया है । अपितु इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग ने कराया है ।

लोक निर्माण विभाग से अनुरोध कर लिया गया है ।

प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों को निर्माण एवं विकास हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय विवरण की जानकारी

131-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2005-06 में प्रदेश के किन-किन अशासकीय महाविद्यालयों को विकास एवं निर्माण कार्य हेतु कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है? वित्तीय वर्ष 2004-05 में प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों के लिए कितनी धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गयी थी ? उनमें विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति क्या है ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मिर्जापुर के श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा पं0 शिवमूर्ति दुबे बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को मान्यता दिये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र

132-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "[illegible]"-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले के लाल गंज में नेशनल एजूकेशनल डेवलपमेंट एसोसियेशन (नेडा) द्वारा श्री हेमवती [illegible] बहुगुणा पं0 शिवमूर्ति दुबे बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को धारा 9(4) के अन्तर्गत मा[illegible] दिये जाने हेतु विद्यालय प्रबन्धक का पत्र मार्च/अप्रैल 05 में शासन/विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत विद्या[illegible] को धारा 9(4) में कब तक मान्यता दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर के बाबा साहब कुंवर श्री जितेन्द्र प्रसाद पं0 कृष्ण कान्त दुबे उच्चतर माध्यमिक पतुलकी (लालगंज) को धारा 9(4) को मान्यता दिलाये जाने सम्बन्धी आपत्ति पत्र

133-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नेशनल एजूकेशन डेवलपमेंट एसोसियेशन (नेडा) द्वारा बाबा साहब कुंवर श्री जितेन्द्र प्रसाद पं0 कृष्ण कान्त दुबे उच्चतर माध्यमिक पतुलकी (लालगंज) जिला मिर्जापुर को धारा 9(4) के अन्तर्गत स्ववित्त पोषित मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में विद्यालय प्रबन्धक श्री शशि भूषण दूबे पथिक का प्रत्यावेदन अप्रैल/मई 2005 को शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड दूबेपुर, कुड़वार में प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल के जर्जर भवनों के निर्माण का लक्ष्य

134-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड दूबेपुर एवं

विकास खण्ड कुड़वार में प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल में से कितने स्कूलों के भवन जर्जर हो गये हैं? उनमें से किन-किन विद्यालयों के नवीन भवन के निर्माण वित्तीय वर्ष 2005-06 में कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

श्री किरनपाल सिंह-

जनपद-सुल्तानपुर के विकास खण्ड दूबेपुर एवं विकास खण्ड कुड़वार में निम्न विवरण के अनुसार जर्जर विद्यालय हैं :-

क्र0सं0	विकास खण्ड	प्रा0 वि0	जू0 हा0 स्कूल
1-	दूबेपुर	04	01
2-	कुड़वार	05	02

वर्ष 2005-06 में जनपद-सुल्तानपुर के कुड़वार में 03 जर्जर प्राथमिक विद्यालयों-प्राथमिक विद्यालय, पूरेलेढई, प्राथमिक विद्यालय, माधवपुर आचार, प्राथमिक विद्यालय, अवधपुर के भवन निर्माण स्वीकृत किये गये हैं ।

जनपद सुल्तानपुर के कतिपय विकास खण्डों में परिषदीय एवं जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराने की मांग

135-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर विकास खण्ड दूबेपुर, विकास खण्ड-कुड़वार एवं नगर क्षेत्र सुल्तानपुर में किन-किन परिषदीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में वर्ष 2005-06 में अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत हुए हैं ? क्या स्वीकृत अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

वर्ष 2005-06 में जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड दूबेपुर में 50 प्राथमिक विद्यालयों में 82 कक्षा कक्ष तथा 07 जूनियर हाई स्कूल में 10 कक्षा कक्ष एवं विकास खण्ड कुड़वार में 23 प्राथमिक विद्यालयों में 33 कक्षा कक्ष तथा 05 जूनियर हाई स्कूल में 07 कक्षा कक्ष स्वीकृत हुए हैं (सूची संलग्न)† नगर क्षेत्र के प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूल में कोई कक्षा कक्ष स्वीकृत नहीं हुआ है ।

स्वीकृत अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण हेतु 50% धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को स्थानान्तरित की जा चुकी है तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ हो रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर में शारदा सहायक नहर पटरी का डामरीकरण कराने की मांग

136-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद-सुल्तानपुर में शारदा सहायक नहर पटरी (जौनपुर

---

†देखिए नत्थी ग आगे पृष्ठ सं0 101 पर ।

ब्रान्च) का डामरीकरण किये जाने का कार्य विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित उ0प्र0 वाटर सेक्टर रिस्ट वाचरिंग परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

जी हां ।

जी नहीं ।

निर्माण कार्य के सम्बन्ध में परामर्श देने हतु चयनित संस्था द्वारा परिकल्पन उपलब्ध नहीं कराया गया है । तत्पश्चात् ही आगे की कार्यवाही सम्भव होगी ।

जनपद सुल्तानपुर के राजकीय इण्टर कालेज में रसायन विज्ञान एवं प्रयोगशाला भवन का निर्माण कराने की मांग

137-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सुल्तानपुर नगर स्थित राजकीय इण्टर कालेज का रसायन विज्ञान कक्ष एवं प्रयोगशाला भवन अत्यधिक जर्जर हो गया है, जो किसी भी समय गिर सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निर्माण हेतु धन स्वीकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

जी हां ।

शिक्षा निदेशक (मा0) से आगणन मांगा गया है, प्राप्त होते ही कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के रेहरा बाजार के लाल बहादुर शास्त्री लघु माध्यमिक विद्यालय सराय खास के श्री श्रवण कुमार मिश्र सहा0 अध्यापक के वेतन भुगतान की मांग

138-श्रीमती गुलाब देवी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्रवण कुमार मिश्र, सहायक अध्यापक, लाल बहादुर शास्त्री लघु माध्यमिक विद्यालय सराय खास, रेहरा बाजार, बलरामपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में योजित रिट याचिका सं0 2500/98 के सम्बन्ध में पारित आदेशों के समादर में शासनादेश सं0 2455(1) 79-6-04-20 (135)98, दिनांक 2-11-2004 द्वारा श्री मिश्र को वेतन भुगतान किये जाने हेतु शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या श्री मिश्र के बकाया वेतन का भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री किरनपाल सिंह-

जी हाँ ।

जी नहीं ।

संस्थाधिकारी/प्रधानाचार्य के द्वारा वेतन देयक प्रस्तुत न करने के कारण ।

यथाशीघ्र ।

जनपद प्रतापगढ़ के सेवाश्रम इण्टर कालेज, ढिढुयी पट्टी में तदर्थ आधार पर की गयी नियुक्तियों की जांच

139-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के सेवाश्रम इण्टर कालेज, ढिढुयी पट्टी में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित पदों पर सामान्य जाति के अध्यापक कार्यरत हैं ? क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां, तदर्थ आधार पर नियुक्तियां की गयी हैं ।

आरक्षण का पद चयन बोर्ड को अधियाचित है । चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने पर तदर्थ रूप से कार्यरत अध्यापकों की सेवायें स्वत: समाप्त हो जायेंगी एवं आरक्षण पूरा हो जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर में जर्जर विद्यालयों के भवन का निर्माण कराने की मांग

140-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर नगर क्षेत्र में कौन-कौन से प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं जिनके भवन जर्जर हो गये हैं ? उक्त जर्जर भवनों में से किन-किन विद्यालयों के भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह-

जनपद सुल्तानपुर के नगर क्षेत्र में 07 प्राथमिक विद्यालयों के भवन जर्जर हैं । किसी भी जूनियर हाई स्कूल का भवन जर्जर नहीं है ।

किसी भी विद्यालय के भवन का पुनर्निर्माण प्रस्तावित नहीं है ।

विद्यालय भवन किराये पर हैं । विद्यालय के नाम भूमि उपलब्ध न होने के कारण भवन निर्माण कराना सम्भव नहीं है ।

(12.20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई ।)

मऊ में हुए दंगे सम्बन्धी नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-

मान्यवर, मैंने नियम-311 में एक नोटिस दिया था । आप ग्राह्यता पर सुनने के लिए अवसर दे दें तो मैं उस पर बोलना शुरु करता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल आपकी नियम-311 की सूचना है, बहुजन समाज पार्टी की नियम-311 की सूचना है और कांग्रेस पार्टी की नियम-56 की सूचना मुझे मिली थी मैंने इन सब सूचनाओं को नियम-52 में परिवर्तित करते हुए उस पर डेढ़ घण्टे की चर्चा स्वीकार कर ली है । आप चर्चा चाहते थे वह मैंने स्वीकार कर ली है चाहे किसी नियम में हो । अब निधन के निर्देश लेते हैं जब चर्चा होगी आप कह लीजिएगा ।

श्री हुकुम सिंह-

नियम-311 में चर्चा नहीं हो सकती है तो फिर इसका क्या औचित्य है ।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी, आप बैठ जायं । मैं कह रहा हूं कि निधन के निर्देश ले लेने दें । चर्चा मैंने स्वीकार कर ली है जब चर्चा होगी आप कह लीजियेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, जैसी परम्परा है उस तरह से कार्यवाही हो । परम्परा टूटेगी तो इस सदन की मर्यादा का क्या होगा ?

भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री के0 आर0 नारायणन के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

निधन के निर्देश । मुख्य मंत्री जी भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री के0 आर0 नारायणन के बारे में आप कहें ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय सदन में दु:खद समाचार इस महान सदन के सामने रख रहा हूं । हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति जी श्री के0 आर0 नारायणन का निधन 9 नवम्बर, 2005 को हो गया । वे लगभग एक साल से अस्वस्थ थे और अंत में वह हमारे और आपके बीच से और देश के बीच से चले गये । उम्र भले ही 85 वर्ष की हो गई थी लेकिन उनके अन्दर जो दृढ़ता काम करने की थी, वह हमने निकट से देखी । वे उप राष्ट्रपति भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे और देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्य सभा का सभापतित्व जिस तरीके से उन्होंने किया, उसको भी देखने सुनने का हमको थोड़ा मौका मिला । देश के राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उन्होंने संविधान की सीमाओं में रहकर बड़ी महान परम्परा निभाई और डाली क्योंकि उन्होंने काफी देशों का दौरा ही नहीं किया था अपितु उनकी पढ़ाई-लिखाई भी लन्दन में हुई और वे वहां के विश्वविद्यालय के बहुत अच्छे स्कालर्स में से थे और अंग्रेजी साहित्य में वहां से स्नातकोत्तर थे । उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया, शिक्षक भी रहे और फिर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर भी हमेशा गरीबों का दर्द जाना । वे भी एक साधारण परिवार से जन्मे हमारे देश के राष्ट्रपति बने । उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया । विदेशों के मामले में उनकी समय-समय पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही । आज वे हमारे और आपके

बीच में नहीं हैं । बहुत कुछ उनके बारे में कहा जा सकता है । केन्द्रीय मंत्रि-मण्डल में योजना मंत्री से लेकर और कई विभागों को उन्होंने देखा । तीन बार लोकसभा के सदस्य रहे । इससे ही हम सबको एक जानकारी मिलती है कि वह कितने लोकप्रिय थे । पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के नाम से जो जे0 एन0 यू0 है उसके कुलपति थे । हमें इसका दुख है कि जो हमारी पीढ़ी है, जो हमें प्रेरणा देने वाली पीढ़ी है, हमारे आदर्श धीरे-धीरे हमारे बीच से उठ रहे हैं, हमारे बीच से जा रहे हैं । यह गम्भीर चिन्ता का विषय है । इन महापुरुषों से हमें और माननीय सदन को प्रेरणा लेनी चाहिए । ऐसे आदर्श हमारे बीच से उठ रहे हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई को देखा था । हिस्सा नहीं लिया लेकिन देखा था, उससे प्रेरणा लेकर हमारे देश का नेतृत्व किया । मैं पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर अपनी ओर से, अपने दल की ओर से, इस सदन की ओर से अपनी शोक संवेदनायें व्यक्त करता हूं । हमारा आपसे निवेदन है कि हमारी शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री लाल जी टण्डन-

भारत के राष्ट्रपतियों की लम्बी श्रंखला रही है । जो उच्च पदों पर रहे हैं कुछ लोगों ने अपने कार्यकाल का लम्बा समय पूरा करा है । श्री के0 आर0 नारायणन के कोई पद चिन्ह ऐसे नहीं बने जो देश के संविधान के अन्तर्गत न हों, उन्होंने जो किया वह ऐसा राष्ट्रपति ही कर सकता था । उत्तर प्रदेश के इतिहास में उनका नाम खासतौर से लिया जाएगा । जब असंवैधानिक तरीके से यहां की सरकार भंग की गई थी तब उन्होंने निर्णय लिया उन्होंने उस समय अपने प्रभाव का इस्तेमाल अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके सरकार को पुनर्जीवित किया और सरकार ने, विधान सभा ने अपना कार्यकाल पूरा किया । मान्यवर, उन्हें कई रूपों में याद किया जाएगा । इसी के साथ मैं माननीय नेता सदन के भाव से अपने को सम्बद्ध करते हुए, जैसा उन्होंने बताया उनका अनेकों सपूत खो दिया है । उन्होंने जो किया उसकी स्मृति सदैव कायम रहेगी । हम उनके प्रति अपनी और अपने दल की तरफ से शोक संवेदनायें व्यक्त करते हैं हमारा निवेदन है हमारी श्रद्धांजलि उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री के0 आर0 नारायणन आज हमारे बीच में नहीं हैं । 9 नवम्बर, 2005 को उनका निधन हो गया । श्री नारायण जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे । एक महान व्यक्तित्व थे । केरल के एक छोटे से गांव उजहबूर में पैदा होकर देश के सर्वोच्च सत्ता पर पहुंचे । इससे उनकी विलक्षण प्रतिभा प्रदर्शित होती है । एक पत्रकार के रूप में, एक राजनयिक के रूप में, एक राजनेता के रूप में, मंत्री के रूप में, उप राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, उन्होंने देश की सेवा करते हुए जो एक स्वच्छ राजनीतिक छवि को प्रदर्शित किया है । हम सभी लोगों के लिए वह एक सबक है और साथ ही साथ वह केवल राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में ही नहीं बल्कि वह एक उच्चकोटि के विद्वान भी थे । उन्होंने त्रावणकोर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद शिक्षक के रूप में कार्य प्रारम्भ किया । वह 1949 में भारतीय विदेश सेवा में आये और रंगून, टोक्यो, लंदन, कैनबरा तथा हनोई में भारतीय राजनयिक रहे । थाईलैण्ड, तुर्की, चीन और अमेरिका आदि देशों में भारत के राजदूत के रूप में उसका प्रतिनिधत्व करते हुए उन्होंने भारत देश की जो छवि विश्व के देशों पर छोड़ी है, वह आज भी यादगार के रूप में हमारे सामने है । मान्यवर, वह दिल्ली में

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के भी कुलपति रहे हैं । इन सभी चीजों को देखने से ऐसा लगता है कि वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे और हम सभी सदन के माननीय सदस्यों को ऐसे महान व्यक्तित्व का अनुकरण करना चाहिए । वह आज हमारे बीच में नहीं हैं । उनके निधन से हमारे देश ने एक महान अनुभवी और विद्वान राजनेता खो दिया है । यद्यपि इसकी भरपाई नहीं हो सकती है लेकिन उनका अनुकरण करके और यदि उनके आदर्शों पर हम चल सकें तो कुछ भरपाई की जा सकती है । आज उनके निधन से हम सभी लोग शोक-संतप्त हैं और इस परिवेश में माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, हम उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए, अपनी ओर से एवं बहुजन समाज पार्टी की ओर से शोक-संवेदना व्यक्त करते हैं और मान्यवर, हम अनुरोध करते हैं कि हमारी भावनाओं को उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

***श्री प्रमोद कुमार-**

मान्यवर, पूर्व राष्ट्रपति श्री के0 आर0 नारायणन जी के निधन पर जो विचार आदरणीय नेता सदन आदरणीय नेता विरोधी दल और नेता बहुजन समाज पार्टी, श्री मौर्य जी ने व्यक्त किये हैं, मैं अपने आप को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, जिस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना पूरा हुआ था, जब एक अनुसूचित वर्ग से कोई व्यक्ति उठकर भारत के प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति के पद पर पहुंचा था । मान्यवर, उनका झोंपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर किसी भी युवा पीढ़ी के लिए, किसी भी युग के लिए और किसी भी वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, आदर्श का स्रोत हो सकता है । अगर किसी में क्षमता है, योग्यता है तो श्री नारायणन जी का जीवन उसके सामने एक खुली किताब है, वह किसी भी जाति का हो, वर्ग का हो, बड़ी से बड़ी ऊंचाई पर पहुंच सकता है। टण्डन जी ने कहा कि उन्होंने एक बड़ा साहसिक निर्णय लिया था जब उत्तर प्रदेश में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार भंग हुई थी । मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब बिहार की सरकार भंग की थी तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के निर्णय को नारायणन जी ने पलटा था, कदाचित् यह निर्णय हुआ था । मैं याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि कार्यवाही में सारी बातें आनी चाहिए । मान्यवर, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से स्व0 श्री के0 आर0 नारायणन के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारी भावनाएं उनके परिवार तक पहुंचा दें । मान्यवर, उन्हें सबसे पहले स्व0 श्री राजीव गांधी जी ने विदेश राज्य मंत्री, योजना राज्य मंत्री के रूप में मंत्री बनाया था, वास्तव में यह अच्छी पहल थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

***सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान)-**

मान्यवर, स्व0 श्री के0 आर0 नारायणन के प्रति जो विचार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता बसपा, माननीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने व्यक्त किए हैं, उनके विचारों से मैं स्वयं को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, पूर्व राष्ट्रपति गरीब परिवार में पैदा हुए थे, वह 14 कि0मी0 दूर पढ़ने के लिए जाते थे । वह अंग्रेजी में एम0 ए0 की परीक्षा प्राप्त करने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में गये । विदेश सेवा में गये । वह देश की सबसे बड़ी पंचायत के 3 बार सदस्य रहे । वह केन्द्र में मंत्री के रूप में भी रहे । वह देश के उप राष्ट्रपति, राष्ट्रपति रहे और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

राष्ट्रपति पद पर बैठने के बाद भी जो घटनायें देश में घटीं उन पर उनकी जो बेबाक राय रही उसे भुलाया नहीं जा सकता । जब अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वस्त हुआ था तो उन्होंने कहा था कि गांधी जी की हत्या के बाद देश की सबसे बड़ी त्रासदी यह हमारे सामने आई है और गोधरा संहार के बाद गुजरात में भड़के साम्प्रदायिक दंगे को उन्होंने देश और समाज के लिए गहरा संकट करार दिया था। वह राष्ट्रपति भवन में बैठकर भी देश की घटनाओं पर अपने विचारों को रोक नहीं पाते थे । देश के इस तरह के गौरवपूर्ण, प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व के प्रति मैं अपनी ओर से और अपने दल राष्ट्रीय लोकदल की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारी भावनाएं उनके परिवार तक पहुंचा दें ।

***श्री राम स्वरूप सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, जो विचार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता बसपा, माननीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, माननीय नेता राष्ट्रीय लोक दल ने व्यक्त किये हैं मैं उनके विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुए श्री नारायणन जी के देहावसान पर बहुत ही दुख महसूस करता हूं और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । श्री के0 आर0 नारायणन जी, जिस भी पद पर रहे उस पद पर बैठकर उन्होंने अपनी विलक्षण बुद्धि और कार्यक्षमता का एक आदर्श पेश किया और हर ओहदे पर बैठकर यह दर्शाया कि वह हर ओहदे में चमक ला सकते हैं-चाहे कुलपति रहे हों, चाहे उप राष्ट्रपति रहे हों, चाहे राष्ट्रपति रहे हों, चाहे मंत्री रहे हों । उन्होंने जो भी निर्णय लिए, वह सारी चीजों से ऊपर उठकर देश और समाज के हित के लिए लिये । ऐसे महान व्यक्ति के प्रति अपनी और अपने दल की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरी और मेरे दल की भावनाओं को उनके शोक-संतप्त परिवार तक अवश्य पहुंचा दें ।

***डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-**

मान्यवर, मैं सभी दलों के माननीय नेताओं के विचारों से अपने को जोड़ते हुए इस देश के पूर्व केन्द्रीय योजना राज्य मंत्री, विदेश राज्य मंत्री तथा विज्ञान तथा प्रोद्यौगिकी राज्य मंत्री, जे0 एन0 यू0 के कुलपति, उप राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तथा देश के प्रतिष्ठित पत्रकार स्व0 श्री के0 आर0 नारायणन जी के प्रति अपनी तथा अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । जैसा कि माननीय प्रमोद जी ने कहा है कि झोंपड़ी से उठकर महलों तक, तो मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वे फर्श से उठकर आसमान की ऊंचाइयों तक, धूल से उठकर फूल की सेज तक पहुंचे । वे जिस सांसद-क्षेत्र पालम से चुनकर आते थे मेरा उससे संबंध था । मैं वहां पर दसियों बार गया हूं । वे इस बात का प्रतीक थे कि बुद्धिजीवी, प्रशासनिक अधिकारी या चाहे जितना भी बड़ा अधिकारी हो जब वह जनता के बीच जाता है तो वह अपने चरम को प्राप्त करता है । मैं आपसे चाहूंगा कि हमारी और हमारे दल की शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष-

भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री के0 आर0 नारायणन का 9 नवम्बर, 2005 को दिल्ली में निधन हो गया । वे लगभग 85 वर्ष के थे । प्रख्यात शिक्षाविद श्री नारायणन का जन्म केरल में कोट्टायम जिले के उजहवूर गांव में 27 अक्टूबर, 1920 को हुआ था । उन्होंने त्रावणकोर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शिक्षक के रूप में कार्य आरम्भ किया । तत्पश्चात् उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया तथा वर्ष 1944 से 1948 तक 'द हिन्दू', 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' और साप्ताहिक 'सोशल वेलफेयर' के लिए काम करते रहे । वे 1949 में भारतीय विदेश सेवा में आये और रंगून, टोक्यो, लंदन, कैनबरा तथा हनोई में भारतीय राजनयिक रहे । थाईलैंड, तुर्की, चीन तथा अमेरिका में वे भारत के राजदूत रहे । श्री नारायणन 1979 से 1980 तक जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे । वे लगातार आठवीं, नौवीं तथा दसवीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए । वर्ष 1984 से 1989 के दौरान श्री नारायणन केन्द्रीय योजना मंत्री, केन्द्रीय विदेश राज्य मंत्री तथा केन्द्रीय विज्ञान तथा प्रोद्यौगिकी राज्य मंत्री रहे । उन्होंने 21 अगस्त, 1992 से 24 जुलाई, 1997 तक भारत के उप राष्ट्रपति तथा 25 जुलाई, 1997 से 25 जुलाई, 2002 तक भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया । दृढ़ और स्वतंत्र फैसलों के लिए चर्चित श्री नारायणन ने संविधान के दायरे में रहते हुए कई प्रशंसनीय परंपरायें शुरु कीं । श्री नारायणन अपने कार्यकाल के दौरान खुद को 'जनता का राष्ट्रपति' और 'कार्यकारी राष्ट्रपति' कहते थे । साहित्य, ग्रामीण विकास और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में उनकी विशेष रुचि थी ।

श्री के0 आर0 नारायणन के निधन से देश ने एक उत्कृष्ट राजनयिक और प्रशासक खो दिया। मैं आप सबकी शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचा दूंगा । अब हम उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन धारण करेंगे ।

(दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए सभी सदस्य सदन में दो मिनट मौन खड़े हुए ।)

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हबीबुर्रहमान नोमानी, श्री अरविन्द तिवारी, श्री बद्री सिंह, श्री स्वामी प्रसाद सिंह, श्रीमती इन्द्र मोहनी, श्री जसवन्त सिंह विष्ट, श्री रघुनाथ सिंह, श्री अठई राम, नवाब सिकन्दर अली खां, श्री लाल चन्द्र पाण्डेय तथा श्रीमती प्रेमवती तिवारी के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

अब हम जो भूतपूर्व सदस्य हैं उनकी शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हबीबुर्रहमान नोमानी का 17 अगस्त, 2005 को प्रातः निधन हो गया । वे लगभग 78 वर्ष के थे । श्री हबीबुर्रहमान नोमानी का जन्म वर्ष 1927 में इमामगंज, जिला मऊनाथ भंजन में हुआ था । उन्होंने जामेआमिफताहुल ओलूम, मऊनाथ भंजन से शिक्षा ग्रहण की । श्री हबीबुर्रहमान नोमानी वर्ष 1969 से निर्वाचन क्षेत्र मऊ, तत्कालीन जिला आजमगढ़ से भारतीय क्रांति दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् तथा राज्य सभा के सदस्य भी रह चुके थे ।

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी इमामगंज हैण्डलूम सोसाइटी के सैक्रेटरी, बुनकर कोआपरेटिव सोसाइटी फेडरेशन के अध्यक्ष तथा दलाल कमेटी, मऊ के सेक्रेटरी जनरल रहे थे । वे मंडल कांग्रेस कमेटी तथा उत्तर प्रदेश मोमिन कान्फ्रेन्स के अध्यक्ष एवं जिला कांग्रेस कमेटी तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सैक्रेटरी रह चुके थे । वे श्री चरण सिंह मंत्रिमंडल, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह मंत्रिमंडल तथा श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रिमंडल के मंत्री रहे थे । श्री हबीबुर्रहमान नोमानी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया । उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अरविन्द तिवारी का 06 सितम्बर, 2005 को निधन हो गया । वे लगभग 55 वर्ष के थे । श्री अरविन्द तिवारी का जन्म 20 जून, 1950 को पाठकपुरा, उरई में हुआ था । उन्होंने एल0एल0बी0 तक शिक्षा

ग्रहण की थी । श्री अरविन्द तिवारी वर्ष 1985 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र उरई, जिला जालौन से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे । श्री अरविन्द तिवारी कांग्रेस पार्टी के एक योग्य कार्यकर्ता थे एवं सदैव अपने क्षेत्र के विकास के लिये प्रयत्नशील रहते थे। श्री अरविन्द तिवारी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बद्री सिंह का 07 सितम्बर, 2005 को निधन हो गया । वे लगभग 72 वर्ष के थे । श्री बद्री सिंह का जन्म 02 जुलाई, 1933 को ग्राम सहाव, जिला जालौन में हुआ था । उन्होंने बी0ए0, एल0एल0बी0 तक शिक्षा ग्रहण की थी । श्री बद्री सिंह वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र कालपी, जिला जालौन से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे । श्री बद्री सिंह वर्ष 1978 में श्रीमती इन्दिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में धारा-188 के अन्तर्गत 03 दिन जिला कारागार, उरई में बन्दी रहे थे । इसके अलावा वे धारा-144 के उल्लंघन में भी बन्दी रहे थे । वे श्री लक्ष्मी नारायण उच्चतर मरध्यमिक विद्यालय, सहाव (जालौन) के प्रबन्धक तथा राजकीय कृषि विद्यालय, चिरगांव (झांसी) के अध्यक्ष भी रहे थे । समाज सवा में उनकी विशेष रुचि थी । श्री बद्री सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री स्वामी प्रसाद सिंह का 22 सितम्बर, 2005 को निधन हो गया । वे लगभग 92 वर्ष के थे । श्री स्वामी प्रसाद सिंह का जन्म वर्ष 1913 में ग्राम धागवान, जिला हमीरपुर में हुआ था । उन्होंने एम0ए0, एल0एल0बी0 तक शिक्षा ग्रहण की थी । श्री स्वामी प्रसाद सिंह वर्ष 1969, 1974 तथा 1980 में निर्वाचन क्षेत्र राठ, जिला हमीरपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे आठवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे थे । श्री स्वामी प्रसाद सिंह जिला हमीरपुर के अच्छे वकीलों में से थे । वे ब्रह्मानन्द डिग्री कालेज, राठ के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे थे । वे हमीरपुर जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे थे । वे वर्ष 1969-77 तथा 1984-85 तक उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल में केबिनेट मंत्री रहे थे । कृषि तथा शिक्षा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री स्वामी प्रसाद सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती इन्द्रमोहिनी का 26 सितम्बर, 2005 को निधन हो गया । वे लगभग 74 वर्ष की थीं । श्रीमती इन्द्रमोहिनी का जन्म 25 जुलाई, 1931 को सहसपुर बिलारी, जिला मुरादाबाद में हुआ था । उन्होंने बी0ए0 प्रथम वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्रीमती इन्द्रमोहिनी सर्वप्रथम वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र चन्दौसी, जिला मुरादाबाद से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई थीं । तत्पश्चात वे वर्ष 1969 तथा वर्ष 1974 में पुन: विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई थीं । वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की सदस्य भी रह चुकी थीं। श्रीमती इन्द्रमोहिनी आजीवन कांग्रेस पार्टी की एक निष्ठावान सदस्य रही थीं । वे श्री चन्द्रभानु गुप्त मंत्रिमंडल एवं श्री त्रिभुवन नारायण सिंह मंत्रिमण्डल में उप मंत्री तथा श्री नारायण दत्त तिवारी एवं श्री श्रीपति मिश्र मंत्रिमण्डल में राज्य मंत्री रह चुकी थीं । वे कामनवेल्थ वीमेन्स एसोसियेशन, भारत सेवक समाज तथा अन्य कई संस्थाओं की सदस्या भी रहीं । उनकी लेख लिखने तथा खेल कूद में रुचि थी। श्रीमती इन्द्रमोहिनी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी महिला को खो दिया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जसवन्त सिंह विष्ट का 04 अक्टूबर, 2005 को निधन हो गया । वे लगभग 76 वर्ष के थे । श्री जसवन्त सिंह विष्ट का जन्म 19 नवम्बर, 1929 को ग्राम तिमिली, जिला अल्मोड़ा में हुआ था । श्री जसवन्त सिंह विष्ट वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र रानीखेत, जिला अल्मोड़ा से निर्दलीय सदस्य के रूप में विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे । तत्पश्चात् वे वर्ष 1989 में उत्तराखंड क्रांतिदल से पुन. विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट अनेक बार राजनीतिक आन्दोलनों के संबंध में जेल जा चुके थे । वे ब्लाक प्रमुख, विकास खण्ड साल्दे, सदस्य, जिला परामर्शदात्री समिति, अल्मोड़ा तथा अध्यक्ष, शिक्षा संस्था साल्दे आदि पदों पर आसीन रहे थे । वे उत्तराखंड क्रांतिदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे । जनसेवा एवं विकास कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी । श्री जसवन्त सिंह विष्ट के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रघुनाथ सिंह का 06 अक्टूबर, 2005 को निधन हो गया, वे लगभग 77 वर्ष के थे । श्री रघुनाथ सिंह का जन्म 01 जनवरी, 1928 को हुआ था । उन्होंने एम0ए0, साहित्यरत्न की शिक्षा ग्रहण की थी । श्री रघुनाथ सिंह वर्ष 1967 तथा 1969 में निर्वाचन क्षेत्र सरवन खेड़ा, जिला कानपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे । श्री रघुनाथ सिंह ने कई शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की थी । वे जिला सहकारी बैंक, कानपुर के संचालक रहे थे । अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी । श्री रघुनाथ सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है । उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अठई राम का 7/8 अक्टूबर, 2005 की रात्रि में निधन हो गया । वे लगभग 79 वर्ष के थे । श्री अठई राम का जन्म 1जनवरी, 1926 को हुआ था । उन्होंने जूनियर हाई स्कूल तक शिक्षा ग्रहण की थी ।

श्री अठई राम वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र हंडिया, जिला इलाहाबाद से निर्दलीय सदस्य के रूप में विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे । तत्पश्चात् वे वर्ष 1974 तथा वर्ष 1977 में क्रमशः भारतीय क्रान्ति दल तथा जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे । श्री अठई राम समाजवादी आन्दोलनों में कई बार जेल यात्रा कर चुके थे । वे इलाहाबाद जिला परिषद् के सदस्य तथा धनपुर ब्लाक के ब्लाक प्रमुख रहे थे। वे अदालत पंच ग्राम, सोसाइटी के सरपंच, गन्ना सहकारी समिति आदि के संचालक मण्डल के सदस्य भी रहे थे । वे कई शिक्षा संस्थाओं के अध्यक्ष पद पर आसीन रह कर क्षेत्र की सेवा करते रहे थे । श्री अठई राम के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य नवाब सिकन्दर अली खां का 20 अक्टूबर, 2005 को निधन हो गया । वे लगभग 59 वर्ष के थे । नवाब सिकन्दर अली खां का जन्म वर्ष 1946 में शाहजहांपुर में हुआ था । उन्होंने एम0ए0 तक शिक्षा ग्रहण की थी । नवाब सिकन्दर अली खां वर्ष 1981 के उप निर्वाचन में तथा 1985 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र शाहजहांपुर, जिला शाहजहांपुर से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे । नवाब सिकन्दर अली खां वर्ष 1971 से 1975 तक शाहजहांपुर म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्य रहे थे । वे नवीन नगर सुधार कमेटी, शाहजहांपुर तथा शाहजहांपुर ट्रक आपरेटर्स यूनियन के संरक्षक थे । जनता की सेवा एवं अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी तथा स्पोर्ट्स प्रिय थे । नवाब सिकन्दर अली खां के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री लाल चन्द्र पाण्डेय का 20 अक्टूबर, 2005 को निधन हो गया । वे लगभग 56 वर्ष के थे । श्री लाल चन्द्र पाण्डेय का जन्म 20 जुलाई, 1949 को ग्राम सिंहपुर, ज्ञानपुर तत्कालीन जिला वाराणसी में हुआ था । उन्होंने बी0ए0, एल0एल0बी0 तक शिक्षा ग्रहण की थी । श्री लाल चन्द्र पाण्डेय वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र ज्ञानपुर, जिला सन्त रविदास नगर (तत्कालीन जिला वाराणसी) से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे । श्री लाल चन्द्र पाण्डेय भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय सदस्य थे । वे वर्ष 1972 में काशी

नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर के छात्र संघ अध्यक्ष चुने गये थे । श्री लाल चन्द्र पाण्डेय के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती प्रेमवती तिवारी का 22 अक्टूबर, 2005 को निधन हो गया । वे लगभग 84 वर्ष की थीं । श्रीमती प्रेमवती तिवारी का जन्म 13 अगस्त, 1921 को राजस्थान में हुआ था । उन्होंने एम0ए0 तक शिक्षा ग्रहण की थी । श्रीमती प्रेमवती तिवारी वर्ष 1980, 1985 तथा 1989 में लगातार निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ कैन्ट, जिला लखनऊ से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई थीं । वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की सदस्य भी रह चुकी थीं । श्रीमती प्रेमवती तिवारी ने आचार्य विनोबा भावे जी के साथ भूदान आन्दोलनों में भाग लिया था तथा पद यात्रायें की थीं । वे अनेक शैक्षिक संस्थानों तथा महिला संस्थाओं से सम्बद्ध रही थीं । वे लोक कल्याण महिला समिति, उत्तर प्रदेश तथा बछरावां इण्टर कालेज की अध्यक्ष रही थीं । वे विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति की सभापति भी रहीं । इसके अलावा वे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मंत्रिमण्डल, श्री श्रीपति मिश्र मंत्रिमण्डल तथा श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रिमण्डल में राज्य मंत्री भी रही थीं । जनसेवा में उनकी विशेष रुचि थी । श्रीमती प्रेमवती तिवारी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी महिला को खो दिया है ।

मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि कृपया दो मिनट का मौन धारण करने का कष्ट करें ।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सभी सदस्य सदन में दो मिनट मौन खड़े हुए ।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठ जायें ।

महान समाजवादी नेता श्री मधु दंडवते के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

महान समाजवादी नेता श्री मधु दंडवते का दिनांक 12 नवम्बर, 2005 को लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया । वे लगभग 81 वर्ष के थे । श्री मधु दंडवते का जन्म दिनांक 21 जनवरी, 1924 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था । उनका विवाह समाजवादी नेता एवं संसद सदस्य श्रीमती प्रमिला दंडवते से हुआ था । श्री दंडवते मुम्बई में स्थापित सिद्धार्थ कालेज में परमाणु भौतिकी के प्रोफेसर रहे।

श्री दंडवते ने सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया । वर्ष 1946 से वे सक्रिय तौर पर समाजवादी आन्दोलन से जुड़ गये । पुर्तगाली शासन से गोवा की मुक्ति के लिए उन्होंने सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया । श्री दंडवते वर्ष 1971 से 1990 के मध्य पांच बार महाराष्ट्र की राजापुर सीट से लोकसभा के लिए चुने गये । वे आपातकाल के बाद बनी श्री मोरार जी देसाई सरकार में रेलमंत्री और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मंत्रिमण्डल में वित्तमंत्री रहे । उन्होंने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री और एच0 डी0 देवगौड़ा की पार्टी से अपने को सम्बद्ध किया था ।

अपनी विनम्रता के लिए विख्यात श्री दंडवते ने संसद में शून्यकाल के मध्य हमेशा जनसाधारण से जुड़े मुद्दों को उठाया । उनकी भ्रमण एवं लेखन में विशेष रुचि थी । उन्होंने कई देशों की यात्रायें भी कीं । इसके अलावा उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की । श्री मधु दंडवते के निधन से देश ने एक प्रख्यात समाजवादी नेता को खो दिया ।

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया दो मिनट का मौन धारण करने का कष्ट करें ।

(दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठ जायें ।

मऊ में हुए दंगे सम्बन्धी नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-

मान्यवर, मैंने नियम-311में नोटिस दी थी, जिसे आपने स्वीकार कर लिया मैं अब उस पर चर्चा प्रारम्भ करना चाहता हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैंने नियम-311 में नोटिस दी थी ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय नेता विरोधी दल आपकी सभी विपक्षी दल की सूचनाएं आई थीं उसको नियम 52 में परिवर्तित कर दिया है ।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर अपनी-अपनी बात कहते हुए नियम-311 में ही चर्चा की मांग करने लगे तथा 'मऊ सरकार का यह उपहार, मऊ में हिन्दू नरसंहार' नारा लिखा पोस्टर दिखाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

आपने चर्चा की मांग की और मैंने चर्चा स्वीकार कर ली अब आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं केवल समय बाधित करना चाहते हैं विधान सभा का और गरीब जनता का करोड़ों रुपया आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं । आपकी चर्चा की मांग थी वह हमने मान ली है । कार्यमंत्रणा समिति में आज बैठक है उसमें आप विचार कर लीजिए तो फिर इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है जिस चीज की आप चर्चा चाहते थे उसको मैंने स्वीकार किया । आप चर्चा से भागना चाहते हैं और कोई कारण नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22 नवम्बर, 2005 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गई ।

पहली सूचना डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी को मेरठ नगर में अधूरी पेयजल योजना पूर्ण करने हेतु दो ट्यूबवेलों के निर्माण के कार्य को पूरा कराने के संबंध में, दूसरी सूचना श्री घूरा राम की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों के सी0एम0एस0डी0 स्टोर में सम्बद्ध फार्मेसिस्टों की सम्बद्धता समाप्त करने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा की जनपद जालौन की कोंच तहसील में सिंचाई विभाग बेतवा प्रखण्ड की लापरवाही के कारण एक दर्जन गांव के किसानों की फसल जल भराव से सड़ जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, चौथी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की प्रदेश के मेडिकल कालेजों में रिक्त शिक्षकों के पदों को भरने के संबंध में, पांचवीं सूचना श्री मुंशी लाल गौतम की बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत शिकारपुर-जहांगीराबाद मार्ग का जीर्णोद्धार करने के सम्बन्ध में, छठी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर और बस्ती मण्डल में खाद एवं बीज की आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, सातवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत ग्रामसभा चरूहारवीक विकास खण्ड दीनशाहगौरा के प्राथमिक विद्यालय के अधूरे भवन का निर्माण कार्य पूरा कराने के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना डा0 पी0 के0 राय की देवरिया कसया सहकारी बैंक शाखा तरया सुजान, दुदही, तमकुही रोड जनपद कुशीनगर द्वारा किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराने के सम्बन्ध में, नवीं सूचना श्री कौशल किशोर की लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों में सिंचाई हेतु सरकारी नलकूप लगवाने के सम्बन्ध में ।

(व्यवधान के मध्य)

दसवीं सूचना श्री मुकुल उपाध्याय की अलीगढ़ के इगलास क्षेत्रान्तर्गत 132 के0वी0 का विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कराये जाने के संबंध में, ग्यारहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर नगरपालिका सीमान्तर्गत खराब पड़े इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों की रिपेयरिंग कराकर पेयजल व्यवस्था सुचारू कराने के संबंध में, बारहवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह (बरेली) की बरेली के आंवला क्षेत्रान्तर्गत भूड़ा बसन्तपुर और गोराघाट के बीच रामगंगा नदी पर सेतु निर्माण कराये जाने के संबंध में, तेरहवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का नवीनीकरण कराये जाने के संबंध में है ।

(स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयीं)

मेरठ नगर में अधूरी पेयजल योजना पूर्ण करने हेतु दो ट्यबवेलों के निर्माण कार्य को पूरा करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

[मान्यवर, मेरठ नगर में पेयजल की दृष्टि से त्वरित राहत चतुर्थ (IR IV) योजना में 20 लाख रुपया रिवाल्विंग फण्ड से प्राप्त हुआ था । उपरोक्त धनराशि से योजना में प्रस्तावित 2 ट्यूबवेल सुभाष नगर व गाँधी आश्रम में बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया । सुभाष नगर की भूमि श्रम विभाग से मिली थी तथा इसमें कमरा बन चुका है । गाँधी आश्रम की भूमि नि:शुल्क गाँधी आश्रम द्वारा दी गई थी, इसमें बोरिंग व डेवलपमेंट हो चुका । उपरोक्त दोनों ट्यूबवेलों को पूर्ण करके पाइप लाइन द्वारा क्षेत्रों से

`नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जोड़ने के लिए 52 लाख रुपये की आवश्यकता है । रिवाल्विंग फण्ड से 52 लाख रु0 ऋण का प्रस्ताव जिलाधिकारी मेरठ के माध्यम से नगर निगम मेरठ का नगर विकास अनुभाग-9 को आ चुका है । उपरोक्त वांछित ऋण से दोनों ट्यूबवेलों का उपयोग करके जनता को पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा । अधूरी पेयजल योजना पूर्ण हो जायेगी ।

मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस विषय को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों के सी0एम0एस0डी0 स्टोर में सम्बद्ध फार्मेसिस्टों की सम्बद्धता समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री घूरा राम-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ0प्र0 के जनपदों में अस्त-व्यस्त एवं चरमराती हुई चिकित्सा व्यवस्था के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिनमें बांदा जनपद में श्री आर0 जी0 सिंह को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोरा मुगली से सी0एम0एस0डी0 स्टोर में सम्बद्ध हैं, श्री पौहारी सिंह, जनपद देवरिया के सी0एम0एस0डी0 स्टोर में सम्बद्ध हैं, श्री सूबेदार यादव, फार्मेसिस्ट महिला चिकित्सालय, आजमगढ़ से सी0एम0एस0डी0 स्टोर में सम्बद्ध हैं, श्री जगदीश पाल तिब्बतिया, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अगौता से बुलन्दशहर सी0एम0एस0डी0 स्टोर में सम्बद्ध हैं तथा अदया प्रसाद फार्मेसिस्ट, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुढ़वार से सी0एम0एस0डी0 स्टोर ललितपुर में उपरोक्त शासनादेश के विरुद्ध सम्बद्ध किया गया है । इन सभी सम्बद्ध फार्मेसिस्टों के द्वारा जिले में आपूर्ति दवायें स्थानीय ड्रग माफियाओं के माध्यम से कालाबाजारी के माध्यम से बाजार में खुले आम, धड़ल्ले से बिकवाया जा रहा है । गरीबों के लिये जो दवायें राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी जा रही हैं, वे दवायें सम्बद्धता के कारण गुणवत्ता से युक्त नहीं होती। साथ ही साथ उक्त दवाओं को जनता में न बांटकर बाजारों में धड़ल्ले से बिक रही हैं । उपरोक्त सभी फार्मेसिस्ट लम्बे समय से अपने-अपने जिले में कार्यरत रहने के कारण ड्रग माफियाओं से जुड़े अपराधियों से सांठ-गांठ है और ये जनपद में आतंक का वातावरण बनाकर दवाओं की हेराफेरी कर रहे हैं । ड्रग माफियाओं के डर से जिले में कई डाक्टर उपरोक्त फार्मेसिस्टों के नर्सिंग होम पर लगे हुए हैं और ये सभी फार्मेसिस्ट अपने-अपने जिले में आतंक का पर्याय बन गये हैं । इन सभी फार्मेसिस्टों के अपराधिक गतिविधियों की पृष्ठभूमि में विभागीय अधिकारियों द्वारा सम्बद्धता समाप्त करने के आदेश भी जारी किये गये हैं, फिर भी अपने अपराधिक पृष्ठभूमि के कारण स्टोरों में बने हुये हैं । उक्त सभी फार्मेसिस्टों के कार्यकलापों एवं उन सभी के चल-अचल सम्पत्तियों की जांच कराने का शासन से अनुरोध किया जा चुका है ।

उक्त सभी जनपदों में चिकित्सा व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु उपरोक्त सभी जनपदों के सी0एम0एस0डी0 स्टोर में सम्बद्ध फार्मेसिस्टों की सम्बद्धता समाप्त करते हुए मंडल के सुदूर स्थानान्तरित कर उच्चस्तरीय जांच के लोकमहत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद जालौन की कोंच तहसील में सिंचाई विभाग बेतवा प्रखण्ड की लापरवाही के कारण एक दर्जन गांव के किसानों की फसल जल भराव से सड़ जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

[मान्यवर, जनपद जालौन की कोंच तहसील के ग्राम परैला, मगरा, सेता, इमलौरी, खैरी, किशुनपुरा, फुलैला, देवगांव, भेपता, कमतारी, सुनाया आदि एक दर्जन गांव की दो हजार एकड़ के लगभग कृषि भूमि सिंचाई विभाग बेतवा प्रखण्ड के अधिकारियों की लापरवाही के कारण पानी में डूब गयी है । नहर की कुठौंद शाख की खांदी बन्द न करने के कारण करई बांध में इतना अधिक पानी इकट्ठा हो गया कि बन्धा फट गया तथा दिनांक 30-10-05 से किसानों की अर्किल मटर तथा चना की फसल पानी में डूब गयी । इसके बाद भी पानी निकालने की कोई भी कार्यवाही विभाग द्वारा न करने से समस्त फसल सड़ गयी व बाढ़ जैसी वर्तमान स्थिति में कोई फसल अब संभव भी न होगी । किसानों को कम से कम 15000 रुपया प्रति एकड़ की फसल का नुकसान हुआ है । इससे इस क्षेत्र के 500 किसानों के परिवार तबाह हो गये हैं व उनके समक्ष रोटी की समस्या हो गयी है ।

मैं किसानों से जुड़े इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में रिक्त शिक्षकों के पदों को भरने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

***डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-**

[मान्यवर, प्रदेश के आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, झांसी, गोरखपुर मेडिकल कालेजों में शिक्षकों के 333 पद काफी समय से रिक्त पड़े हुए हैं । इनमें से आगरा मेडिकल कालेज में प्रोफेसर के 7 और रीडर के 9, इलाहाबाद में प्रोफेसर का 1 और रीडर के 11, कानपुर में प्रोफेसर के 11 और रीडर के 15, मेरठ में प्रोफेसर के 8 और रीडर के 18, झांसी में प्रोफेसर के 7 और रीडर के 5 तथा गोरखपुर मेडिकल कालेज में प्रोफेसर के 7 और रीडर के 9 पद रिक्त हैं । इनके अतिरिक्त लेक्चरर के 245 पद भी रिक्त चल रहे हैं ।

इतने अधिक पदों के रिक्त होने के कारण इन सरकारी मेडिकल कालेजों में पठन-पाठन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है । इसी को दृष्टि में रखकर मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया के कुछ मेडिकल कालेजों को कई बार चेतावनी दे चुका है । अभी हाल ही में शासन ने मेडिकल कालेजों में रीडर और प्रोफेसर के 108 रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त मेडिकल शिक्षकों को संविदा के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है । खेद का विषय है कि अभी तक सरकार ने लेक्चरर के 245 रिक्त पदों को भरने के बारे में कोई गम्भीरता नहीं दिखाई है । प्रदेश में मेडिकल शिक्षा शिक्षकों के अभाव में काफी प्रभावित हो रही है । शिक्षकों का यह अभाव मेडिकल शिक्षा के स्तर को प्रभावित करने के साथ-साथ राज्य के मेडिकल कालेजों की प्रतिष्ठा को कम कर रहा है । शासन का ध्यान मेडिकल कालेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु आकृष्ट करता हूं ।

उपरोक्त विषय लोकमहत्व का एवं अविलम्बनीय है । अत: नियम-301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं ।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

***वक्ता** ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत शिकारपुर-जहांगीराबाद मार्ग का जीर्णोद्धार करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री मुंशी लाल गौतम-**

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर के मार्ग शिकारपुर से जहांगीराबाद सड़क पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है जिसमें अनूपशहर चीनी मिल को गन्ना लाने ले जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । ग्राम तैयबपुर, कुतबपुर, जखैता, चाँदव, असावरी आदि ग्राम समग्र गांव में चयनित हैं लेकिन आज तक उन ग्रामों के लिए जाने आने के लिए सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण रास्ता में अवरोध उत्पन्न होता है जिससे इस रास्ते पर आये दिन राहजनी व लूट इसी कारण होती रहती हैं ।

अत: लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न के माध्यम से शिकारपुर से जहांगीराबाद मार्ग के जीर्णोद्धार की मांग करता हूं ।]

गोरखपुर और बस्ती मण्डल में खाद्य एवं बीज की आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

***डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-**

[मान्यवर, कृषि इस प्रदेश के खुशहाली और विकास की रीढ़ है । 75 प्रतिशत श्रम शक्ति आज भी इसी क्षेत्र से अपनी आजीविका प्राप्त करती है तथा प्रदेश की आय में 31.8 प्रतिशत का योगदान करती है । अपने मेहनत, लगन, निष्ठा और खून-पसीने के बल पर, अपने आपको भूखा रखकर भी प्रदेश का किसान, प्रदेश की जनसंख्या के देश का सिर्फ 16.2 प्रतिशत होने के बावजूद 21 प्रतिशत अनाज पैदा करता है । यह अत्यन्त दु:खद है कि शासन गोरखपुर और बस्ती मण्डल के किसानों को खाद और बीज जैसे आधारभूत चीजें भी उपलब्ध कराने में असफल रहा है । बुवाई का सीजन पीक पर पहुंच रहा है और खाद बीज के न मिलने से गेहूं की बुवाई प्रभावित होने जा रही है । रबी की फसलों के लिये गोरखपुर मण्डल में यूरिया के 1,75,735 मी0 टन के लक्ष्य के सापेक्ष 49621 मी0 टन डी0ए0पी0 के 57525 मी0 टन के लक्ष्य के सापेक्ष 25733 मी0 टन, एन0पी0के0 के 54535 मी0 टन लक्ष्य के सापेक्ष 25395 मी0 टन तथा पोटाश के 14594 मी0 टन के लक्ष्य के सापेक्ष 8521 मी0 टन खाद की उपलब्धता हो पाई है । इसी प्रकार से बस्ती मण्डल में यूरिया के 124918 मी0 टन लक्ष्य के सापेक्ष 45236 मी0 टन, डी0ए0पी0 के 40304 मी0 टन लक्ष्य के सापेक्ष 11253 मी0 टन, पोटाश के 7698 मी0 टन के लक्ष्य के सापेक्ष 3775 मी0 टन तथा एन0पी0के0 के 9019 मी0 टन के सापेक्ष 4534 मी0 टन खाद की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाई । 12 नवम्बर, 2005 को 7200 मी0 टन डी0ए0पी0 और 7200 मी0 टन एन0पी0के0 के गोरखपुर में उतरने वाली थी, लेकिन उसे राजनैतिक पहुंच के आधार पर बिहार पहुंचा दिया गया ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों में शासन प्रशासन तंत्र की इस विफलता से जबरदस्त आक्रोश है। मुण्डेरवा की एक छोटी सी चूक से पैदा हुयी अनियन्त्रित स्थितियां किसानों के दिल में बैठे हुए गुस्से

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को प्रदर्शित करती है । लोग इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ शासन की नाइन्साफी तथा संवेदनहीनता का ज्वलन्त प्रतीक मानते हैं । दिल में घर कर लेने वाली यह पीड़ा ही खेत और खेतिहर कृषक को रासायनिक खाद मिले या न मिले, विघटनकारी आन्दोलनों को राजनैतिक खाद अवश्य उपलब्ध कराती है ।

कृपया लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय को नियम-301 के तहत सदन में उठाने की अनुज्ञा प्रदान करें ।]

रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभाचारुहारवीक, विकास खण्ड दीनशाहगौर के प्राथमिक विद्यालय के अधूरे भवन का निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र-96 डलमऊ के जनपद रायबरेली के अन्तर्गत ग्राम सभा-चरुहारवीक वि0खं0-दीनशाहगौरा के प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हैजिससे छोटे-छोटे बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठने को विवश हैं । विद्यालय के भवन का निर्माण पूर्ण न कराये जाने से क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश एवं जनाक्रोश व्याप्त है ।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अर्द्ध-निर्मित भवन को पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं ।]

देवरिया कसया सहकारी बैंक शाख तरया सुजान, दुदही, तमकुही रोड जनपद कुशीनगर द्वारा किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अतर्गत सूचना

***डा0 पी0 के0 राय-**

[मान्यवर, देवरिया कसया सहकारी बैंक शाखा तरया सुजान दुदही,तमकुही रोड जनपद कुशीनगर द्वारा किसानों के गन्ना बकाया भुगतान, अपने बचत की धनराशि एवं पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है । जिससे किसानों को घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है एवं खेत की बोआई, विवाह एवं इलाज कराने में किसान असमर्थ है । ऐसी स्थिति में शासन से अनुरोध है कि देवरिया कसया सहकारी बैंक शाखा तरया सुजान, दुदही, तमकुही रोड जनपद कुशीनगर द्वारा किसानों के भुगतान के तरफ शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस लोक महत्वपूर्ण प्रश्न पर आवश्यक कार्यवाही एवं वक्तव्य की मांग करता हूं ।]

लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों में सिंचाई हेतु सरकारी नलकूप लगवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री कौशल किशोर-**

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के 1. गांव आंट के

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पश्चिम तरफ 2. गांव आंटगढ़ी सौरा के दक्षिण तरफ 3. गांव घुंघचेला के पश्चिम तरफ 4. गांव सिसवारा के दक्षिण तरफ 5. गांव मलहा के पश्चिम तरफ 6. गांव फतेहनगर के पूरब तरफ 7. गांव सेमसी के उत्तर तरफ 8. गांव कैथुलिया के पूरब तरफ 9. गांव पारा भदराही के उत्तर तरफ व तहसील सदर लखनऊ के गांव जेहटा के दक्षिण तरफ सिंचाई का कोई साधन न होने के कारण आम फल पट्टी क्षेत्र घोषित होने के बावजूद सिंचाई का कोई साधन नहीं है । यदि उक्त स्थानों पर सरकारी नलकूप नहीं लगाये गये तो दसियों हजार परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच जायेंगे । उक्त स्थानों में जनहित व किसान हित में सरकारी नलकूप लगवाना अति आवश्यक है ।

अत: आपसे विनम्र आग्रह है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को नियम-301 में स्वीकार करने की कृपा करें ।]

अलीगढ़ के इगलास क्षेत्रान्तर्गत 132 के0वी0 का विद्युत उप-संस्थान का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री मुकुल उपाध्याय-**

[मान्यवर, अति लोक महत्व की सूचना पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मेरी विधान सभा क्षेत्र इगलास (अलीगढ़) के अन्तर्गत एक भी 132 के0वी0 का विद्युत उप-संस्थान नहीं है जबकि इगलास तहसील स्तर का क्षेत्र है । जनपद अलीगढ़ एवं नजदीकी जनपद हाथरस में प्रत्येक तहसील स्तर पर 132 के0वी0 का विद्युत उप-संस्थान है । भारत सरकार और उ0 प्र0 सरकार के द्वारा राजीव गांधी विद्युत योजना के अन्तर्गत प्रत्येक गांव को विद्युतीकृत किया जाना है । जिसका काम भी शुरु हो चुका है । क्षेत्र में विद्युत का काफी भार भी बढ़ गया है । किसानों के साथ-साथ इगलास क्षेत्र में कई स्टील फैक्ट्री व कोल्ड स्टोरों का भी निर्माण हुआ है ।

मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इगलास, बेसवां, हस्तपुर तीनों 33 के0वी0 उप-संस्थानों के लिए 33 के0वी0 की लाइन हाथरस से आ रही है जो कई किलोमीटर लम्बी है । 33 के0वी0 लाइन में फाल्ट होने पर हाथरस से शट डाउन लेना पड़ता है । जिसमें कई घण्टे लगते हैं । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जनहित, व्यापारियों के हित, किसानों के हित में इगलास के अन्तर्गत 132 के0वी0 का उप-संस्थान स्वीकृत कराने का कष्ट करें ।]

शाहजहांपुर नगर पालिका सीमान्तर्गत खराब पड़े इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्पों की रिपेयरिंग कराकर पेयजल व्यवस्था सुचारु कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मान्यवर, शाहजहांपुर नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत पानी की बड़ी किल्लत है, नगर में 100 से ज्यादा इण्डिया मार्का-2 नल खराब पड़े हैं । नगर पालिका जल निगम पर टालती है, जल निगम विभाग के अधिकारी धन के अभाव की बात करते हैं तथा छोटी-छोटी रिपेयर (मरम्मत) के लिये नगर पालिका प्रशासन की जिम्मेदारी बताते हैं । नगर में पेयजल सप्लाई के जो नलकूप बने हैं वह

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भी पूरी क्षमता से पानी नहीं देते हैं उसमें कई नलकूप पूरी तरह से खराब पड़े हैं । पेशाब घरों में भी नल का पानी न मिलने से भयंकर बदबू आती है जिसका कोई समाधान नहीं है ।]

अत: लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से शाहजहांपुर की सीमा में पानी की व्यवस्था सुचारु करने की मांग शासन से करता हूं ।]

बरेली के आंवला क्षेत्रान्तर्गत मूड़ा बसन्तपुर और गौराघाट के बीच रामगंगा नदी पर सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मपाल सिंह (बरेली)-

[मान्यवर, कार्तिक पूर्णिमा पर दिनांक 15-11-2005 को मीरगंज और सिरौली के बीच हाजीपुर घाट पर नौका पलट जाने से 15 लोगों की गंगाजल में डूब जाने से मृत्यु हो गयी, जिसमें स्त्री, पुरुष और बच्चे सम्मिलित हैं । यह नौका दुर्घटना पुल न होने का ही नतीजा है । रामगंगा के एक किनारे पर आंवला तहसील के गांव और रामगंगा के दूसरे किनारे पर मीरगंज तहसील के ग्राम स्थित हैं । आंवला और मीरगंज तहसील के लोगों के आपस में रिश्ते हैं । लोग आंवला अथवा मीरगंज जाने के लिए 50 कि0मी0 का चक्कर बरेली होकर काटना पसंद नहीं करते हैं । सीधे 10 कि0मी0 का रास्ता पसन्द करते हैं । जो नाव द्वारा रामगंगा पार करके जाना होता है । इससे समय और धन दोनों की ही बचत होती है । रामगंगा पर आंवला तहसील क्षेत्र का ग्राम अन्जनी, हाजीपुर, सिरौली, भूड़ा और मीरगंज तहसील का गोराघाट रात दिन चलते हैं । समय और धन बचाने के लिए लोग मोटर साइकिलें और साइकिलें नावों पर रखकर रामगंगा पार करके जाना पसन्द करते हैं ।

आंवला तहसील के ग्राम भूड़ा बसन्तपुर घाट तक पक्की सड़क है और मीरगंज तहसील के ग्राम गोराघाट तक पक्की सड़क है यह दोनों ग्राम तहसील आंवला और मीरगंज के हैं जो रामगंगा के दक्षिणी और उत्तरी किनारे पर स्थित हैं । उक्त घाटों पर हर रोज लगभग 2-3 हजार आदमियों का आना जाना नाव द्वारा है । इस स्थान पर पुल बनवाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है । पी0डब्लू0डी0 विभाग बरेली को लिखने के बाद भी पुल निर्माण नहीं हुआ ।

पुल बन जाये तो उत्तरांचल से लोग इस नदी के पुल से होते हुए मथुरा, अलीगढ़ और आगरा तक की यात्रा कम समय में पूरी कर सकते हैं । इस कारण जनता को आवागमन में असुविधा हो रही है । परन्तु खेद का विषय है विकास के कार्यों में सरकार उदासीन है ।

अत: लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर नियम-301 के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि भूड़ा बसन्तपुर और गोराघाट के बीच रामगंगा नदी पर सेतु निर्माण कराया जाय और फोरी व्यवस्था में पेंटून पुल की व्यवस्था करायी जाय ताकि जनसामान्य सुरक्षित पहुंच सके ।]

प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-**

[मान्यवर, जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ओ0डी0आर0 श्रेणी के मार्ग मंगरौरा से दीवानगंज, कोंहडोर से कन्धई हनुमानगंज-रखहा, सराय रजई-मदाफरपुर-चिलोबला का सराय रजई से देवकली तक का भाग क्षतिग्रस्त है, मंगरौरा से कन्धई मार्ग सहित अन्य ओ0डी0आर0 संचालन योग्य नहीं है जिनके नवीनीकरण की जनहित में तत्काल आवश्यकता है साथ ही पट्टी राजा बाजार मार्ग, पट्टी बंधवा मार्ग, कोंहडौर-चन्दौका मार्ग भी क्षतिग्रस्त है जिसका भी नवीनीकरण आवश्यक है । विधान सभा क्षेत्र के सभी ग्रामीण मार्ग बहुत ही जर्जर स्थिति में हैं । जैसे-वारीकला-शेखपुर अघारगंज मार्ग, वारीकला-भिवनी मार्ग, कंसापट्टी मार्ग,गंगेहटी-नरायनपुर मार्ग, कटारी से साल्हीपुर कंजास मार्ग, नरायनपुर सम्पर्क मार्ग, नरायनपुर से हरदोई सम्पर्क मार्ग सहित बहुत से मार्ग नवीनीकरण योग्य हैं । उपरोक्त के न बनाये जाने के कारण कई हजार लोगों का सुगम यातायात प्रभावित है और आये दिन शान्ति व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाती है । लोक निर्माण विभाग उपरोक्त मार्गों को मानकों के अनुरूप सुनिश्चित नहीं करा रहा है ।

अत: लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्गों के निर्माण हेतु सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं ।]

माननीय सदस्यों के नाम जिनकी सूचनायें अस्वीकार की गयीं । उनके नाम इस प्रकार हैं । पहली श्री जगदीश नारायण राय की विस्तृत होने के कारण, दूसरी श्रीमती विद्या चौधरी की विस्तृत होने के कारण, तीसरी श्री सतीश महाना की विस्तृत होने के कारण और चौथी सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की दो सूचनायें होने के कारण अस्वीकार की गयीं ।

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अध्यादेश, 2005

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मो0 आजम खाँ)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अध्यादेश, 2005 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2005

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2005 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 2005 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 09 अगस्त, 2005 को वापस प्राप्त हो गया ।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्ध विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध विधेयक, 2005, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 2005 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 09 अगस्त, 2005 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2005, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 08 अगस्त, 2005 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 09 अगस्त, 2005 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2005, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 2005 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 9 अगस्त, 2005 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से, घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 जुलाई, 2005 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 08 अगस्त, 2005 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 अगस्त, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2005 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं, कि उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध विधेयक, 2005 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 जुलाई, 2005 के उपवेशन में पारित किया था,

तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 08 अगस्त, 2005 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 अगस्त, 2005 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2005 का उत्तर प्रदेश का बीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 08 अगस्त, 2005 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 08 अगस्त, 2005 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 अगस्त, 2005 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2005 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं, कि उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2005 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 जुलाई, 2005 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 08 अगस्त, 2005 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 सितम्बर, 2005 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2005 का उत्तर प्रदेश का बाईसवां अधिनियम बन गया ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मद सं0 8 में कुछ नहीं है ।

मद सं0 9 में भी कुछ नहीं है ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्य-क्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 नवम्बर, 2005 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 21 नवम्बर, 2005 से 05 दिसम्बर, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 21 नवम्बर, 2005 को केवल निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना ली जाए, प्रश्नकाल न हो तथा नियम-51, 56, 300, 301 एवं 311 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जाएं।

2-दिनांक 22 नवम्बर, 2005 को भूतपूर्व विधान सभा के सदस्यों के तथा भूतपूर्व राष्ट्रपति के निधन के निर्देश अर्थात् की सूचना ली जाए ।

3-दिनांक 25 नवम्बर, 2005 से 04 दिसम्बर, 2005 तक सदन के उपवेशन न हों ।

4-दिनांक 21 नवम्बर, 2005 से 05 दिसम्बर, 2005 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाए :-

नवम्बर, 2005

21 सोमवार दिनांक 21 नवम्बर, 2005 को केवल निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना ली जाए, प्रश्नकाल न हो तथा नियम-51, 56, 300, 301 एवं 311 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जाएं ।

22 मंगलवार 1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना ।

2-औपचारिक कार्य, यथा-अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुर:स्थापन आदि, यदि कोई हो ।

3-असरकारी दिवस (आधा दिन)

23 बुधवार 1-विधायी कार्य ।

2-श्री श्याम लाल रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के आन्दोलन के इतिहास में 'चौकीदार चपाती आन्दोलन' के अप्रतिम संघर्ष के इतिहास को अंकित किया जाए ।"

3-डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

"इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर अविलम्ब प्रभावी रोक लगायी जाए ।"

4-श्री प्रमोद कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में पुलिस कर्मियों एवं वैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भांति अवैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष कर दी जाए ।"

24 गुरुवार विधायी कार्य ।

25 शुक्रवार
26 शनिवार
27 रविवार
28 सोमवार
29 मंगलवार
30 बुधवार बैठक नहीं होगी ।

दिसम्बर, 2005

01 गुरुवार
02 शुक्रवार
03 शनिवार
04 रविवार

05 सोमवार बैठक होगी ।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, से सहमत हैं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा दी गई है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

मऊ में हुए दंगे सबन्धी नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (क्रमागत)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य सदन के वेल में खड़े होकर नारेबाजी करते रहे ।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर चले जाएं । आपको जो कहना है वह अपनी सीट पर जा करके कहें ।

श्री धर्मपाल सिंह (बरेली)-

मान्यवर, पहले आप चर्चा तो स्वीकार करें ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप आसन ग्रहण करें । नियम-52 के अन्तर्गत चर्चा स्वीकार हो गयी है तो आपको चर्चा मे हिस्सा लेना चाहिए, आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं ? ऐसे तो यही माना जाएगा कि आप नियमों के प्राविधानों के अनुसार अपनी बात नहीं कहना चाहते हैं, आप अपने आपको चर्चा से वंचित रखना चाहते हैं । इसलिये माननीय नेता प्रतिपक्ष मेरा आपसे अनुरोध है कि आप आसन ग्रहण करें ।

***श्री प्रमोद कुमार-**

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात कहने की इजाजत चाहता हूं कि जब मऊ मुद्दे पर आपने चर्चा प्रारम्भ करने की इजाजत दे दी है तो फिर भारतीय जनता पार्टी जान-बूझकर सदन में क्यों व्यवधान प्रस्तुत कर रही है । भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कौन सा पाप है जो चर्चा होने से सामने आ जाएगा ? भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि चर्चा हो और सरकार की कमियां उजागर हों। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जान-बूझकर यह साजिश रची जा रही है, जिससे कि इस प्रकरण पर सदन में चर्चा न हो सके ।

(वेल में आये हुये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य "हिन्दुओं के हत्यारों को फाँसी दो तथा हत्यारी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी" के नारे लगाते रहे ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री प्रमोद कुमार-

मऊ का दंगा कराने में भारतीय जनता पार्टी उतनी ही जिम्मेदार है जितने कि अन्य दल हैं । इसलिये इस पर चर्चा नहीं होने दे रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एम0एल0सी0 इस दंगे के सूत्रधार हैं ।

उत्तर प्रदेश कृषि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2005†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2005†

पंचायत राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अपुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करता हूं ।

---

†दिनांक 30-11-2005 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22 नवम्बर, 2005 को नियम-311 की 6 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं :-

पहली सूचना श्री लालजी टण्डन, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री हुकुम सिंह, श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी', श्री सलिल विशनोई, श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री नवाब सिंह नागर, श्री राम इकबाल सिंह, श्री राम प्रताप सिंह, श्री अमरजीत सिंह 'जनसेवक', श्री मुन्शीलाल गौतम, श्री बाबूराम एम0 काम0 व डॉ0 अरुण मेहरोत्रा की जनपद मऊ के मऊ नगर में हुए दंगे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । इस पर नियम-52 में डेढ़ घण्टे की चर्चा स्वीकार की गयी है ।

इसी विषय पर दूसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री जगदीश नारायण राय, श्री सुखदेव राजभर, श्री ओ0 पी0 सिंह, श्री लालजी वर्मा, श्री दद्दू प्रसाद, श्री राजेश कुमार, श्री आर0 के0 सिंह पटेल, श्री रामहेत भारती, श्री कपिल देव यादव व श्री घूराराम जी की है ।

इसी विषय पर तीसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम नरेश यादव, डॉ0 सुशील चौधरी, श्री प्रदीप माथुर, श्री राम सेवक व श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना' की है ।

चौथी सूचना इसी विषय पर श्री राम स्वरूप सिंह व श्री राम कृपाल की है तथा पांचवी सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की है ।

छठी सूचना इसी विषय पर श्री सुरेश कुमार खन्ना व सातवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की है ।

दूसरी सूचना डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

तीसरी सूचना श्री प्रागी लाल अहिरवार की बुन्देलखण्ड में सूखा की भीषण स्थिति के सम्बन्ध में है ।

मैं इन सभी सूचनाओं को निरस्त करता हूं ।

श्री कौशल किशोर की सूचना नियम-311 में प्राप्त हुई परन्तु चयनित नहीं हुई, अतः अस्वीकृत हुई ।

प्रदेश में गरीब किसानों की फसलों को दबंग व्यक्तियों द्वारा नष्ट करने की पुष्टि होने पर उन्हें हानि का मुआवजा ऐसे व्यक्तियों से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर उन्हें दिलाने हेतु प्रभावी कानून बनाये जाने सम्बन्धी श्री कौशल किशोर द्वारा प्रस्तुत संकल्प

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आज आधा दिन गैर सरकारी दिवस है । अब मद सं0 17 लेते हैं । माननीय कौशल किशोर जी आप एक शब्द कह दें । कुछ बोल कर चर्चा जारी कर दें । एक शब्द बोल दीजिए ।

डा0 कौशल किशोर-

मान्यवर, ...

श्री अध्यक्ष-

यह चर्चा चालू रहेगी ।

वाराणसी में सुचारु पेय जलापूर्ति बनाये रखने हेतु जल संस्थान, वाराणसी के भदेनी रा-वाटर पम्पिंग स्टेशन तथा भेलूपुर क्लीयर वाटर पम्पिंग स्टेशन को कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति हेतु एक 5 एम0वी0ए0 ट्रांसफार्मर अलग से स्थापित कर अनवरत विद्युत आपूर्ति कराये जाने सम्बन्धी श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्याम देव राय चौधरी जी आप अपना संकल्प पढ़िये । संकल्प पढ़ दीजिये ।

***श्री श्याम देव राय चौधरी-**

मान्यवर, "इस सदन का यह निश्चित मत है कि वाराणसी में सुचारु पेय जलापूर्ति बनाये रखने हेतु जल संस्थान, वाराणसी के भदेनी रा-वाटर पम्पिंग स्टेशन तथा भेलूपुर क्लीयर वाटर पम्पिंग स्टेशन को कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति हेतु एक 5 एम0वी0ए0 ट्रांसफार्मर अलग से स्थापित कर अनवरत विद्युत आपूर्ति की जाय ।"

श्री अध्यक्ष-

आपने पढ़ दिया ।

प्रदेश में खेती की पैदावार को आधुनिकतम तकनीकी से बढ़ाने हेतु कारगर एवं नई प्रोत्साहन नीतियां अपनाई जायें तथा कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान कराये जाने सम्बन्धी डा0 अजय कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री अध्यक्ष-

दूसरा डा0 अजय कुमार का संकल्प है । आप इसको पढ़िये । यह रिकार्ड होता है ।

***डा0 अजय कुमार-**

मान्यवर, "इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में खेती की पैदावार को आधुनिकतम तकनीकी से बढ़ाने हेतु कारगर एवं नई प्रोत्साहन नीतियां अपनाई जायें तथा कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान कराया जाये ।"

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

माननीय श्याम देव राय चौधरी जी ने अपना संकल्प नहीं पढ़ा है । अब तक [xxx] बोल रहे थे । कह रहे थे कि पढ़ दिया । पढ़ा नहीं । अब तक [xxx] बोल रहे थे ।

आगामी जनगणना के समय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भांति अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की भी गणना किये जाने सम्बन्धी डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का निरस्तीकरण

श्री अध्यक्ष-

अगला संकल्प डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी का है ।

डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, ...

श्री अध्यक्ष-

अपनी सीट पर जाकर पढ़िये । सीट पर खड़े होकर पढ़िये ।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

माननीय अध्यक्ष जी, डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी जी ने अपने स्थान से नहीं पढ़ा है । अपना संकल्प नहीं पढ़ा है तो स्वीकार नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष-

नहीं पढ़ा है तो नहीं स्वीकार होगा ।

प्रदेश में पिछड़ी जाति के गरीब/भूमिहीन व्यक्तियों के अनुसूचित जातियों की भांति कब्जेदारी के आधार पर पट्टे जारी किये जाने हेतु प्रभावी कानून बनाये जाने सम्बन्धी श्री उदय राज यादव द्वारा प्रस्तुत संकल्प का निरस्तीकरण

(श्री उदय राज यादव जी का नाम पुकारे जाने तथा उनके अनुपस्थित होने पर संकल्प निरस्त किया गया ।)

श्री अध्यक्ष-

स्वीकार नहीं है । (डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी के खड़े होने पर) आप सीट पर बाजपेयी जी नहीं पढ़े हैं इसलिये स्वीकार नहीं होगा ।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22 नवम्बर, 2005 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल की जनपद गोरखपुर तथा उसके आस-पास फैल रही नई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बीमारी काक्सेकी-बी इन्सेफ्लाइटिस से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया । दूसरी सूचना श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" की बिहार के जहानाबाद के नक्सलियों का वाराणसी, चन्दौली, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में प्रवेश कर जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया । तीसरी सूचना श्री अक्षयवर लाल जी लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की कानपुर रोड योजना के सेक्टर-आई एवं जे के आवासीय भू-खण्डों को आवंटित भू-स्वामियों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया । चौथी सूचना श्री अमरजीत सिंह "जनसेवक" की जनपद फतेहपुर के ग्राम भाऊपुर में पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश के अन्तर्गत भदोकीपुर वाया करनपुर मार्ग को डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया । पाँचवी सूचना श्री जगदीश नारायण राय की प्रदेश के कृषि विविधीकरण योजना के तहत जनपद जौनपुर में निर्मित मार्गों के रख-रखाव के सम्बन्ध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया । छठी सूचना श्री कौशल किशोर की जनपद सीतापुर के महमूदाबाद स्थित सामाजिक स्वास्थ्य सेवा समिति द्वारा बालिका हाई स्कूल की स्थापना से सम्बन्धित प्रस्ताव जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में दिये जाने के बाद भी अभी तक स्वीकृति प्रदान न किये जाने के सम्बन्ध में है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया । सातवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की जनपद वाराणसी में ईंधन गैस का अभाव, काला बाजारी एवं कम वजन के सिलिण्डर आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया। आठवी सूचना श्री राम करन आर्य की जनपद बलिया स्थित रामसजीवन झूरी प्रसाद इण्टर कालेज, भदौरा, तरछापार को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हाई स्कूल एवं इण्टर की मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार किया गया है । नवीं सूचना डा0 पी0 के0 राय की जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज अन्तर्गत सहकारी समितियों और गोदामों द्वारा किसानों को उर्वरक खाद उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है । दसवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद गोरखपुर के मुहल्ला इंदिरा नगर थाना कैण्ट निवासी श्री राधेश्याम की मृतक पुत्री के हत्यारों के खिलाफ कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार किया गया है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार हुईं :-

श्री मुंशीलाल गौतम, श्री नवाब सिंह नागर, डॉ0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री परागीलाल अहिरवार, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री मुकुल उपाध्याय, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री बीजू पटनायक, डॉ0 पूर्णमासी देहाती, डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री घूरा राम । श्री घूरा राम जी की इसी सूचना को नियम-301 में स्वीकार किया गया है ।

(सदन के फ्लोर पर आये हुये सदस्यों द्वारा निरन्तर नारे लगाये जाने पर)

देखिए माननीय नेता विरोधी दल, मैंने बार-बार आप सभी से निवेदन किया कि आप अपनी सीटों पर चले जाएं मैंने आपकी मांगों को मान लिया । ऐसा लग रहा है कि आप चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं । बहुजन समाज पार्टी ने प्रश्नकाल स्थगित कराया इस समय आप चर्चा से बचना चाहते हैं केवल एक भ्रम की स्थिति पूरे प्रदेश में पैदा करना चाहते हैं आप अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं ।

(व्यवधान जारी)

कोई सदस्य कह रहा है कि मैं राजनीति कर रहा हूं मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं । अभी कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक है आप लोग वहां चलें । आज का एजेंडा खत्म हो गया है अब कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में चलिये ।

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 1 बजकर 22 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

दिनांक 22-11-2005

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 11 पर)

परिषदीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का विवरण

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	अध्यापक विवरण				अन्य विवरण
		सामान्य	विज्ञान	संस्कृत	योग	
1	2	3	4	5	6	7
1-	पहला	27	13	07	47	
2-	महौली	77	24	15	116	
3-	गोंदलामऊ	49	17	12	78	
4-	मछरेहटा	60	15	18	93	
5-	मिश्रिख	77	14	04	95	
6-	पिसानां	49	18	15	82	
7-	लहरपुर	61	20	13	94	
8-	बेहटा	21	14	13	48	
9-	सिधौली	63	21	15	99	
10-	हरगांव	86	22	16	124	
11-	परसेण्डी	107	33	14	154	
12-	सकारन	31	18	10	59	
13-	महमूदाबाद	53	16	11	80	
14-	रामपुर मथुरा	23	03	01	27	
15-	एलिया	97	21	18	136	
16-	कसमण्डा	68	18	08	94	
17-	खैराबाद	122	33	38	193	
18-	बिसवां	75	27	18	120	
19-	रेउसा	29	04	03	36	
	योग	1175	351	249	1775	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये अता0 प्र0 सं0-18 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 18 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 2005 के/ले मंगल के लिए निर्धारित श्री अनिल कुमार मौर्य, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-18 के उत्तर का संलग्नक-

शिया महाविद्यालय में विज्ञान संकाय में कार्यरत शिक्षकों की सूची जो दिनांक 31-12-2002 तक पी0एच0डी0 धारक हैं :-

1-डा0 शाकिर हुसैन
2-डा0 फखरुल हसन रिजवी
3-डा0 सै0 गजन्फर अब्बास
4-डा0 सै0 असर अस्करी रिजवी
5-डा0 इश्तियाक अहमद
6-डा0 सरवत तकी
7-डा0 जमाल हैदर जैदी
8-डा0 इशरत हुसैन
9-डा0 शालिनी श्रीवास्तव
10-डा0 कालीचरन मिश्रा
11-डा0 अजय बहादुर
12-डा0 फजल मुजतबा
13-डा0 नफीस हैदर नकवी
14-डा0 तइयब शमशाद नकवी
15-डा0 शबी रजा बाकरी
16-डा0 मुकुल चन्द्र पाण्डेय
17-डा0 सै0 हसन आब्दी
18-डा0 इकराम हैदर जैदी
19-डा0 सै0 अहमद मुसन्ना
20-डा0 रईस हैदर
21-डा0 हुसैन असगर काजमी
22-डा0 सै0 अख्तर हसन रिजवी
23-डा0 जाफर मेंहदी
24-डा0 मोहम्मद मियां
25-डा0 हरिशंकर सिंह
26-डा0 एस0 एम0 मोहसिन
27-डा0 सै0 मोहम्मद हैदर जैदी
28-डा0 अतहर हसन रिजवी

मुलायम सिंह यादव
मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 135 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 69 पर)

अतारांकित प्रश्न सं0135 का संलग्नक

वर्ष 2005-2006 में प्राथमिक विद्यालयों के लिये स्वीकृत अतिरिक्त कक्षा कक्ष की सूची

क्रमांक	विकास खण्ड	प्रा0 विद्यालय का नाम	स्वीकृत कक्षा कक्षों की संख्या
1	2	3	4
1	दूबेपुर	कुतुबपुर	2
2	दूबेपुर	अलहदादपुर	2
3	दूबेपुर	अहिमानें	2
4	दूबेपुर	नेवादा इसहाकपुर	2
5	दूबेपुर	लोदीपुर	1
6	दूबेपुर	जवाहरनगर	1
7	दूबेपुर	पातालनगर	1
8	दूबेपुर	चन्द्रनगर	1
9	दूबेपुर	शिवनगर पिकौरा	2
10	दूबेपुर	बनकेपुर	2
11	दूबेपुर	डाहा फिरोजपुर	2
12	दूबेपुर	बन्धुआखुर्द	1
13	दूबेपुर	हरखी दौलतपुर	1
14	दूबेपुर	लौहर पश्चिम	2
15	दूबेपुर	नोनरा	2
16	दूबेपुर	रामपुर	2
17	दूबेपुर	आरडीह	2
18	दूबेपुर	पूरे अडारु (लौहर दक्षिण)	2
19	दूबेपुर	सराय	2
20	दूबेपुर	भाई II	1
21	दूबेपुर	बिकना	2
22	दूबेपुर	समनाभार	2
23	दूबेपुर	कमोलिया	2
24	दूबेपुर	राजापुर	2
25	दूबेपुर	खेतकुरी मनभवना	1
26	दूबेपुर	धरमैतेपुर	1
27	दूबेपुर	भोंवा	1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
28	दूबेपुर	सोनबरसा	1
29	दूबेपुर	लोहरामउ II	2
30	दूबेपुर	उजागिरगंज	2
31	दूबेपुर	महाराजगंज	2
32	दूबेपुर	गोण्डवा	2
33	दूबेपुर	ढखवा	2
34	दूबेपुर	अमिलियां कला	2
35	दूबेपुर	अमिलियां खुर्द	2
36	दूबेपुर	दुल्लापुर	2
37	दूबेपुर	महिदेवा	2
38	दूबेपुर	उत्तरदहा	2
39	दूबेपुर	पैगापुर	1
40	दूबेपुर	बभनगवाँ	1
41	दूबेपुर	भट्टी जरौली	1
42	दूबेपुर	तमेहडी	2
43	दूबेपुर	दादूपुर	2
44	दूबेपुर	अफलेपुर	2
45	दूबेपुर	अमेठा	2
46	दूबेपुर	बैजांपुर	2
47	दूबेपुर	लाखीपुर	1
48	दूबेपुर	पलहीपुर II	1
49	दूबेपुर	छरौली	1
50	दूबेपुर	दिखौली	1
		योग	82

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	विकास खण्ड	प्रा0 विद्यालय का नाम	स्वीकृत कक्षा कक्षों की संख्या
1	2	3	4
1	कुड़वार	चितईपुर	2
2	कुड़वार	रवनियां पश्चिम	2
3	कुड़वार	कोटिया	2
4	कुड़वार	ऊँचगाँव	2
5	कुड़वार	अलीगंज II	1
6	कुड़वार	धारुपुर	1
7	कुड़वार	बबुरी	1
8	कुड़वार	बुकुनपुर	1
9	कुड़वार	हरखीपुर	1
10	कुड़वार	रामपुर	1
11	कुड़वार	हरखपुर	2
12	कुड़वार	अगई II	2
13	कुड़वार	धरावां	2
14	कुड़वार	बखतपुर	2
15	कुड़वार	तिरछे	2
16	कुड़वार	सरकौडा	1
17	कुड़वार	मियां का पुरवा	1
18	कुड़वार	बेला पश्चिम	1
19	कुड़वार	मनियारपुर	1
20	कुड़वार	मदहरा	1
21	कुड़वार	बहमरपुर	1
22	कुड़वार	खरगिनपुर	1
23	कुड़वार	चाँदपुर	2
		योग	33

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष 2005-06 में जूनियर हाईस्कूलों हेतु स्वीकृत अतिरिक्त कक्षा कक्षों की सूची

क्रमांक	विकास खण्ड	जू0 हाईस्कूल का नाम	स्वीकृत अतिरिक्त कक्षा कक्षों की संख्या
1	2	3	4
1	दूबेपुर	बिसानी	2
		शिवनगर पिकौरा	2
		कन्या हसनपुर II	1
		देहली मुबारकपुर	1
		खैचिला	1
		महाराजगंज	1
		बाँसी	2
2	कुड़वार	भाँटी	1
		मझना	1
		भण्डरा	1
		कुड़वार	2
		क0 कुड़वार	2

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 394 विधान सभा-(616)-20-3-2006-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।